Samyak
An Institute For Civil Services

राजस्थान आर्थिक समीक्षा सार 2025 - 26

राजस्थान बजट 2026 - 27

न्यू सम्यक् बिल्डिंग, ऋद्धि-सिद्धि, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
9414890902, 9875170111
www.samyakias.com samyakjaipur@gmail.com

Vision

To Build and Develop the Institute as a catalyst for crafting Civil Services aspirants into well-rounded administrators.

Mission

* To continuously improve the teaching-learning process.
* To sharpen the competency level of the aspirants.
* To develop and update the content and teaching-learning resource material in consonance with the contemporary and future needs.
* To develop and maintain effective pedagogy.

Overview

It is the dream of millions of youth of Indian to make their careers in the Civil Services. While lacs of students appear for the civil services exams yet only a few achieve success, SAMYAK train the students to become morally strong and ethically courageous, even before they appear tothe examination.

SAMYAK is RAJASTHAN's Most trusted & result dominating institute, Built upon SAMYAK's core values & strength. SAMYAK provides the best academic system powered with pool of expert faculty & excellent infrastructure to the students.

The success of our students was inspiring and so was their faith in SAMYAK. Without any hesitation, we state that SAMYAK, Jaipur is consistently making new success records at state level as well as getting counted among nationally best centres for its academic quality & results in civil service examination. SAMYAK has produced RAS TOP Rankers including Rank 1 from its study program.

To develop and update the content and teaching-learning resource material in consonance with the contemporary and future needs.

To develop and maintain effective pedagogy.

Copyright :

© Samyak Edutech

Published by :

Samyak Edutech

New Samyak building, Riddhi-Siddhi,
Gopalpura Bypass, Jaipur
Contact : 9875170111

www.samyakias.com
samyakjaipur@gmail.com

Follows us on :
/samyakcivilservices
/samyakiasras
/Samyak Civil Services

प्रिय अभ्यर्थियो,

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष स्तरीय विषय सामग्री एवं मानक पुस्तकों का अभाव रहता है। कठिन प्रतिस्पर्धा के वर्तमान समय में उत्तम विषय वस्तु को पढ़ना ही नहीं होता है अपितु 'स्मार्ट वर्क' तथा नवाचार (Innovation) कर परिणामोन्मुख (Result oriented) भी बनाना होता है। ऐसा करने से सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी में सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली पत्र-पत्रिकाएँ, आँकड़े एवं सूचनाएँ राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं तथा अभ्यर्थी भी इसे भली भाँति समझते हैं। बजट से पूर्व सरकार द्वारा 'आर्थिक समीक्षा' प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाती है जिसमें सरकार द्वारा गत वर्ष में किए गए कार्यों, आय-व्यय तथा विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं का विवरण होता है। यह समीक्षा राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है परन्तु राज्य सेवा परीक्षा के प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु विशेष महत्त्व रखती है लेकिन प्रतियोगी छात्र-छात्राएँ इसके वृहद् आकार तथा आँकड़ों की जटिलता को देखते हुए इसे पढ़ते ही नहीं है। प्रतियोगियों की इस समस्या तथा आर्थिक समीक्षा की विशेष आवश्यकता को देखते हुए ''सम्यक्'' द्वारा किया गया नवाचार एक परिणामोन्मुख प्रयास है। इसमें आर्थिक समीक्षा तथा बजट भाषण दोनों को केवल 120 पेजों में संकलित किया गया है तथा हर महत्त्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करने का पूरा ध्यान रखा गया है।

हमें आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि सम्यक् द्वारा प्रकाशित यह सारगर्भित पुस्तिका आपके लिए परीक्षाओं में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। हम आपकी 'अभ्यर्थी से अधिकारी' बनने की यात्रा को इस प्रकार के नवाचारों से यथासंभव सरल और सुगम बनाते रहेंगे।

अनंत, अशेष, असीम एवं हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

टीम सम्यक्

आर्थिक समीक्षा : 2025 - 26

INDEX

	आर्थिक विकास के मुख्य सूचक	1 – 4
अध्याय 1	कृषि - खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	5 – 14
अध्याय 2	स्वास्थ्य एवं कल्याण	15 – 20
अध्याय 3	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	21 – 27
अध्याय 4	सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन	28 – 38
अध्याय 5	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	39 – 54
अध्याय 6	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	55 – 61
अध्याय 7	आधारभूत अवसंरचना	62 – 73
अध्याय 8	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	74 – 78
अध्याय 9	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	79 – 86
अध्याय 10	ग्रामीण विकास	87 – 92
अध्याय 11	शहरी विकास	93 – 99
अध्याय 12	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ	100 – 104
अध्याय 13	वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति	105 – 112
	राजस्थान बजट 2026 - 27	113 – 120
	PYQs	121 – 123

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2024-25	2025-26
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	₹ करोड़ में		
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		903564	981807
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		1701190	1875413
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	प्रतिशत		
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		8.77	8.66
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		11.77	10.24
3.	सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान	प्रतिशत		
	(अ) कृषि		27.05	25.33
	(ब) उद्योग		28.21	28.21
	(स) सेवाएं		44.74	46.46
4.	सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलितमूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान	प्रतिशत		
	(अ) कृषि		27.13	25.74
	(ब) उद्योग		27.05	26.55
	(स) सेवाएं		45.82	47.71
5.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	₹ करोड़ में		
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		789133	859333
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		1525291	1685118
6.	प्रति व्यक्ति आय	₹ में		
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		95762	103189
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		185095	202349
7.	सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलितमूल्यों पर	₹ करोड़ में	502412	-
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	प्रतिशत	29.53	-
8.	कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)		243.55+	-
9.	कुल खाद्यान्न उत्पादन*	लाख मै. टन	309.62+	283.98~
10.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) प्रतिशत परिवर्तन		154.38	153.29@@
11.	थोक मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष 1999-2000 = 100)		396.72	399.74$
	प्रतिशत परिवर्तन		2.18	0.76
12.	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	27284	31556$
13.	वाणिज्यिक बैंक साख #	₹ करोड़ में	611546	691943

* कृषि वर्ष सेसंबंधित
+ अन्तिम
~ अग्रिम
@ प्रावधानिक
@ @ प्रावधानिक नवम्बर, 2025 तक
# 30 सितम्बर के अनुसार
$ दिसम्बर, 2025तक

- राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
- यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है।
- इसके विषमकोणीय चतुर्भज आकार की सीमा पश्चिम से पूर्व तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर तक विस्तृत है।
- राज्य के 4 शहर - जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे है।
- 1 अक्टूबर, 2025तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है, जो कि भारत का छठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है।

राजस्थान के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र	2011	लाख वर्ग कि.मी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग कि.मी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.2
कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	75.1	68.8
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2023*	प्रति हजार मध्य- वर्ष जनसंख्या	22.9	18.4
अशोधित मृत्यु दर	2023*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	5.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	2023*	प्रति हजार जीवित जन्म	29	25
मातृ मृत्यु अनुपात	2021-23*	प्रति लाख जीवित जन्म	86	88
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2019-23*	आयु वर्षों में	70.4	70.3

* एस. आर. एस. बुलेटिन भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

विकसित राजस्थान विजन

- विकसित राजस्थान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा **"विकसित राजस्थान @2047** "नामक एक विजन दस्तावेज तैयार किया गया।

विकसित राजस्थान @2047 के क्षेत्र

- यह विजन दस्तावेज़ 13 चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट रोडमैप प्रदान करता है, जो नीतिगत निर्णयों, निवेश प्राथमिकताओं, संरचनात्मक परिवर्तन और 2047 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का मार्गदर्शन करेगा।

1
कृषि–खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण
2
स्वास्थ्य एवं कल्याण
3
शिक्षा एवं ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था
4
सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन
5
औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि
6
पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास
7
आधारभूत अवसंरचना
8
जल सुरक्षा एवं अनुकूलता
9
पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता
10
ग्रामीण विकास
11
शहरी विकास
12
प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं
13
वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

अध्याय 1
कृषि - खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में फसल, पशुधन, मत्स्य, वानिकी एवं लॉगिंग सम्मिलित हैं।

विकसित राजस्थान@2047 में कृषि

- वर्ष 2047 तक राजस्थान भारत का अग्रणी कृषि शक्ति बनेगा, जिससे बेहतर उत्पादकता, किसानों की आय और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि होगी।

राजस्थान के GSVA में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में 25.74% का योगदान है।

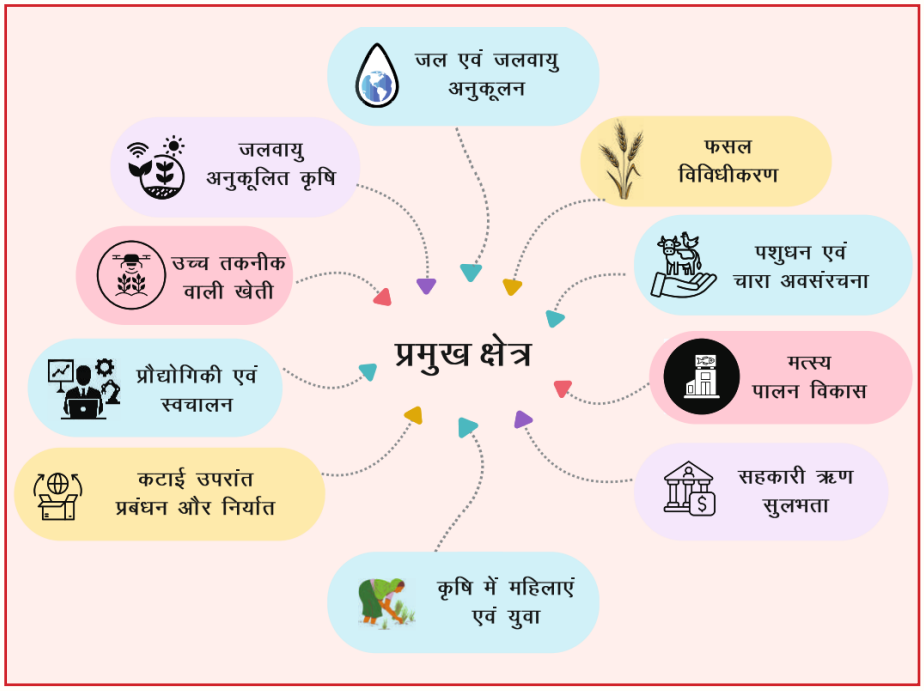

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का प्रचलित एवं स्थिर मूल्यों (2011-12) पर GSVA एवं वृद्धि दर

	2024-25	2025-26
प्रचलित मूल्यों पर GSVA	4.26 लाख करोड़ रुपये	4.41 लाख करोड़ रुपये
स्थिर मूल्यों पर GSVA	2.22 लाख करोड़ रुपये	2.23 लाख करोड़ रुपये
प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर	9.65%	3.47%
स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर	7.56%	0.22%
प्रचलित मूल्यों पर CAGR वृद्धि (अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक)	-	8.10%
स्थिर मूल्यों पर CAGR वृद्धि (अवधि: 2020-21 से 2025-26 तक)	-	3.82%

राजस्थान के GSVA में कृषि क्षेत्र के उप-क्षेत्रों की संरचना

कृषि क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में GSVA में उप-क्षेत्रवार योगदान	कृषि क्षेत्र का स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में उपक्षेत्रों की वृद्धि/ह्रास दर
■ पशुपालन: 49.35% (सर्वाधिक योगदान) ■ फसल: 42.61% ■ वानिकी एवं लॉगिंग: 7.49% ■ मत्स्य: 0.54% (न्यूनतम योगदान)	■ फसल क्षेत्र: 5.01% **(कमी)** ■ पशुधन क्षेत्र: 5.20% (सर्वाधिक वृद्धि) ■ वानिकी क्षेत्र: 2.67% (वृद्धि) ■ मत्स्य क्षेत्र: 0.87%

- वर्ष 2025–26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर ₹1.88 लाख करोड़ रहा।
- राजस्थान में खरीफ फसलों में बाजरा, मूंगफली और मूंग प्रमुख फसलें हैं जबकि रबी फसल क्षेत्र की आय में गेहूं, राई एवं सरसों तथा चना का प्रमुख योगदान है।

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में पशुधन उत्पादों में सकल मूल्य उत्पाद

- वर्ष 2025-26 में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर ₹2.17 लाख करोड़ रहा। (फसल क्षेत्र से भी अधिक)

पशुधन उत्पाद	प्रतिशत हिस्सा (%)
दूध	79.60%
अण्डे	0.67%
पोल्ट्री सहित मांस	7.46%
अन्य	12.27%

भू-उपयोग

- वर्ष 2024-25 में राज्य का रिर्पोटिंग क्षेत्र 343.43 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 53.02% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है।
- राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2024-25 में 342.74 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 53.10% शुद्ध बुवाई क्षेत्र है।

भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25 (प्रावधानिक)

भूमि उपयोग श्रेणी	प्रतिशत (%)
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	53.02%
कृषि योग्य बंजर भूमि	10.11%
वानिकी	8.30%
ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	6.85%
गैर कृषि उपयोग अंतर्गत भूमि	5.96%
अन्य चालू पड़त भूमि	5.62%
चालू पड़त	5.22%
स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि	4.81%
विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के तहत भूमि	0.11%

प्रचलित जोत धारक

- राज्य में कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई।

जोत	जोतों की संख्या का %	वृद्धि/कमी
सीमान्त जोत	40.12%	वृद्धि
लघु जोत	21.90%	वृद्धि
अर्द्ध मध्यम जोत	18.50%	वृद्धि
मध्यम जोत	14.79%	वृद्धि
बड़े आकार की जोत	4.69%	कमी (11.14%)

- वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया है इस प्रकार जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई है।

जोत	जोतों के क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी
सीमान्त जोत	सर्वाधिक वृद्धि (19.79%)
लघु जोत	वृद्धि (10.50%)
अर्द्ध मध्यम जोत	वृद्धि (5.67%)
मध्यम जोत	कमी (0.27%)
बड़े आकार की जोत	सर्वाधिक कमी (13.20%)

- कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हैक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हैक्टेयर था, जो 11.07% की कमी दर्शाता है।

महिला प्रचालित जोत धारक

- राज्य में कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी अर्थात् महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई।
- सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों का कुल जोतों से क्रमश: 49.55%, 20.77%, 14.97% , 11.74% एवं 2.97% है।
- राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 16.55 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई है।

राज्य में कृषि - जलवायु क्षेत्र

- राजस्थान को विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण, 10 कृषि - जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सम्मिलित जिले	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर एवं बालोतरा	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (I-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू आंशिक (रतनगढ़, सरदारशहर) बीकानेर एवं हनुमानगढ़ तहसील	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4	अर्द्ध शुष्क जलोढ़ का आंतरिक मैदानी क्षेत्र (II-A)	नागौर एवं डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू (रतनगढ़, सरदारशहर, बीकानेर एवं हनुमानगढ़ तहसील छोड़कर)	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5	लूनी बेसिन का आंतरिक मैदानी क्षेत्र (II-B)	जालोर, पाली, सिरोही (पिण्डवाड़ा, आबूरोड तहसील छोड़कर) एवं ब्यावर आंशिक (जेतारण एवं ब्यावर तहसील)	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहूं एवं सरसों
6	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ब्यावर (जेतारण, ब्यावर तहसील छोड़कर), खेरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7	बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं डीग	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बड़ी सादड़ी तहसील छोड़कर), राजसमंद, भीलवाड़ा एवं सिरोही आंशिक (पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड तहसील)	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहूं एवं चना
9	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर एवं चित्तौड़गढ़ आंशिक (बड़ी सादड़ी तहसील)	मक्का, धान, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं बारां	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं चना

कृषि उत्पादन (लाख मैट्रिक टन में)

फसल	2024-25 (अन्तिम)	2025-26 (अग्रिम)	वृद्धि/कमी
खाद्यान्न	309.62	283.98	8.28% (कमी)
खरीफ	114.24	89.55	21.61% (कमी)
रबी	195.38	194.43	0.49% (कमी)
तिलहन	93.73	100.46	7.18% (वृद्धि)
खरीफ	38.23	41.23	7.85% (वृद्धि)
रबी	55.50	59.23	6.72% (वृद्धि)
गन्ना	4.65	3.61	22.37% (कमी)
कपास (रूई)	17.88 लाख गाँठें	17.94 लाख गाँठें	0.34%% (वृद्धि)

प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति

- वर्ष 2023–24 में राजस्थान देश में बाजरा, राई एवं सरसों, कुल तिलहन, मोटे अनाज और ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा।

क्र.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान (%)
1	राई एवं सरसों	राजस्थान	मध्यप्रदेश	उत्तर प्रदेश	43.43
2	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात	41.34
3	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्यप्रदेश	गुजरात	23.61
4	मोटा अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	14.21
5	ग्वार	राजस्थान	हरियाणा	गुजरात	88.80
6	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	मध्यप्रदेश	19.91
7	चना	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	17.39
8	कुल दलहन	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	13.76
9	सोयाबीन	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	8.96

किसानों के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली

1	2	3	4	5	6
बीज	मृदा स्वास्थ्य	साख	बीमा	तकनीकी	प्रशिक्षण

बीज

- उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है और सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है।
- राजस्थान में राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL) गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

- उद्देश्य: किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन किया जाना।
- इसके तहत योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मौठ एवं उड़द की 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है।
- विभिन्न फसलों की नवीन जारी किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उन्हें निःशुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराए जाते हैं।

उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य

- रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्य सरकार किसानों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो-उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

'गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना'

- उद्देश्य: पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद (वर्मी-कम्पोस्ट) का उत्पादन करना। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि क्लीनिक

- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं।
- उद्देश्य: किसानों को मृदा परीक्षण, फसलों की जानकारी तथा कीट /रोग उपचार संबंधी विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध करवाना।

नमो ड्रोन दीदी योजना

- इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं सतत सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- केंद्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 1,070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए ऋण पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।
- ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।

पशु सखी और कृषि सखी

- राजीविका की गतिविधियाँ मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। राजस्थान में पशु सखी और कृषि सखी क्रमशः 37,369 और 36,787 स्वयं सहायता समूह की सदस्या है।

कृषि ऋण

- कृषि ऋण से तात्पर्य किसानों और कृषि से सम्बधित व्यवसायों / गतिविधियों में सहयोग करने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं से है।

महिला सहकारिता

- सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ₹15 लाख की राशि आवंटित की गई है।
- राज्य में 1,035 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास

- राजस्थान में कुल 42,858 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें 23 संघ, 24 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक दुकानें, 9,086 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां और 285 विपणन व फल एवं सब्जी सहकारी विपणन समितियां शामिल हैं। वर्तमान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक अल्पकालिक कृषि ऋण एवं 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण

- केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कृषि फसली ऋण वितरित किया जाता है।
- इस ऋण की समय पर अदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना

- इसके तहत ग्रामीण कारीगरों, गैर-कृषि गतिविधियों से आजीविका चलाने वाले ग्रामीण परिवारों के सदस्यों तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सहकारी किसान कल्याण योजना

- इसके तहत केन्द्रीय सहकारी बैंक किसानों की कृषि ऋण एवं फसली ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि एवं सम्बद्ध कृषि प्रयोजनों हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण का प्रावधान है।

कृषि उपज गिरवी ऋण योजना

- कृषकों को कृषि उपज गिरवी रखने पर 3% की दर से ऋण दिया जा रहा है।

सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड

- राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किए जा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा

- यह केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही है।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

- राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गैर-कृषि गतिविधियों के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना

- इसके तहत 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवारों को ₹1.00 लाख तक का ब्याज - मुक्त अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा।
- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं डेयरी गतिविधियों से जुड़े परिवारों को सहयोग प्रदान करने तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देना।

कृषि अवसंरचना निधि (AIF)

- घोषणा: 15 मई, 2020 को।
- राशि: 1 लाख करोड़ रुपये
- उद्देश्य: किसानों के लिए फार्म गेट अवसंरचना तैयार करना।
- इसके तहत 2.00 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता दी जाती है।
- AIF को मल्टी सर्विस सेंटर (MSC) योजना के रूप में पैक्स के साथ भी जोड़ा गया है।

फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMEFBY)

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से प्रारम्भ की गई। इस योजना में खाद्यानन फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
- कृषक से प्रीमियम राशि के अन्तर्गत खरीफ फसल में 2%, रबी में 1.5% एवं वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है।
- राज्य में प्रीमियम, अनुदान और फसल कटाई प्रयोगों के संचालन हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राज्य निधि योजना संचालित है।

राजस्थान में सतत कृषि एवं बागवानी पद्धतियों को प्रोत्साहन

राज्य में उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया जा रहा है:

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ((NHM)

- यह योजना विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा- फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हेतु शुरू की गई है। यह योजना राज्य के चयनित 41 जिलों में लागू की जा रही है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन

- यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।
- इस अभी तक राजस्थान में लागू नहीं किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बाँस पौधों के उत्पादन हेतु उच्च तकनीक एवं लघु नर्सरियों का विकास किया जाएगा।

एग्रो-फॉरेस्ट्री योजना

- इसके तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नई नर्सरियों (उच्च तकनीक वाली, बड़ी एवं छोटी) की स्थापना तथा विद्यमान नर्सरियों में पौध उत्पादन किया जाएगा।
- वर्ष 2025-26 में राज्य के 3 स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र में 4 उच्च तकनीक वाली नर्सरियाँ स्थापित की जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- इसके तहत खजूर की खेती, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) से वंचित जिलों में बागवानी विकास तथा शहरी क्षेत्रों में सब्जी क्लस्टर जैसी पहलों को शामिल किया है।

- इसके साथ ही संरक्षित खेती को बढ़ावा देने तथा नर्सरी विकास के लिए झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बस्सी (जयपुर) एवं नांता (कोटा) में उत्कृष्टता केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

कृषि सुधार के लिए प्रमुख पहल

गेहूँ एवं दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- यह मिशन राज्य में रबी 2007-08 से केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- वर्ष 2025-26 से राज्य में गेहूँ की खेती हेतु 18 जिलों को शामिल किया गया है।
- **शामिल जिले** — अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा।
- दलहन फसलों के अंतर्गत राज्य के सभी 41 जिले सम्मिलित किए गए हैं।
- भारत सरकार ने रबी 2025-26 से दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन को "दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन" में विलय कर दिया है।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन

- सरकार ने वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए नई योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
- इस मिशन का उद्देश्य राज्य में दलहन उत्पादन को बढ़ाना है। यह मिशन विशेष रूप से तुअर, उड़द एवं मसूर फसलों पर केन्द्रित है।
- किसानों को जलवायु अनुकूल बीजों के उत्पादन एवं उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- दलहन फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है।
- कटाई उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। NCCF एवं NAFED द्वारा तुअर, उड़द एवं मसूर की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
- पीएम-आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अनुसार अन्य दलहनों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी।

मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- वर्ष 2018-19 से मक्का एवं जौ को मोटे अनाज के रूप में मिशन में शामिल किया गया है।
- योजना के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।
- इसके तहत किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

वर्ष 2025-26 : शामिल जिले

- मक्का हेतु 09 जिले —बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द।
- **जौ हेतु 09 जिले** —अजमेर, ब्यावर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं भीलवाड़ा।

पोषक अनाज (श्री अन्न) हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- वर्ष 2018-19 से बाजरा एवं ज्वार को पोषक अनाज (न्यूट्रीसीरिअल्स) श्रेणी में शामिल किया गया है।
- योजना के अंतर्गत उन्नत तकनीक आधारित फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।
- प्रमाणित बीजों का वितरण एवं बीज उत्पादन के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ष 2025–26 : शामिल जिले

- **ज्वार फसल हेतु 11 जिले** —अजमेर, ब्यावर, जयपुर, टोंक, नागौर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़।
- **बाजरा फसल हेतु 28 जिले** —अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, जालौर, पाली एवं सिरोही।

वाणिज्यिक फसलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- इस मिशन का उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करना है।
- किसानों को पौध संरक्षण रसायनों एवं जैव-एजेंट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- फेरोमोन ट्रैप एवं ल्योर के उपयोग से कीट नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाता है।
- किसानों में वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है।
- **वर्ष 2025–26 में कपास फसल हेतु 18 जिले शामिल किए गए हैं** —अजमेर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनूं, नागौर, अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, फलोदी, पाली, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन

- इस मिशन का उद्देश्य तिलहन उत्पादन बढ़ाना एवं मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है। इसके तहत प्रजनक बीजों की खरीद 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता से की जाती है।
- मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों में वीसीपी के माध्यम से प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाता है।
- एकीकृत कीट प्रबंधन आधारित किसान खेत पाठशालाएं संचालित की जाती हैं। किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- इस योजना का वित्तपोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 अनुपात में किया जाता है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)

- इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार एकीकृत कृषि प्रणालियां विकसित की गई हैं।
- पशुधन आधारित, बागवानी आधारित तथा कृषि वानिकी प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है।
- किसानों को इन कृषि प्रणालियों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन एवं साइलेज इकाइयों को कृषि से जोड़ा गया है। योजना का वित्तपोषण 60 प्रतिशत केंद्रीय एवं 40 प्रतिशत राज्य अंश से किया जाता है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)

- यह मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना को राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2025-26 में प्रारंभ किया गया।
- योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 2,000 क्लस्टर गठित किए गए हैं।
- इनमें 1,800 केंद्रीय तथा 200 राज्य स्तर के क्लस्टर शामिल हैं।
- योजना के माध्यम से 2.50 लाख किसानों को शामिल किया गया है। कुल 1.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

- इस योजना के माध्यम से जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।
- सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) के माध्यम से जैविक प्रमाणन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है।
- कम लागत वाली तकनीकों के उपयोग से रसायन मुक्त कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

- यह योजना वर्ष 2025-26 में शुरू की गई।
- उद्देश्य: कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधा, ऋण उपलब्धता एवं भंडारण अवसंरचना मजबूत करना।
- यह योजना वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर 6 वर्षों तक लागू रहेगी।
- इस योजना में 11 मंत्रालयों एवं विभागों की प्रमुख योजनाओं का एकीकरण किया गया है।
- इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता, विविधता, किसान आय एवं सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है।
- राजस्थान के चयनित जिले — बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालौर।

फसल कटाई के बाद प्रबंधन

- फसल कटाई के बाद प्रबंधन कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रभावी खाद्य उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के आधार के रूप में कार्य करता है।
- इसमें कटाई के बाद कृषि उत्पादों को रखने के लिए विभिन्न सुविधाएं और तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे भंडारण इकाइयाँ, प्रसंस्करण संयंत्र और परिवहन नेटवर्क।
- **भंडारण**
  - राजस्थान में कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के लिए गोदामों के विकास और प्रबंधन की प्रमुख एजेंसी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन (RSWC) है।
  - वर्तमान में राजस्थान के 36 जिलों में 97 गोदाम हैं जिनकी दिसम्बर, 2025 तक कुल भंडारण क्षमता 17.25 लाख मैट्रिक टन (जिसमें निगम की 17.20 लाख मैट्रिक टन स्वयं की निर्माण की गई क्षमता सहित) है।
  - राज्य सरकार एससी / एसटी किसानों, उत्पादक संगठनों, सामान्य किसानों और सहकारी समितियों को भंडारण शुल्क पर क्रमशः 70%, 60%, 30% और 10% की छूट प्रदान करती है।
- **प्रसंस्करण :-** राज्य सरकार द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार हेतु किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:
  - राज्य में फूड पार्क विकास और भूमि आवंटन नीति 2024 तैयार की गई है।
  - राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के तहत, निवेशकों और अन्य भागीदारों के साथ समन्वय द्वारा इस क्षेत्र हेतु ₹43, 794.84 करोड़ के 2,524 एमओयू किए गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PM-FME)

- इसे केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया।
- यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक प्रस्तावित है।
- इस योजना में केन्द्र एवं राज्य के वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।
- इस योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को 35% की दर से 10 लाख तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान है।
- यह सभी प्रकार की छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 8 इनक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं।
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।

- **विपणन :-** राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए:
- **कृषक उपहार योजना:**
  - यह योजना ई-नाम पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है।
  - इसमें उत्पादक-किसान को अपनी उपज की बिक्री पर 10,000 रुपये मूल्य का कूपन मिलता है।
  - ई-नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से बिक्री के मूल्य के गुणकों पर अतिरिक्त कूपन प्रदान किए जाते हैं।
- **सहकारी विपणन संरचना:**
  - राज्य में कुल 285 क्रय-विक्रय समितियाँ और फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ पंजीकृत हैं।
- **राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले का आयोजन।**
- **सहकारी उपभोक्ता संरचना:**
  - उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी से बचाने हेतु कुल 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत किए गए हैं।
  - इसमें से 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं।
  - राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (कॉनफैड) उपभोक्ता क्षेत्र में शीर्ष संस्था है।

समृद्ध खेती के लिए पशुधन

- पशु गणना-2019 के अनुसार, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं।
- देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में उपलब्ध है।
- यहाँ देश का 7.24% गौवंश, 12.47% भैंस, 14.00% बकरियां, 10.64% भेड़ तथा 84.43% उँट उपलब्ध है।
- वर्ष 2023-24 में, राजस्थान का राष्ट्रीय उत्पादन में 14.51% तथा ऊन उत्पादन में 47.53% का योगदान रहा।

पशुधन विकास

राजस्थान में पशुधन विकास हेतु की गई पहल

- पशु चिकित्सा ढांचागत सुधार: 700 नए पशु चिकित्सा उप-केंद्रों को स्वीकृति दी गई है, 151 पशु चिकित्सा उप-केंद्रों को अस्पतालों में अपग्रेड किया गया है।
- 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (MVU): राज्य में 536 MVU यूनिट्स 24 फरवरी, 2024 को शुरू की गईं, जो किसानों के घर पर ही पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम: एक व्यापक टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में गायों और भैंसों को निःशुल्क रोग निरोधक टीके लगाए गए।
- पशु कल्याण पहल, पशुधन की सुरक्षा, देखभाल और देशी नस्लों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण अनुदान के तहत वित्तीय सहायता प्रत्येक बछड़े के लिए, जन्म के 0-2 महीने की आयु पर और फिर 1 वर्ष की आयु पर दी जाएगी।
- पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना: पशु चिकित्सा संस्थानों और शिविरों के माध्यम से पशुधन के लिए निःशुल्क उपचार प्रदान करती है। इसमें बीमार पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

पशुपालक कल्याण पहलें

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

- इसके तहत पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट जैसे देशी पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया।
- इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 100% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा
- इसका 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक शिविरों का आयोजन किया गया।
- उद्देश्य: राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के गरीब एवं अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुँचाना।
- इन शिविरों के दौरान बीमार पशुओं का उपचार किया गया तथा पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किया गया।

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025

- इसके तहत शिविरों के माध्यम से 21 लाख से अधिक पशुओं का उपचार, टीकाकरण और पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (9वां चरण)

- यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है।
- इसे 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू किया गया।
- इस योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹5.00 लाख तथा आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹2.50 लाख की राशि देय है।

सरस सामूहिक आरोग्य बीमा

- दिसंबर 2025 तक सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के 19वें चरण के अंतर्गत कुल 33,516 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

सरस सामूहिक आरोग्य बीमा

- जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया हैं।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना

- इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादकों को ₹2 प्रति लीटर की सहायता राशि बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर कर दी गई।

सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना

- इस योजना के तहत मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाएगा।

गोपालन

- राजस्थान "गौवंश संरक्षण और संवर्धन निधि नियम, 2016 एवं 2021 के तहत गौशालाओं और नंदीशालाओं के माध्यम से स्थायी विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है।

गोशाला विकास पहल

- **गोशाला विकास योजना :-** पंजीकृत गौशालाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 90:10 (सरकार:जनसहभागिता) अनुपात पर अधिकतम **10 लाख रुपये** तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
- **पंजीकृत गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान: -** राज्य सरकार अनुत्पादक या बीमार गौवंश के लिए चारा और पानी की व्यवस्था हेतु 1 अप्रैल, 2025 से, प्रति बड़े गौवंश के लिए 50 रुपये प्रति दिन और छोटे गौवंश के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की दर से सहायता दी जा रही है।

पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना:

- उद्देश्य: पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापना करके आवारा नर मवेशियों की समस्या को हल करना। इसमें राज्य सरकार और सार्वजनिक योगदान का अनुपात 90:10 है।

ग्राम गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना

- उद्देश्य: आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करना, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं या पशु आश्रय स्थलों की स्थापना की जाती है।
- इस योजना के तहत गौशाला स्थापित करने की अनुमानित लागत 1 करोड़ है, जिसमें 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है।
- वध/तस्करी से बचाए गए मवेशियों के लिए अनुदान: इसके तहत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों की देखभाल के लिए 1 वर्ष तक सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रशिक्षण सत्र: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और पाली स्थित चार संस्थानों में गौ उत्पाद प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

डेयरी विकास

- राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक, कुल 19,643 डेयरी सहकारी समितियां 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है।
- राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) लिमिटेड, जयपुर है। दिसम्बर, 2025 तक राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबद्ध दुग्ध संघों द्वारा प्रतिदिन औसतन 30.29 लाख किलोग्राम दूध खरीदा गया।

जलीय कृषि और मत्स्य पालन विकास

- राजस्थान में मछली के रूप में कम लागत में प्रोटीनयुक्त आहार तथा ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।
- राजस्थान में जलाशयों, पॉण्ड एवं छोटे तालाबों के रूप में लगभग 4.30 लाख हैक्टेयर जल स्रोत उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

- उद्देश्य: मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और मछुआरों की आजीविका को सशक्त बनाना।
- इसके तहत मत्स्य तालाब निर्माण, झींगा पालन, केज कल्चर और फीड मिल्स जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए मत्स्य किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राजस्थान में वर्ष 2025-26 में (दिसंबर 2025 तक) मत्स्य उत्पादन 78013.03 मैट्रिक टन हुआ।
- नोट: जलीय कृषि की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
- यह सुविधा झींगा किसानों को आवश्यक खारे पानी के परीक्षण की सेवाएँ प्रदान करेगी।

किसानों तथा कृषि श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

पी.एम. किसान पोर्टल

- दिसंबर 2025 तक 75.17 लाख किसानों ने भूमि सत्यापन हेतु आवेदन किया है। लाभार्थियों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है।

लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना

- इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को ₹1,250 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जाता है।
- पात्रता आयु सीमा —
  - महिलाएँ : 55 वर्ष या अधिक
  - पुरुष : 58 वर्ष या अधिक

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- इस योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट 2025-26 में सहायता राशि ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिवर्ष कर दी गई है।

राजस्थान कृषक समर्थन योजना

- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक लाभ देने का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹150 प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाता है।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना

- योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2018 तक के बकाया अल्पकालिक फसल ऋण माफ किए गए।
- इस योजना से 20.92 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2019 योजना के अंतर्गत अतिदेय मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों पर ₹2 लाख तक अतिरिक्त राहत प्रदान की गई।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

- रबी विपणन मौसम 2025-26 की अवधि 10 मार्च से 30 जून 2025 निर्धारित की गई।
- इस अवधि में 21.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई।
- खरीद कार्य 327 क्रय केंद्रों के माध्यम से किया गया।
- गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के तहत पूरक पोषण

- पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति कॉनफेड के माध्यम से की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया गया है।
- **'किसान कलेवा योजना':** यह योजना राज्य में 'सुपर', 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों (फल और सब्जी मंडियों के याडों के अतिरिक्त) के प्रांगण में अपनी उपज बेचने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण:** ग्राम पंचायत स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सरकार प्रति प्रशिक्षण ₹3,000 की सहायता प्रदान कर रही है।

कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन:

- बालिकाओं को औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
  - उच्च माध्यमिक (कृषि) के लिए **15,000 रुपये** प्रति वर्ष प्रति बालिका
  - B.Sc. (कृषि) / M.Sc. (कृषि) के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बालिका
  - पीएचडी के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बालिका

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना

- इस योजना के तहत कृषि कार्य, जिसमें कृषि विपणन भी शामिल है, के दौरान होने वाली मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में कृषकों, कृषि श्रमिकों और हमालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना

- शुरुआत: 2015 में।
- उद्देश्य: कृषि उपज मंडियों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना।
- **विशेषताएँ**
  - **गर्भावस्था सहायता:** लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि प्रदान की जाती है।
  - नवजात शिशु के पिता को 15 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर सहायता राशि दी जाती है।
  - **विवाह सहायता:** लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को उनकी स्वयं की शादी और दो बेटियों की शादी के लिए ₹75,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  - **विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/मेरिट पुरस्कार:** इस योजना के तहत, लाइसेंसधारी श्रमिक के पुत्र/पुत्री को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  - **चिकित्सा सहायता:** गंभीर बीमारियों (कैंसर, हृदयाघात, लीवर, किडनी आदि) की स्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होने पर 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

❖❖❖❖

अध्याय - 2
स्वास्थ्य एवं कल्याण

स्वस्थ भविष्य की ओर: राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण

- राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

- उद्देश्य: स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति में सुधार करना।

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA)

- यह एक डिजिटल हेल्थ आईडी है।
- इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य: व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी बनाना है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच चिकित्सा जानकारी की निर्बाध पहुँच और साझाकरण की सुविधा मिलती है।
- इससे स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता को बढ़ाना, रोगी परिणामों में सुधार करना और राजस्थान सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। **दिसम्बर, 2025 तक, राजस्थान में 6.52 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाई गई।**

विजन स्टेटमेन्ट - विकसित राजस्थान@ 2047

राजस्थान और भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति

क्र.	संकेतक	राजस्थान	भारत
		NFHS-5 (2019-21)	NFHS-5 (2019-21)
1.	नवजात मृत्यु दर (NNMR) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	20.2	24.9
2.	शिशु मृत्यु दर (IMR) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	30.3	35.2
3.	5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (U5MR) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	37.6	41.9
4.	संस्थागत जन्म प्रतिशत	94.9	88.6
5.	पूर्ण टीकाकरण (प्रतिशत)	80.4	76.4

6.	गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (आयु समूह 15-49 वर्ष)	46.3	52.2
7.	कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चे)	2.0	2.0
8.	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कद में कम हैं (प्रतिशत)	31.8	35.5
9.	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो दुबले हैं (प्रतिशत)	16.8	19.3
10.	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो वजन में कम हैं (प्रतिशत)	27.6	32.1

मातृ मृत्यु दर (MMR) संकेतक

क्र.स.	संकेतक	राजस्थान	भारत
		SRS (2021-23)	SRS (2021-23)
1.	मातृ मृत्यु दर (MMR) (प्रति लाख जीवित जन्म)	86	88

राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना

- राजस्थान में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक संस्थान व्यापक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों की स्थिति

- राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक 267 अस्पताल, 832 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 183 औषधालय हैं।
- 2,589 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (2,534 ग्रामीण +55 शहरी) [286एनयूएचएम के अंतर्गत कार्यरत]
- 15,292 उप – केन्द्र [17 एनयूएचएम के अंतर्गत कार्यरत]
- 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र
- 76,210 कुल बेड [510 एनयूएचएम के अंतर्गत कार्यरत]
- 638 शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (एनयूएचएम के अंतर्गत कार्यरत)

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)

- नवम्बर, 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) कर दिया।
- राज्य में कुल 19,877 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) कार्यरत हैं।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPH) के तहत 12 सेवाएं उपलब्ध है।
- राज्य में 127 आयुर्वेदिक अस्पताल, 86 ब्लॉक आयुष अस्पताल, 03 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल और 3,575 आयुर्वेदिक औषधालय, 03 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय, 01 सर्जिकल एंबुलेटरी थेरेपी यूनिट है।
- राज्य में होम्योपैथिक विभाग के अंतर्गत 07 होम्योपैथिक अस्पताल, 189 औषधालय, 60 एकल चिकित्सा इकाइयाँ, राजकीय 83 ब्लॉक आयुष अस्पताल, 225 ब्लॉक होम्योपैथिक औषधालय और 02 मोबाइल इकाइयाँ व 3 जिला आयुष अस्पताल कार्यरत हैं।

सभी के लिए स्वास्थ्य

- राजस्थान ने "सभी के लिए स्वास्थ्य" हेतु राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम-2023 लागू किया गया है।
- यह कानूनी रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है। (देश का पहला राज्य)

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना

- उद्देश्य: सभी लोगों को बिना वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना।
- यह परिवारों को उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट-खर्च (ओओपीइ) से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करती है।
- वर्तमान में लगभग 1.36 करोड़ परिवार योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं।
- इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में चिन्हित, छोटे एवं सीमान्त किसानों, संविदाकर्मियों और कोविड-19 अनुगृह योजना के लाभार्थियों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है।
- शेष आबादी प्रति वर्ष प्रति परिवार 850 रुपये की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है, शेष प्रीमियम लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इसके नए चरण में बीमा कम्पनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष 2,370 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है।
- इस योजना में कुल 2,179 पैकेजेज शामिल हैं, जिसमें 2,002 पैकेज बीमा मोड पर एवं 177 पैकेज ट्रस्ट मोड पर शामिल है।
- इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपये का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है, जो दो भागों में विभाजित है।
  - बीमा मोड में 5 लाख रुपये कवरेज
  - ट्रस्ट मोड में 20 लाख रुपये तक कवरेज
- इस योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण और कॉकलियर इम्प्लांट के लिए विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इसमें विभिन्न सर्जरियों, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष तथा जेरियाट्रिक (वृद्धजन) देखभाल से संबंधित 132 नए पैकेज शामिल किए गए हैं।

- अप्रैल 2025 से राज्य में इन-बाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसके माध्यम से अन्य राज्यों के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- दिसम्बर 2025 से आउट-बाउंड पोर्टेबिलिटी भी शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

- यह सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में संचालित है।
- यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के विस्तार के रूप में शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर मरीजों को आवश्यक दवाओं और जाँच की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।
- वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार 1,238 दवाइयों, 428 सर्जिकल वस्तुएँ और 156 सूचर्स आइटम सूचीबद्ध किए गए हैं।

मुख्यमंत्री बाल संबल योजना

- यह योजना दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

- इस योजना की घोषणा 01 जुलाई, 2021 को की गई।
- वर्तमान में यह योजना लगभग 13.65 लाख परिवारों को कवर कर रही है।
- राज्य सरकार द्वारा CGHS की तर्ज पर स्वास्थ्य को क्षेत्र में कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई।
- इसमें राज्य के माननीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, सरकारी सेवारत कर्मचारी के साथ पेंशनभोगी, राज्य स्वायत्त निकाय के सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी तथा आश्रित शामिल हैं।
- राज्य के सभी सरकारी, 741 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों, 3,748 सूचीबद्ध निजी फार्मा स्टोर तथा राज्य के बाहर 39 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस ओपीडी/आईपीडी/डे-केयर सुविधा का लाभ का प्रावधान है।
- एलोपैथी के अलावा इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा (आयुष) के तहत गुणवत्तापूर्ण और विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने वाला चिकित्सा उपचार भी शामिल है
- यह पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से सहज और त्वरित सुविधा प्रदान की जाती है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- वर्तमान में राज्य में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विभिन्न चरणों में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है।

"शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान

- शुरुआत: 15 फरवरी 2024 को।
- उद्देश्य: राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं।

आयुष्मान वय वंदन योजना

- शुरुआत: 29 अक्टूबर, 2024 को।
- उद्देश्य: बुजुर्गों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना।
- यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करते हुए कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

- उद्देश्य: स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाना और मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना।
- इसके तहत मरीजों को बाह्य रोगी विभाग (OPD) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) के तहत शिविरों का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (NOHP)

- उद्देश्य: मुख स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच दंत सेवाओं की पहुंच में असमानताओं को कम करना। **इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में की गई।**

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPCF)

- उद्देश्य: पीने के पानी में फ्लोराइड का स्तर अधिक वाले क्षेत्रों में फ्लोरोसिस की समस्या से निपटना।
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक) में राज्य के कुल 1,020 गांवों को फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया।
- यह कार्यक्रम राज्य के 30 चिह्नित जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है।

सिलिकॉसिस नीति-2019

- सिलिकॉसिस पीड़ित: खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने वाले श्रमिक।
- इस नीति में सिलिकॉसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ-साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियन्त्रण के उपाय अपनाए जाएंगे।
- सिलिकॉसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए ₹3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
- पीड़ित को ₹1,500 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार के आश्रित को ₹2 लाख प्रदान किये जाते है।
- मृतक की विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार ₹1,250 से ₹1,500 की विधवा पेंशन प्रदान की जाती है।
- पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है।
- पीड़ित और उसके परिवार को आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह सभी BPL सुविधाएं दी जाएगी।
- पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD)

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना है।
- यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बहरापन से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)

- इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा 60 दिवसीय तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 आयोजित किया गया।
- इस अभियान के अंतर्गत राज्यभर में जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गई।
- इसकी प्रमुख गतिविधियों में तम्बाकू मुक्त विद्यालय, COTPA के तहत प्रवर्तन कार्यवाही, तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायतें, सोशल मीडिया अभियान तथा क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम शामिल रहे।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP)

- केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम राजस्थान में 2019 में प्रारम्भ किया गया।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस-C का उन्मूलन करना है।
- उद्देश्य: हेपेटाइटिस-B, C, A एवं E से होने वाली मृत्यु दर और रोगों को कम करना।
- हेपेटाइटिस जाँच के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर में चार राज्य स्तरीय मॉडल उपचार प्रयोगशालाएँ संचालित हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)

- इसका देश्य संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों की नियमित निगरानी करना है। इस निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को नियंत्रित किया जाता है।
- IDSP पोर्टल के माध्यम से उपकेन्द्र स्तर से ही रियल-टाइम डेटा संकलन किया जाता है।
- राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
- 27 जिला चिकित्सालयों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ कर जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित किया गया है।

मिशन मधुहारी

- टाइप-1 मधुमेह रोगियों के उपचार को सुदृढ़ करने के लिए 29 नवम्बर 2024 को नागौर जिला चिकित्सालय में मिशन मधुहारी प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 70 जिला एवं उप-जिला चिकित्सालयों से बाल रोग विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

मिशन मधुनेत्र

- इस पहल के तहत मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाँच शुरू की गई।
- प्रारंभिक चरण में यह सुविधा पाली, ब्यावर, करौली, जालौर जिला चिकित्सालय तथा सीएचसी देशनोक (बीकानेर) में शुरू की गई।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस सेवाएँ संचालित की जा रही हैं।
- इन केंद्रों पर कुल 145 हीमोडायलिसिस मशीनें कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम का संचालन राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकना और कम करना है।

AYUSH को सशक्त बनाना

- यहाँ AYUSH से तात्पर्य आयुर्वेद (Ayurveda), योग (Yoga), यूनानी (Unani), सिद्दा (Siddha) एवं होम्योपैथिक (Homeopathy) से है।
- इस हेतु राज्य में राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है।
- आयुष सेवाओं के तहत 4,032 आयुष औषधालयों, 222 अस्पताल, 06 एकीकृत आयुष अस्पताल, 33 योग प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों और 1010 आइसोलेटेड आयुष सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में विकसित किया गया है।
- 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को NABH प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है।

आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना

- वर्ष 2025-26 में इस योजना के प्रथम चरण में 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन किया गया। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 18 स्वास्थ्य सूचकांकों को शामिल किया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

- उद्देश्य: राज्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना।
- इसक तहत नसबन्दी ऑपरेशन, गर्भनिरोधक इन्जेक्शन, ओरल पिलल्स (OP) और सेंटक्रोमन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की गई।

मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना

- इस योजना का उद्देश्य राज्य में शिशु मृत्यु दर तथा प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना है।इसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- इसके लाभार्थियों को निःशुल्क दवाएँ और उपभोग्य सामग्री प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त सुविधा तथा यातायात सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना(ESIS)

- यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
- उद्देश्य: निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
- ऐसे संस्थान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो और जिन कर्मचारियों की वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रतिमाह तक है।
- इसके तहत चिकित्सा लाभ बीमित के पति/पत्नी, पुत्र (21 वर्ष तक), अविवाहित पुत्रियां, विकलांग बच्चों और आश्रित माता-पिता को प्रदान किए जाते हैं।
- ESI कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी 7:1 के अनुपात में होती है। इसमें नियोक्ता का 3.25% और कर्मचारी का 0.75% योगदान रहता हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

- उद्देश्य: व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के तहत प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चत करना।
- इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ-साथ शहरी स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) NHM के उप मिशन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं -

आशा सहयोगिनी

- यह एक मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) है।
- आशा कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है।
- आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता है, जिसकी की भूमिका स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है।
- यह समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक कड़ी का कार्य करती है।
- राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी के नाम से जाना जाता है।
- यह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्यकर्ता है।
- वर्तमान में सितम्बर, 2025 तक राज्य में 54,022 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

- उद्देश्य: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना।
- राज्य में स्कूलों और समुदायों में स्वास्थ्य जांच हेतु मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (MHT) कार्यरत है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)

- उद्देश्य: किशोरों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- इसे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और राज्य के वंचित क्षेत्रों में शुरू किया गया।
- यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में लागू किया गया है।
- राजस्थान के जिलों में "उजाला क्लीनिक्स" स्थापित किए गए हैं।
- उजाला क्लिनिक में परामर्शदाताओं द्वारा विषयगत क्षेत्रों - पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एनसीडी की स्थिति, चोट और हिसां, मादक द्रव्यों के सेवन पर किशोरों को नैदानिक और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

104 जननी एक्सप्रेस सेवा

- यह मातृ स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर परिवहन प्रदान करती है।

108 एम्बुलेंस सेवा योजना

- शुरुआत: सितंबर, 2008 में।
- उद्देश्य: राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना।
- वर्तमान में पूरे राज्य में 1,094 एम्बुलेंस संचालित हैं।

मोबाइल मेडिकल सेवा योजना

- शुरुआत: 2008-09 में।
- उद्देश्य: राजस्थान के उन दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केंद्र या निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

- इस योजना के तहत हर महीने 20 मुफ्त मेडिकल कैंम्पों का आयोजन किया जाता है।
- राज्य में 28 मोबाइल मेडिकल वाहन संचालित है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना

- राजस्थान में यह योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई।
- उद्देश्य: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं हेतु सोनोग्राफी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना।
- इन सेवाओं का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- राजस्थान में 1,462 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र क्यूआर कोड युक्त वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)

- इस मिशन का उद्देश्य देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत और विस्तारित करना है।
- मिशन भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है।
- प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और समिति (VHSC)

- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्र मे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना।
- वर्तमान में पंचायत के निर्वाचित सदस्य- जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में 43,440 गाँवों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है।
- समिति के अन्य सदस्य आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और NGO, SHG तथा महिला स्वास्थ्य संघ के प्रतिनिधि हैं।
- आशा सहयोगिनी VHSC की संयोजक है।

टेलीमेडिसिन

- भारत सरकार ने ई-संजीवनी HWC पोर्टल की शुरुआत की है।
- उद्देश्य: टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना।
- यह पोर्टल पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। (निम्न सुविधा से उच्च सुविधा तक)
  - इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है।
- राज्य में दिसम्बर, 2025 तक टेली-परामर्श की कुल संख्या 20.33 लाख है |

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

- राज्य सरकार राज्य के लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों, के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सुनियोजित ढांचे के विकास और चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाकर शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।

राज्य में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य पहल

- कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)
- नेत्र अंधता नियंत्रण कार्यक्रम
- क्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम

❖❖❖❖

अध्याय - 3
शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं रोजगार के क्षेत्र में समन्वित प्रयासों द्वारा राजस्थान एक सुदृढ़ मानव संसाधन आधार का निर्माण कर रहा है।

सभी के लिए शिक्षा: शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना

- शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता को बढ़ाती है, साथ ही उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8
स्कूली शिक्षा	साक्षरता एवं सतत शिक्षा	उच्च शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा	संस्कृत शिक्षा	भाषा एवं पुस्तकालय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विजन स्टेटमेंट - विकसित राजस्थान@2047

स्कूली शिक्षा

- स्कूली शिक्षा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा दोनों शामिल हैं।
- राज्य में 44,934 राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 19,950 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।
- राजकीय विद्यालयों में छात्रों की कुल नामांकन 72.93 लाख है।
- राजस्थान में वर्तमान में 19,950 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 1,364 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं।

उत्कृष्ट विद्यालय योजना

- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- राज्य में कुल 8,373 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं।
- इनमें 1,575 प्राथमिक तथा 6,798 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं।

स्कूली शिक्षा के तहत उन्नत पहल

छात्रवृत्ति योजनाएँ (माध्यमिक शिक्षा)

- राजस्थान में जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे परिवारों के बच्चों सहित विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
- इसमें अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा देवनारायण गुरुकुल योजना जैसी छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना

- इसके तहत राजकीय विद्यालयों के कक्षा-1 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों, कक्षा-9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा वे छात्र जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं, को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना

- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी वर्गों की बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाती है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ये विद्यालय शुरू किए गए। राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के लिए है।
- वर्ष 2025-26 में राज्य में 3,737 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 977 विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाएँ प्रारम्भ की गई हैं।
- वर्तमान में कुल 1,010 बाल वाटिकाएँ संचालित हैं।

ज्ञान संकल्प पोर्टल

- यह पोर्टल राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** भामाशाहों/दान दाताओं/औद्योगिक संगठनों एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना।

लाडो प्रोत्साहन योजना

- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता या अभिभावक को अधिकतम ₹1.50 लाख की राशि 7 किस्तों में दी जाती है।
- तीसरी से छठी किस्त का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग तथा सातवीं किस्त का भुगतान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री सम्बल योजना

- इस योजना के अंतर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में डी.एल.एड. (दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन) करने वाली विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को सहायता दी जाती है।
- प्रति लाभार्थी ₹90,000 की शिक्षण शुल्क राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाती है।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

- योजना का उद्देश्य पंजीकृत मदरसों को डिजिटल एवं भौतिक संसाधनों से उन्नत करना है।
- इसमें कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएँ, फर्नीचर और ई-लर्निंग उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक मदरसों को ₹25 लाख तक सहायता दी जाती है।
- योजना में 90% व्यय राज्य सरकार तथा 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाता है।

शिक्षा संबंधी प्रमुख आँकड़े (2025-26)

- राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन 22.72 लाख तथा शिक्षक संख्या 1.69 लाख है।
- राज्य में प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 13:1 है, माध्यमिक शिक्षा में छात्र नामांकन 50.22 लाख तथा शिक्षक संख्या 2.82 लाख है।
- राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 18:1 है।
- दोनों अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसित 30:1 अनुपात से बेहतर हैं।

समग्र शिक्षा: समग्र विकास की दिशा में

समग्र शिक्षा योजना

- समग्र शिक्षा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा जैसी पूर्व योजनाओं को एकीकृत करती है।
- राजस्थान में इसका क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से किया जाता है।
- योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी होती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE)

- इसके तहत आँगनबाडी केंद्रों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित किया गया है।
- **उद्देश्य:** शिक्षा विभाग द्वारा भौतिक अथवा प्रशासनिक रूप से, पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्ध कराना।

निपुण भारत मिशन (मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान)

- निपुण भारत मिशन का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक कौशल विकसित करना है।
- इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर निपुण मेले आयोजित किए जाते हैं।
- कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए "विद्या प्रवेश" कार्यक्रम तथा कक्षा 3 से 5 के लिए विषय आधारित कार्यपुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

निपुण राजस्थान अभियान

- निपुण भारत मिशन के तहत 30 अक्टूबर 2025 को निपुण राजस्थान अभियान प्रारम्भ किया गया।
- इसका उद्देश्य कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्षमता को मजबूत करना है।

प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम

- मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) के अंतर्गत प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के पठन कौशल को सुदृढ़ करना है।

PRABAL कार्यक्रम

- इसका पूरा नाम "Program to Recognize Abilities and Build Up Adaptive Life Skills" है।
- इसका उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता, नागरिकता और करियर कौशल विकसित करना है।
- यह कार्यक्रम सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जा रहा है।

पहुंच एवं ठहराव

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल

- ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध हैं।
- **उद्देश्य:** स्कूली शिक्षा में पहुंच एवं ठहराव हेतु शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना।
- इसमें बालिकाओं के लिए कम से कम 55% सीट आरक्षित किया गया है।
- राज्य में **134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय** कक्षा 1 से 12 तक संचालित है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय

- विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए राज्य में 41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, 20 बालिका छात्रावास तथा 11 बेघर एवं अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय शामिल हैं।

परिवहन वाउचर

- **उद्देश्य:** सभी छात्रों विशेष रूप से दूरस्थ या कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए विद्यालय तक सुरक्षित और विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करना।
- कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों एवं कक्षा 9 से 10 तक की छात्राओ को स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा परिवहन वाउचर दिये जाते है।
- **पात्रता:** कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय से 1 किमी दूर हो।
- कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय से 2 किमी दूर हो।
- कक्षा 9 से 10 तक की वे छात्राएं जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय से 5 किमी दूर हो।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)

- राज्य में 1 अप्रैल 2010 से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है।
- इसके अंतर्गत निजी विद्यालयों में कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य है। प्रवेश के लिए आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख कर दी गई है।

शिक्षा में आधारभूत ढांचे का विकास कार्य

- राजस्थान में विद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास कार्य का उद्देश्य सुरक्षित, सुलभ एवं सुसज्जित शिक्षण वातावरण बनाना है।
- इसमें उच्च प्राथमिक से क्रमोन्नत किए गए माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, उपकरणों के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय आदि में सुधार किया जाता है।

गुणवत्ता एवं नवाचार हस्तक्षेप

निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को ₹800 की सहायता राशि DBT के माध्यम से दी गई।
- सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु ₹600 की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

कला उत्सव (कला महोत्सव)

- **उद्देश्य:** भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला और पारंपरिक कहानी सुनाना) में आयोजित किया जाता है।
- राजस्थान से कुल 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना

- यह योजना वर्ष 2022 में लागू की गई।
- **उद्देश्य:** व्यापक लक्ष्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा।

- ये सौलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, जल संरक्षण को शामिल करते हुए हरित विद्यालय के रूप में स्थापित होंगे।
- पीएमश्री योजना राजस्थान के 639 स्कूलों में लागू है। 639 पीएम श्री विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के 90, माध्यमिक शिक्षा के 549 एवं 01 संस्कृत शिक्षा का विद्यालय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई।
- इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु "सार्थक" योजना में 27 अध्यायों के अंतर्गत 297 कार्य निर्धारित किए गए।
- इनमें से 202 कार्य राज्यों को सौंपे गए हैं।
- राजस्थान में दिसंबर 2025 तक 73 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
- राज्य में इन कार्यों के समन्वय के लिए 6 समितियाँ गठित की गई हैं।

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)

- मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करना है। इसका लक्ष्य नामांकन बढ़ाना, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारना और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
- इस अभियान के अंतर्गत NEP बालक, NEP शिक्षक और NEP स्कूल को बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।

MSRA के अंतर्गत नई पहलें (29 अप्रैल 2025 से)

1. राज्य स्तर पर AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ORF) मूल्यांकन शुरू किया गया।
2. छात्र उपस्थिति ऐप लागू किया गया।
3. NIOS के लिए ऑन-डिमांड परीक्षाएँ (ODE) प्रारम्भ की गई।
4. विभिन्न डिजिटल पहलें शुरू की गई।

- इनमें से ORF मूल्यांकन और डिजिटल पहलें जिला स्तर पर लागू की जा रही हैं।

लैंगिक समानता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

- राज्य में 364 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं।
- इसमें कभी नामांकित न होने वाली एवं बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं को केजीबीवी में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम

- विज्ञान व गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने, रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने हेतु शैक्षणिक किशोरी मेले का आयोजन किया जाता है।

मीना-राजू और गार्गी मंच

- इस मंच का गठन बालिकाओं की शिक्षा, नामांकन एवं ठहराव को बढावा देने के लिए परिवारों और समुदायों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- मीना-राजू मंच में कक्षा 6 से 8वीं तक की छात्राओं को और गार्गी मंच में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं शामिल हैं।

समावेशी शिक्षा

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को मुख्यधारा में लाना एवं सामाजिक बनाना समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
- इसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यात्मक, शैक्षिक एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। 2 राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जयपुर एवं उदयपुर की स्थापना की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा

- राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है।
- यह विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के युवाओं में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है।
- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 4,019 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय राज्य में संचालित हैं।
- इन विद्यालयों में 16 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

ICT और डिजिटल पहल

- विद्यालयों में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है।
- राज्य के 13,976 राजकीय उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं।
- विद्यार्थियों को ई-ज्ञान एवं DIKSHA पोर्टल के माध्यम से डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

DIKSHA पोर्टल

- इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस पर RSCE RT (ET Cell, अजमेर) द्वारा ई-सामग्री अपलोड की जाती है।

मिशन स्टार्ट

- मिशन स्टार्ट का उद्देश्य ब्लेंडेड लर्निंग के माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण)

- यह स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है।
- इसमें सभी राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है।
- इसमें बालक-बालिकाओं से संबंधित सरकारी लाभकारी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन एवं भुगतान की शाला दर्पण के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है।

सामुदायिक गतिशीलता

- विद्यालय प्रबंधन में भूमिका हेतु स्कूल प्रबंधन समिति (SMC)/ स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।
- इस हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में एसएमसी / एसडीएमसी (प्रत्येक विद्यालय में 5 अभिभावक सदस्य व 1 जन प्रतिनिधि) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

- साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है।
- राज्य में निरक्षर लोगों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मौलिक साक्षरता और कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का समावेश

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो 1 अप्रेल, 2022 से राज्य में लागू की गई।
- इस योजना में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए शामिल किया गया है। यह पूर्ण रूप से स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है।
- इस योजना के तहत स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उल्लास ऐप द्वारा ऑनलाइन मोड में किया गया है।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक इकाई UDISE (यूडीआईसी) कोड में पंजीकृत विद्यालय हैं।
- इस योजना के तहत शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उल्लास ऐप (अंडरस्टेन्डिंग ऑफ लाइफलोंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) पर ऑनलाइन मोड में किया गया।

ई - कक्षाएँ

- साक्षरता विभाग द्वारा सितम्बर, 2023 में मिशन ज्ञान के सहयोग से 2 यू-ट्यूब चैनल **'ई-साक्षरता' एवं 'उल्लास राजस्थान'** प्रारम्भ किए गए है।

महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय

- यह नव-साक्षरों को शिक्षा की सुविधा हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित हो रहे है।
- इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य एवं अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नियमित पत्र - पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
- महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों की संख्या 14,970 है।
- प्रत्येक लाइब्रेरी को प्रति माह ₹500 नियमित व्यय के रूप में दिए जा रहे हैं।

महिला शिक्षण विहार:

- यह 15-30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए 10वीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं।
- इन महिलाओं को उनके जीवन स्तर को विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है।
- वर्तमान में यह शिक्षण विहार कार्यक्रम जिला झालावाड़ में संचालित किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन का कार्य करता है।
- वर्तमान में राजस्थान में महाविद्यालयों की संख्या 3,218 है। इनमें से राज्य में 596 राजकीय महाविद्यालय, 20 राजकीय विधि महाविद्यालय, 48 राजकीय कृषि महाविद्यालय, 1,589 निजी महाविद्यालय, 957 शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं।

उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देना:

मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना

- यह योजना विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए है।
- **उद्देश्य:** शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति करना एवं आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना।

दूरस्थ शिक्षा योजना

- यह योजना लड़कियों के लिए राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है।
- **उद्देश्य:** उन लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना

- यह योजना मेधावी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

- **उद्देश्य:** राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेकर पढ़ाई हेतु प्रेरित करना।
- इसके तहत जिन मेधावी छात्राओं ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, उन्हें स्कूटी प्रदान की जाती है।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना

- **उद्देश्य:** राज्य में छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने एवं राज्य की कम महिला साक्षरता दर को दूर करना।
- इसमें राज्य के अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएँ जिन्होंने RBSE/CBSE द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, पात्र हैं।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए, बालिकाओं को राज्य में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में एक नियमित छात्रा होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य:** शैक्षिक स्तर को बढ़ाना एवं निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करना।

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेशों के टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) तथा भारत के NIRF रैंकिंग में शीर्ष 1–50 संस्थानों में अध्ययन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) के लिए इस योजना हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)

- पीएम-उषा भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजना (60:40) है।
- इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, शोधपरक और रोजगारोन्मुख बनाना है।
- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाँच स्तंभों—सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता पर आधारित है।
- इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक और भौतिक ढांचे को सुदृढ़ किया जाता है।

नवाचार, कौशल विकास एवं अधोसंरचना विस्तार

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

- छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए राज्य के 314 राजकीय महाविद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम

- युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्योग-उन्मुख कौशल विकसित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

- राजस्थान में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य छात्रों को विशिष्ट व्यापार एवं व्यवसायों में विशिष्ट कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में कुल 73 (19 राजकीय तथा 54 निजी महाविद्यालय) अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है।
- राज्य में प्रबन्धन शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के 52 प्रबन्धन संस्थान (07 राजकीय एवं 45 निजी संस्थान) हैं।

प्रमुख तकनीकी संस्थान	❑ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), जोधपुर ❑ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), कोटा ❑ मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर ❑ राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ❑ बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर ❑ MBM विश्वविद्यालय, जोधपुर ❑ महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
प्रमुख	❑ मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ❑ गोविंद. गुरू जन जाति विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा ❑ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
प्रमुख प्रबंधन संस्थान	❑ भारतीय प्रबन्धान संस्थान (IIM) उदयपुर

- राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 137 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है।
- राजस्थान में कुल 314 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है तथा 1,385 कार्यरत निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं।

चिकित्सा शिक्षा

- राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक 49 मेडिकल कॉलेज हैं।
- इनमें से 6 राजकीय, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) का संघटक कॉलेज, 24 राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, 2 ESI कॉलेज (अलवर एवं जयपुर), एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व शेष 15 निजी क्षेत्र में हैं।

- राज्य में वर्ष 2023-24 एवं 5 मेडिकल कॉलेज (बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू एवं सवाई माधोपुर) प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीट क्षमता के साथ शुरू किए गए हैं।
- राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा 15 नये मेड़िकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें केन्द्र व राज्यों में वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।
- राज्य में 17 दन्त चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 02 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) का संघटक कॉलेज व 15 निजी क्षेत्र में संचालित हैं।

संस्कृत शिक्षा

- राजस्थान में संस्कृत भाषा के लिए वर्ष 1958 से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है।
- वर्ष 1998 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
- राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए कुल 2,374 संस्थान हैं।
- राज्य में **"राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" (SSIERT) महापुरा, जयपुर में** संचालित है।

भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा

- राजस्थान में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई।
- वर्तमान में राज्य में कुल 323 पुस्तकालय संचालित हैं।
- राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर ने पहली बार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंडिफिकेशन (RFID) प्रणाली** शुरू की है।

सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र

- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए 33 जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- प्रत्येक केंद्र में विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन एवं परीक्षा तैयारी हेतु एक मार्गदर्शक उपलब्ध है।

प्रगतिशील राज्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ाना

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रदर्शनी, कार्यशाला और सेमिनारों के माध्यम से छात्रों और आमजन में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाता है।
- 4 जुलाई 2025 को जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल तारामंडल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
- **राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र, जोधपुर** राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाएं बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं अन्य आधारभूत ढांचे से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाता है।
- विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए **कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में** नए विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

पेटेंट सूचना केंद्र (PIC), जयपुर

- बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित किया गया है।
- यह केंद्र पेटेंट तथा भौगोलिक संकेत (GI) से संबंधित जानकारी और जागरूकता प्रदान करता है।

KARYA कार्यक्रम

- नॉलेज ऑग्मेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स (KARYA) कार्यक्रम के तहत विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को शोध संस्थानों में इंटर्नशिप और अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप दी जाती है।
- KARYA-2025 के अंतर्गत 63 विद्यार्थियों को अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की गई।

राज्य नवाचार पुरस्कार

- 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राजस्थान राज्य नवाचार परिषद द्वारा नवाचार पुरस्कार प्रदान किए गए।
- पुरस्कार दो श्रेणियों — जमीनी स्तर और उच्च शिक्षण संस्थान में दिए गए।

❖❖❖❖

अध्याय -4
सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

विजन स्टेटमेंट - विकसित राजस्थान@2047

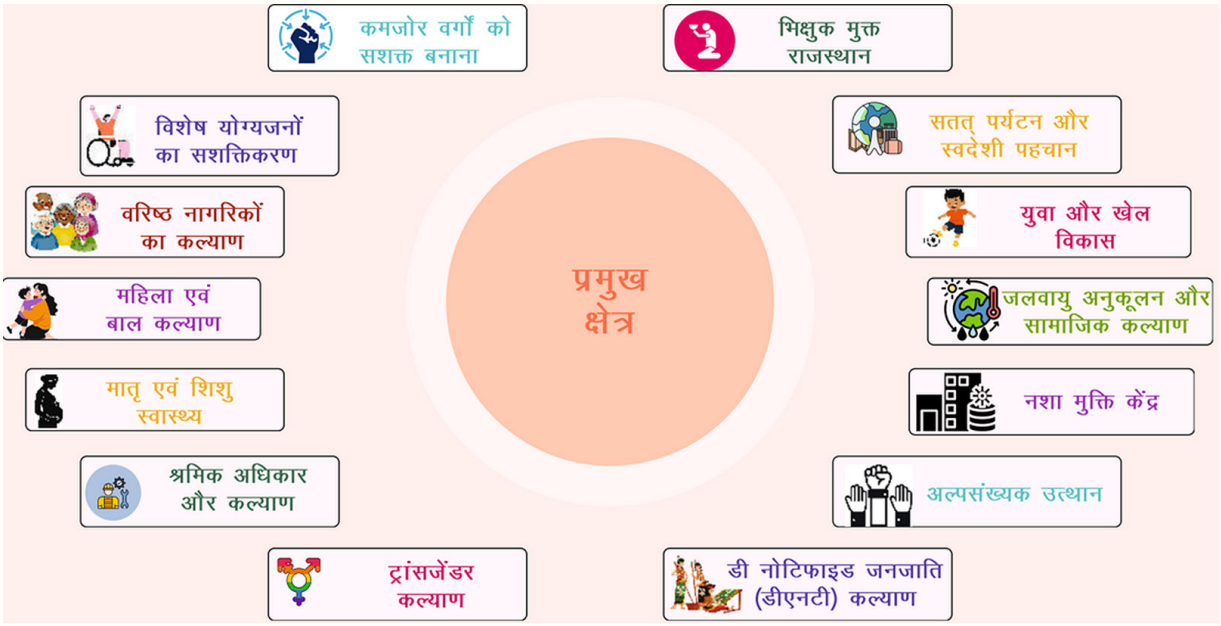

- सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण विशेष रूप से पिछड़े हुए समुदायों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते है।

सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

- राजस्थान ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के बीच सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों के कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- SDG इण्डिया इंडेक्स के अनुसार राजस्थान ने "गरीबी का अंत" (लक्ष्य-1) में उल्लेखनीय सुधार के साथ 19 अंकों की वृद्धि हुई है।
- राजस्थान में "भुखमरी समाप्त करना" (लक्ष्य-2) में 11 अंकों की वृद्धि हुई। (खाद्य सुरक्षा में सुधार)
- अच्छे स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना (लक्ष्य-3, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य-4), लैंगिक समानता (लक्ष्य-5), शुद्ध जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य-6) तथा असमानताओं में कमी (लक्ष्य-10) के क्षेत्रों में क्रमश: 3, 3, 13, 6 और 4 अंकों की वृद्धि हुई है।

लक्षित समूह एवं कवरेज रूपरेखा

- यह अध्याय चार प्रमुख श्रेणियों के तहत हितधारकों का विवरण प्रस्तुत करता है:

1. शैक्षिक विकास	2. आर्थिक विकास
■ शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच सुनिश्चित करना।	■ व्यक्तियों और समुदायों के आर्थिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना।
3. समाज कल्याण	**4 सामाजिक सुरक्षा**
■ जरूरतमंद और वंचित व्यक्तियों तथा परिवारों के जीवन में सुधार लाना।	■ व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाने हेतु वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करना।

लैंगिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

- लैंगिक सशक्तीकरण का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पूर्ण क्षमताओं के साकार रूप को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- इस हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित है-

शैक्षिक विकास

"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना

- यह भारत सरकार की योजना है।

- **उद्देश्य:** लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना हैं।
- इसके तहत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियाँ आयोजित जाती है।

काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना

- यह योजना 2019-20 में प्रारम्भ की गई।
- उद्देश्य: विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं एवं बालिकाओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- यह योजना राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत प्रवेश शुल्क, पुनः/आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है।

आर्थिक विकास

स्वयं सहायता समूह (SHG) को समर्थन

- अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है।
- यह स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का सशक्त मंच प्रदान करता है।
- राज्य सरकार मेलों और उत्सव हेतु भागीदारी के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता हैं।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

- यह योजना महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य बनाती है।
- इसके माध्यम से महिलाओं को नए उद्यम शुरू करने तथा मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- व्यक्तिगत लाभार्थियों या स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹50 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
- स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

- यह योजना महिलाओं को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
- इससे महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है।

योजना के अंतर्गत प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण।
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण।
- निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट (RSCSEP) प्रशिक्षण।
- कौशल सामर्थ्य योजना।

मुख्यमंत्री वर्क फॉम होम-जॉब वर्क योजना

- घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है।
- इस हेतु पोर्टल पर महिलाएं और नियोक्ता पंजीकरण कर सकते हैं।
- इनमें वस्त्र निर्माण, ऑनलाइन परामर्श, शिक्षण, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा प्रविष्टि, लेखा, वस्तु एवं सेवा कर (GST) फाइलिंग, आभूषण निर्माण, पैकेजिंग और चिकित्सा परामर्श जैसे कार्य शामिल हैं।

सामाजिक कल्याण

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

- **लक्ष्य:** समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, BPL परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु ₹31,000 की राशि प्रदान की जाती है।
- इसमें 10वीं पास कन्याओं के लिए ₹10,000 (कुल ₹41,000) और स्नातक पास कन्याओं के लिए ₹20,000 (कूल ₹51,000) की राशि दी जाती है।
- इसके अलावा BPL परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्जन व्यक्तियों, पालनहार लाभार्थियों और **18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह** हेतु ₹21,000 का प्रावधान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, 10वीं पास कन्याओं के लिए ₹10,000 और स्नातक पास कन्याओं के लिए ₹20,000 की राशि दी जाती है |

विधवा विवाह उपहार योजना

- यदि कोई विधवा महिला, जो पेंशन योजना की लाभार्थी है, विवाह करती है, तो राज्य सरकार उसके विवाह पर **₹51,000 की राशि उपहार स्वरूप** प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना

- इसके तहत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और BPL परिवारों को **₹450 प्रति गैस सिलेंडर देने** का प्रावधान है।
- इसे विस्तारित करते हुए, अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत आने वाले परिवारों को भी **₹450 में LPG सिलेंडर** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रत्येक NFSA परिवार को प्रतिमाह 1 सिलेंडर दिया जाएगा, अर्थात 1 साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे।

किशोरी बालिका योजना

- **उद्देश्य:** 14-18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
- इसके तहत एक सहयोगी वातावरण तैयार किया जाएगा जो उनके आत्म-विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- इसे 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही) में शुरू किया गया।

महिला कल्याण कोष

- यह कोष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा सहयोगिनियों के कल्याण के लिए स्थापित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इसमें अर्द्धवार्षिक आधार पर अंशदान किया जाता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक ₹750 तथा सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के लिए ₹376 का अंशदान निर्धारित है।
- इस कोष के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को ₹10,000 का बीमा संरक्षण प्रदान किया जाता है।

महिला विकास कार्यक्रम

- **उद्देश्य:** महिलाओं को सशक्त बनाना।
- यह कार्यक्रम "साथिनों" के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। "साथिन" सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरूद्ध, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा प्रदान करती हैं।
- वर्तमान में 10,908 साथिनें महिलाओं को जागरूक करने हेतु कार्यरत है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना

- **उद्देश्य:** दहेज प्रथा को समाप्त करना और शादी पर होने वाले व्यय को कम करना।
- प्रत्येक जोड़े को ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ₹21,000 वधू को और ₹4,000 आयोजन समिति को प्रदान किये जाते है।
- इसके अतिरिक्त, सामूहिक विवाह में 25 या अधिक जोड़े शामिल (विभिन्न जाति/धर्मों/ समुदायों से) होते हैं, तो आयोजन संस्था को विवाह कार्यक्रम के लिए **₹10 लाख तक की राशि** प्रदान की जाती है।

लाडो प्रोत्साहन योजना

- यह योजना 1 अगस्त, 2024 को प्रारंभ की गई।
- **उद्देश्य:** बालिका के जनम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उसके समग्र विकास को सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य:** समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना।
- इस योजना के तहत **₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता 7 किश्तों में** प्रदान की जाती है।
- इनमें 6 किश्तें अभिभावक को दी जाती हैं, जबकि 7वीं किश्त बालिका के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- **पात्रता:** माँ राजस्थान की निवासी हो और बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।

कालीबाई भील उड़ान योजना

- इसके तहत राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है।
- राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजीविका सैनिटरी नैपकिन खरीदकर आँगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करते हैं।

181 महिला हेल्पलाईन

- राज्य में 24x7 महिला हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई है।
- **उद्देश्य:** महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देना।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013

- इसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को "आंतरिक समिति" का गठन करना आवश्यक है।
- प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति

- **लक्ष्य:** अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण, सुरक्षा एवं संरक्षण।
- यह समिति तीन स्तरों पर कार्य करती है:
  - विभागीय स्तर (**अध्यक्षता:** विभागीय आयुक्त)
  - जिला स्तर (**अध्यक्षता:** जिला कलेक्टर)
  - उप-जिला स्तर (**अध्यक्षता:** उप-जिला मजिस्ट्रेट)

मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना

- यह योजना मातृ स्वास्थ्य में सुधार और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई।
- योजना के तहत 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 5 महीनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण किट प्रदान की जाएगी।
- इस किट में खजूर, घी, भुनी मूंगफली, भुने चने, गुड़ और मखाना जैसे पोषक खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान

- यह हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA), जयपुर में स्थित है।
- इसका उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
- यह संस्थान वर्तमान में प्रबंध अध्ययन केन्द्र (CMS) के अधीन कार्यरत है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा महिला-केंद्रित योजनाओं के मूल्यांकन और शोध में सहयोग प्रदान करता है।

महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब

- 'एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम' के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए **"मिशन शक्ति" नामक अंब्रेला योजना** को आरंभ किया है।
- "मिशन शक्ति के तहत **'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत** राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र राज्य हब और जिले स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र जिला हब स्थापित किए गए हैं।
- इसका हब का संचालन केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना

- यह योजना महिलाओं की विशिष्ट पहचान स्थापित करने और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सम्मानित करने हेतु शुरू की गई।
- **लक्ष्य:** महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन देना।
- इसके तहत पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार 4 प्रमुख श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं-
  - बालिका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य हेतु (अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति को)।
  - महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्था को।
  - श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता
  - श्रेष्ठ दानदाता / कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि

पोषण संबंधी प्रमुख गतिविधियाँ

राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, 2025

- 8 से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान ने 1.18 करोड़ गतिविधियों का पंजीकरण किया।
- इस उपलब्धि के साथ राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय पोषण माह, 2025

- 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025 तक 8वाँ राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। राजस्थान ने 109.91% उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

पोषण अभियान

- राजस्थान में आंगनवाड़ी सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लागू किया गया है।
- यह एप्लीकेशन राजस्थान के सभी जिलों में संचालित है।

सामाजिक सुरक्षा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

- इसके तहत, BPL परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को **₹1,250 प्रति माह** तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को **₹1,500 प्रति माह** प्रदान किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए ₹300 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹500 का केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

- इसके तहत 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को **₹1,250 प्रति माह** तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को **₹1,500 प्रति माह** पेंशन प्रदान जाती है। इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय **₹48,000 से कम** होनी चाहिए।

सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन

- यह केन्द्र संकटग्रस्त महिलाओं हेतु आश्रय, देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल है।
- इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा, शोषण या अन्य कठिन परिस्थितियों से सुरक्षा और सहयोग मिलता है।

शक्ति सदन योजना

- **उद्देश्य:** संकटग्रस्त महिलाओं को, जिनमें घरेलू हिंसा और शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को शरण व सहायता प्रदान करना।
- यह योजना महिलाओं को कानूनी, स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक सहायता देने के लिए है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (MSSK)

- इन केंद्रों की स्थापना राज्य के 41 पुलिस जिलों में की गई।
- यह पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी, पुलिस और चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं।
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र राज्य के 266 स्वीकृत केंद्र में से 262 पुलिस सर्किलों में कार्यरत है।
- प्रत्येक केंद्र हेतु चयनित गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख की सहायता राशि देय है।

वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र

- यह हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पर 24X7 घंटे सहायता प्रदान करती है।
- इसके तहत चिकित्सा, पुलिस, कानूनी, परामर्श और अस्थायी आश्रय सेवाएं एक जगह उपलब्ध कराई जाती है।
- **उद्देश्य:** समय पर राहत, न्याय और पुनर्वास प्रदान करना है।
- राजस्थान में 52 वन स्टॉप सेंटर/सखी केंद्र संचालित किए जाते है।
- प्रत्येक केन्द्र के संचालन हेतु प्रतिमाह ₹3 लाख का बजट प्रावधान है।

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र

- ये केंद्र सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए गए हैं।
- इनके माध्यम से महिलाओं को उनके मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किये जाते हैं।
- यह केंद्र महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने में सहायता प्रदान करता है।

बाल कल्याण एवं सशक्तीकरण

- सरकार बच्चों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इसके अंतर्गत बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाली निम्नलिखित नीतियाँ शुरू की गई है-

शैक्षणिक विकास

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

- **उद्देश्य:** पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना।
- इस हेतु व्यावसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामाजिक कल्याण

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

- यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए है।
- इसके तहत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका को तात्कालिक सहायता के रूप में **₹1 लाख की एकमुश्त** सहायता, 18 वर्ष की आयु तक **₹2,500 प्रतिमाह** एवं **₹2,000 वार्षिक सहायता** राशि देय है।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर **₹5 लाख की सहायता** राशि देय है।
- ऐसे बच्चों को सरकारी विद्यालयों /छात्रावासों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, कॉलेज छात्रावासों में प्राथमिकता और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है।
- इसके अतिरिक्त, विधवा महिला को **₹1 लाख की तत्कालिक सहायता** के साथ ही **₹1,500 प्रतिमाह** पेंशन देय है।
- इसके अलावा विधवा के बच्चों को **18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह** एवं **₹2,000 वार्षिक** सहायता राशि देय है।

समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS)

- यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1975 को प्रारंभ किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
  - बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
  - मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की दर को घटाना।
  - बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और क्रियान्वयन का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
  - बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए माँ को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं।
- इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में 41 परियोजनाएं जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष 300 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

- यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- **उद्देश्य:** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना।
- **लक्ष्य:** स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना।
- पहले बच्चे के लिए पात्र लाभार्थियों को ₹5,000 दो किस्तों में (₹3,000 और ₹2,000) दिए जाते हैं।
- यदि दूसरा बच्चा लड़की हो, तो शर्तों और दस्तावेजों की जांच के बाद **₹6,000 की एकमुश्त राशि** दी जाती है।
- राज्य सरकार 1 अप्रैल 2024 से पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को **₹1,500 अतिरिक्त राशि** दे रही है।
- इसके अलावा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए यह राशि 1 सितंबर 2024 से **₹6,500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर** दी गई।

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना

- उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना।
- इससे जन्म के समय कम वजन और कुपोषण की समस्या को कम करने का प्रयास किया जाता है। योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह राशि 3 किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

नन्द घर योजना

- इस योजना का उद्देश्य एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।
- इसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण, नवीनीकरण और सुविधाओं के विस्तार किया जाता है।
- इस पहल के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है।

PM पोषण योजना (मिड-डे-मील योजना)

- **उद्देश्य:** सरकारी विद्यालयों में कक्षा-प्री प्राईमरी से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
- यह योजना नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करने में सहायक रही।
- इस योजना के तहत वितरण किये जाने वाले भोजन में विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 100 ग्राम अनाज (गेहूँ / चावल) प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है।
- इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रतिछात्र 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ / चावल) उपलब्ध कराया जाता है।

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना

- इसके तहत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सप्ताह में 6 दिवस स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है।
- **उद्देश्य:** विद्यार्थियों को दूध द्वारा पोषण स्तर सुधार कर समग्र स्वा_स्थ्य में सुधार और शैक्षिक विकास करना।
- प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक का विद्यार्थी-15 ग्राम दूध पाउडर (150 मिलीलीटर गर्म दूध) और 8.4 ग्राम चीनी प्रतिदिन।
- 6वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी-20 ग्राम दूध पाउडर (200 मिलीलीटर गर्म दूध) और 10.2 ग्राम चीनी प्रतिदिन।
- राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ₹421 प्रति कि-लोग्राम की दर से 1 किलोग्राम पैकिंग मिल्क पाउडर की विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री अमृत आहार (आंगनवाड़ी दूध वितरण योजना)

- यह योजना 14 दिसम्बर 2024 से राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में लागू की गई।
- योजना का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को कम करना है। इसके अंतर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 100 मिलीलीटर मीठा एवं गर्म दूध दिया जाता है। वर्तमान में यह योजना सप्ताह में 5 दिन संचालित की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा

पालनहार योजना

- यह राजस्थान सरकार की एक नकद हस्तांतरण योजना है।
- यह कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रारम्भ की गई। प्रारंभ में यह अनसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में इसे सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए कर दिया गया है।
- इस योजना में बंदी माता-पिता, विधवाओं, पुनर्विवाहित विधवाओं, कुष्ठ रोग या HIV/AIDS से संक्रमित माता/पिता, विशेष योग्यजन माता-पिता और अन्य कमजोर समूहों के बच्चे शामिल है।
- इस योजना के तहत 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं। (नामांकन विद्यालय में हो)
- अन्य श्रेणियों में 0-6 वर्ष के बच्चों का ₹750 प्रति माह और 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500 प्रति माह दिया जाता है।
- इसके अलावा कपड़े और आवश्यकताओं के लिए ₹2,000 की वार्षिक एकमुश्त राशि दी जाती है।

मिशन वात्सल्य योजना (CPS)

- यह योजना अनाथ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कमजोर बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित है।
- यह बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थानों को सशक्त बनाने, परिवार केंद्रित देखभाल को प्रोत्साहित करने, बाल तस्करी को रोकने पर फोकस करती है।
- यह एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जिसके तहत् केन्द्र व राज्य का अनुपात 60:40 है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- इस अधिनियम के तहत बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए विभाग विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर जाग-रूकता अभियान चलाता है।
- राज्य में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान प्रारम्भ किया गया है।
- इस अभियान के अंतर्गत 9 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है।

लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012

- उद्देश्य: बच्चों को लैंगिक अपराध, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करना।
- इसके तहत पीड़ित बच्चों को बाल मित्र (सपोर्ट पर्सन) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य में वर्तमान में 88 बाल मित्र कार्यरत हैं।

चाइल्ड हेल्पलाइन (1098)

- बच्चों को कठिन परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए 24×7 चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) संचालित की जा रही है।
- यह सेवा राज्य के 33 जिलों और 5 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक समावेशन

- **अनुसूचित जाति, जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है-**

शैक्षणिक विकास

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां

- यह छात्रवृत्तियां SC, ST, OBC अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही हैं।
- **पात्रता:** जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की **वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक** और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹5 लाख तक हो।

छात्रावास सुविधा

- **पात्रता:** SC, ST, OBC, SBC और EWS, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु, स्वच्छकार, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- इन छात्रावासों में आवास, भोजन, नाश्ता, जूते, पोशाक, कोचिंग आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

आवासीय विद्यालय

- राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (RREIS) द्वारा SC, ST, OBC/SBC एवं EWS के गरिबी रेखा के नीचे जीक्र वनयापन करने वाले परिवारों के लिए 42 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं।
- यह सुविधा ₹8 लाख प्रतिवर्ष तक पारिवारिक आय वाले परिवारों के लिए लिए है।
- इन विद्यालयों में सुविधाओं के तौर पर आवास, भोजन, पौशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

- **उद्देश्य:** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा, रीट, पटवारी, कांस्टेबल और अन्य परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना।
- यह योजना SC, ST, OBC, SBC, अल्पसंख्यक समुदाय, EWS और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक है या जिनके माता-पिता सरकारी सेवा (विशिष्ट वेतन मानदंड के अन्तर्गत) में कार्यरत है।

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना

- **पात्रता:** ऐसे विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर सरकारी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में (केवल कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में) पढ़ाई कर रहे हो।
- इस योजना में शामिल विद्यार्थियों को आवास, भोजन एवं बि-जली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में **₹2,000 प्रतिमाह** (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह हेतु) देय है।
  - इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी - 1,500
  - अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी - 750
  - अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी - 500

सामाजिक कल्याण

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

- इस योजना का उद्देश्य सवर्ण हिन्दू और अनुसूचित जाति के व्यक्ति-यों के बीच अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।

प्रोत्साहन राशि

श्रेणी	विवरण
31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाह	प्रति दम्पति ₹5 लाख सहायता – ₹1.25 लाख केन्द्र सरकार तथा ₹3.75 लाख राज्य सरकार द्वारा।
1 अप्रैल 2023 के बाद पंजीकृत विवाह	प्रति दम्पति ₹10 लाख – ₹2.50 लाख संयुक्त बैंक खाते में जमा, ₹2.50 लाख पे-मैनेजर के माध्यम से भुगतान तथा ₹5 लाख आठ वर्षों के लिए सावधि जमा (FD)।

- कुल राशि में ₹1.25 लाख केन्द्र और ₹8.75 लाख राज्य सरकार का अंश है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

- यह योजना अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संचालित है।
- इसके अंतर्गत जिला और राज्य स्तर पर समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना में परियोजना लागत का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो) तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
- पात्रता के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि ₹2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा

- राज्य के जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को खाद्य तेल, घी एवं दाल उपलब्ध करवाया जाता है।
- वर्तमान में बारां जिले की सहरिया तथा उदयपुर जिलें की कथौडी एवं खैरवा जनजाति को प्रतिमाह परिवार के प्रति सदस्य 250 मि.ली. घी, 500 मि.ली. खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
- सामग्री का लाभार्थियों को वितरण प्वाईट ऑफ सेल (POS) मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कराया जाता है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)

- यह भारत सरकार की पहल है।
- उद्देश्य: विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- इसके तहत बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे आवासहीन सहरिया PVTG परिवारों को सहायता दी जाती है।
- प्रत्येक आवास के लिए ₹2.37 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आवास निर्माण, शौचालय निर्माण तथा मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिक मजदूरी शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

- SC और ST के व्यक्तियों पर हुए अत्याचार के मामलों में, पीड़ित या उनके आश्रितों को अपराध के प्रकार के आधार पर ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- FIR, चालान और दोषसिद्धि के दौरान ₹10,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- मृतक पीड़ितों की विधवाओं या उनके आश्रितों को ₹5,000 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है।
- इसके तहत केन्द्र और राज्य के बीच वित्त पोषण समान अनुपात में होता है।

विशेष योग्यजन व्यक्ति

विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है-

शैक्षणिक विकास

विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना

- **पात्रता:** राजकीय एवं राज्य/केन्द्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो।
- कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को **₹500 प्रतिमाह** तथा कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ₹600 प्रतिमाह देय है।

दो दिव्यांग विश्वद्यालय

- विशेष योग्यजनो की शिक्षा व शोध हेतु बाबा आम्टे दिव्यांग वि-श्वविद्यालय, जयपुर एवं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर स्थापित किए गए हैं।

आर्थिक विकास

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

- **पात्रता:** ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाता है, जिनकी स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो।
- इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु **₹5 लाख तक का ऋण** दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ₹50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50% तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।

संयुक्त सहायता अनुदान

- इस योजना के तहत पात्र विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो), को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट फोन, जयपुर फुट/जूते/पाम पेड आदि प्रदान करने के लिए **₹20,000 तक की आर्थिक सहायता** उपलब्ध करवाई जाती है।

सामाजिक कल्याण

सुखद दाम्पत्य योजना

- इसके तहत विशेष योग्यजन (पुरूष/स्त्री) को विवाह पश्चात् सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु **₹50,000 की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- इसके अतिरिक्त आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए भी **₹20,000 की सहायता** प्रदान की जाती है।
- युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर **₹5 लाख की आर्थिक सहायता** प्रदान की जाती है।

यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड योजना

- **उद्देश्य:** विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण।
- भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विशेष योग्यजनों की **21 श्रेणियों** के तहत चिह्नित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण किया जाता है।

दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति, 2025

- यह नीति राज्य सरकार द्वारा कार्यस्थल पर दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु है।
- इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों में कार्यरत विशेष योग्यजनों को कार्यकुशलता के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना

- इसके तहत मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को उनकी जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

- प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर 3 दिसम्बर (अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस) को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए जाते हैं:
  1. विशेष योग्यजनों द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि।
  2. विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, संगठन या संस्थाएँ।
- चयनित पुरस्कारार्थियों को ₹10,000 से ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं।

कम्पोजिट रीजनल सेन्टर

- राजस्थान में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र (कम्पोजिट रीजनल सेन्टर) **जामड़ोली जयपुर** में किया जा रहा है।

स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केन्द्र

- दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए जामडोली (जयपुर) में स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।

मासिक अतिरिक्त आर्थिक सहायता

- 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन के अतिरिक्त ₹1,000 प्रति माह की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सामाजिक सुरक्षा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

- यह योजना 24 नवंबर, 2009 को शुरू की गई।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारी को ₹1,250 प्रतिमाह।
- 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को ₹300 एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ₹500 प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

- इस योजना में जन्म से लेकर सभी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है।
- कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को भी ₹2,500 प्रतिमाह पेंशन देय है।
- मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रतिमाह ₹1,500 पेंशन का प्रावधान है।
- **पात्रता:** परिवार की वार्षिक आय **₹60,000 अथवा कम** हो।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण एवं हित संरक्षण

- राजस्थान में वृद्धजनों हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है-

सामाजिक कल्याण

वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजना

- इसमें जरूरतमंद वृद्ध निराश्रित व्यक्तियों की समग्र देखभाल के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन होता है।
- इन संस्थानों में निवासियों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- इसमें लाभार्थियों में गरीब, निराश्रित एवं संतानहीन वृद्ध व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही वे बुजुर्ग भी जो अपने बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं।
- **उद्देश्य:** सामाजिक सुरक्षा और आवासीय सुविधाएं प्रदान करना।

सामाजिक सुरक्षा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर 19 नवद्र म्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई।
- इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध BPL परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है।
- 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को ₹200 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ₹500 केंद्र सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

- इसके तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को, जिनकी सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय **₹48,000 से कम** है। इसके तहत वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में **₹1,250 प्रतिमाह** प्रदान किये जाते हैं।

सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण

- राजस्थान में सर्वजन कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है-

आर्थिक विकास

गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना

- **उद्देश्य:** गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाना।
- गाड़िया लोहारों हेतु व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा कच्चा माल क्रय करने हेतु **जीवन में एक बार अनुदान** के रूप में **₹10,000 राशि** दिये जाने का प्रावधान है।

सामाजिक कल्याण

अन्त्येष्टि अनुदान योजना

- इसके तहत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को **₹5,000** दिये जाते हैं।

नवजीवन योजना

- **अवैध शराब के** निर्माण एवं भंडारण और बिक्री में **शामिल समुदायों को आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर/संसाधन** प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने और व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुरू की गई।

गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना

- गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा **ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज** एवं **शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूमि आवंटन** करने का प्रावधान है।
- **महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना** के तहत भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखण्ड होने पर 3 किश्तों में **₹1,20,000 देने** का प्रवधान है। (प्रत्येक किश्त में ₹40,000)

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना, 2024

- यह योजना 22 अक्टूबर 2024 से लागू की गई।
- इसका उद्देश्य विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
- प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की सहायता तीन किश्तों में दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 शौचालय निर्माण के लिए तथा मनरेगा के अंतर्गत 90 मानव दिवस तक ₹23,920 मजदूरी सहायता दी जाती है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण

- राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक समावेशन के लिए कई उपाय लागू किए गए हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 और नियम 2020 को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में 92वें स्थान पर शामिल किया गया है।
- विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी पेंशन दी जाती है।

सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

- **उद्देश्य:** कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के जरुरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति करना।
- उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूं का मासिक वितरण किया जाता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनवरी, 2024 से आगामी 5 वर्षों तक **अन्त्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं** और अन्य पात्र लाभार्थियों को **प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं** प्रति यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क देय है।
- इस योजना का लाभ आधारकार्ड एवं जन आधार कार्ड के माध्यम भी दिया जाता है।
- राज्य में NFSA लाभार्थियों की सीमा 4.46 करोड़ है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

- यह योजना लाभार्थियों को पूरे भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे प्रवासियों के लिए पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है।

गिव-अप अभियान

- यह अभियान 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ किया गया।
- उद्देश्य: पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहें और अपात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त न कर सके।
- इसके तहत खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ने का आग्रह किया गया।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 37.75 लाख सक्षम व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम NFSA सूची से हटवाया।

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (POS) मशीनों की स्थापना

- सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (POS) मशीने उपलब्ध करवाई गई हैं।
- इन दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण होता है। इस प्रणाली से कालाबाजारी को रोक कर लक्षित लाभार्थियों को उचित आपूर्ति प्रदान की जाती है।
- राज्य में **'डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी'** के तहत कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिलें में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।

स्मार्ट FPS योजना

- यह केंद्र सरकार की योजना है।
- **उद्देश्य:** उचित मूल्य दुकानों को स्मार्ट दुकानों तथा सार्वजनिक जागरूकता केंद्रों में परिवर्तित करना।
- राज्य के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पायलट परियोजना के तहत पहले चरण में 15 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया है और दूसरे चरण में 30 उचित मूल्य की दुकानों का चयन किया गया हैं।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (RSFCSCL)

- **उद्देश्य:** वस्तुओं और दैनिक आवश्यकताओं का उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना।
- **मुख्य कार्य:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ का परि-वहन करना |
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत **राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग** तथा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया।

- कुल 37 जिला आयोग व 6 क्षेत्रीय शाखाएँ (कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर) है।
- राजस्थान में 8 नए जिलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान अनुसार जिला आयोगों की स्थापना की अधिसूचना 16 मई, 2025 को जारी की गई।

राज्य उपभोक्ता समग्र निधि

- इस निधि का प्रारम्भिक गठन ₹10 करोड़ की राशि से किया गया था।
- इसमें भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 के अनुपात में रहा।
- वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा इस कोष में वृद्धि कर कुल कोष राशि ₹20 करोड़ कर दी गई।
- इस कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग राज्य में विभिन्न उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं समावेशन

- राजस्थान में अल्पसंख्यकों हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है-

शैक्षणिक विकास

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

- यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **पात्रता:** माता-पिता की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो और पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हो।

मैरिट कम मीन्स (MCM) छात्रवृत्ति

- यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के निम्न-आय वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **पात्रता:** अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो और अभ्यर्थी ने न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो।

छात्रावास

- राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु निःशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है।
- इसके तहत विद्यार्थियों को मैस खर्च के लिए **प्रतिमाह ₹3,250 तक की सहायता** 9.5 माह तक दी जाती है।

आर्थिक विकास

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC)

- यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की राज्य एजेंसी है।
- यह रियायती दरों पर मुख्यतः बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय के लिए ऋण देता है।

सामाजिक कल्याण

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

- इसका पूर्ववर्ती नाम बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था।
- यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है।
- **उद्देश्य:** अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करना।
- यह योजना विशिष्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य, कौशल विकास और शैक्षिक अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है
- इस योजना को 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया।
- इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावित क्षेत्र के 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से होनी अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

- **उद्देश्य:** पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करना।
- इसमें कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर एवं ई-लर्निंग उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।
- इसके तहत **प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹15 लाख** तथा **उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹25 लाख** तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- इसमें 90% व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाता है।

❖❖❖❖

अध्याय - 5
औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

विज़न स्टेटमेन्ट–विकसित राजस्थान@2047

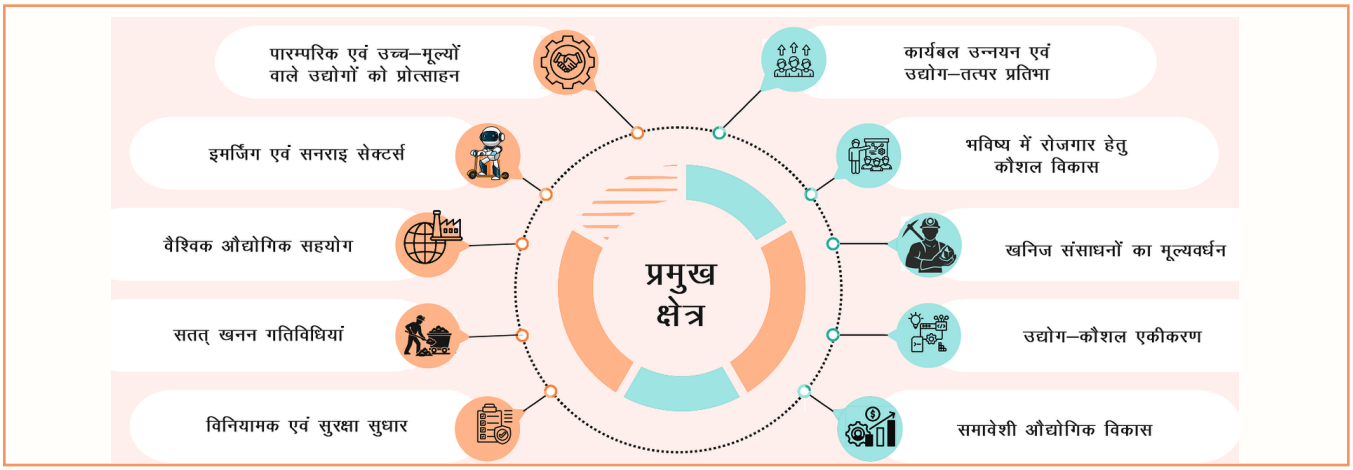

राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान

उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्द्धन :- उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएँ तथा खनन एवं उत्खनन शामिल हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर(2011-12) मूल्यों पर GSVA एवं वृद्धि दर

	2024-25	2025-26
प्रचलित मूल्यों पर GSVA	**4.25 लाख करोड़ रुपये**	**4.54 लाख करोड़ रुपये**
स्थिर मूल्यों पर GSVA	**2.32 लाख करोड़ रुपये**	**2.48 लाख करोड़ रुपये**
प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर	**7.33%**	**6.99%**
स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर	**5.87%**	**7.02%**

- उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल मूल्य वर्द्धन (GSVA) में 4.36% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।
- इसके अलावा प्रचलित मूल्यों पर GSVA में 8.98% प्रति वर्ष (CAGR) की वृद्धि को दर्शाता है।
- वर्ष 2025-26 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (GSVA) में **उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 26.55%** रहा है।

राजस्थान के GSVA में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं उद्योग क्षेत्र के उप-क्षेत्रों की संरचना

उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में GSVA में उप-क्षेत्रवार योगदान	उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में उपक्षेत्रों की वृद्धि दर
❑ विनिर्माण क्षेत्र: 40.52% ❑ निर्माण क्षेत्र: 35.02% ❑ खनन एवं उत्खनन क्षेत्र: 12.42% ❑ विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ: 12.04%	❑ विनिर्माण क्षेत्र: 7.84% ❑ निर्माण क्षेत्र: 8.27% ❑ विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ: 9.37% (सर्वाधिक वृद्धि वाला उपक्षेत्र) ❑ खनन एवं उत्खनन क्षेत्र: 1.41% **(कमी)**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह सूचकांक एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों (वृद्धि/ कमी) को मापता है।
- यह मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है।
- यह तीन प्रमुख समूहों यथा-विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है।

राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12)

क्षेत्र	2024-25	2025-26* (प्रावधानिक)
विनिर्माण	175.21	181.17
खनन	97.30	87.94
विद्युत	179.77	161.00
सामान्य सूचकांक	154.38	153.29

आधारभूत संरचना का विकास

- राजस्थान में वर्तमान में 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा 6 उप-केन्द्र हैं।
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) द्वारा अब तक 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। **वर्ष 2025-26 में रीको द्वारा राज्य में 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया:**

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र	जिला
1	अजयमेरु पालरा विस्तार	अजमेर
2	बोरावास द्वितीय चरण	बालोतरा
3	सिरेमिक पार्क गजनेर	बीकानेर
4	धुंवाला	भीलवाड़ा
5	महुवा कलां	भीलवाड़ा
6	पंडेर	भीलवाड़ा
7	आईटी पार्क	अजमेर
8	बंजारी सुहागपुरा	बांसवाड़ा
9	भिंडर, सगतपुरा	उदयपुर
10	रूँध सौंखरी, कठूमर	अलवर
11	कचारिया, किशनगढ़	अजमेर
12	स्टोन पार्क, गुंडी फतेहपुर	कोटा
13	वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क, गुंडी फतेहपुर	कोटा
14	पीपलखेड़ी	बारां
15	केकड़ी विस्तार	अजमेर
16	टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली	भीलवाड़ा
17	बरौली	धौलपुर
18	पीपलूंद	भीलवाड़ा
19	कीड़ीमाल	भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (RIICO)

- यह राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है।
- यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं औद्योगिक इकाई हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है।

नीति	मुख्य बिंदु
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS 2024)	❑ 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च। ❑ **उद्देश्य:** राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। ❑ योजना विनिर्माण, सेवाएँ, MSME, स्टार्ट-अप, R&D, GCC, औद्योगिक अवसंरचना और निर्यात संवर्द्धन पर केंद्रित। ❑ औद्योगिक विकास में नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को प्रोत्साहन। ❑ दिसम्बर 2024 तक 410 इकाइयों को पात्रता जारी। ❑ निवेश प्रोत्साहन: विनिर्माण में ₹50 करोड़+ और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़+ (पर्यटन ₹10 करोड़+) निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% निवेश सब्सिडी। ❑ वैकल्पिक रूप से वाणिज्यिक उत्पादन के बाद पूंजीगत सब्सिडी या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन। ❑ अतिरिक्त प्रोत्साहन: नियोक्ता बूस्टर (10–15%), थ्रस्ट बूस्टर (10%), एंकर बूस्टर (20%)। ❑ मुख्य छूटें: 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी/बाजार शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% प्रतिपूर्ति।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, 2025	❑ उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स अवसंरचना सुदृढ़ करना, लागत कम करना और निजी निवेश आकर्षित करना। ❑ साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि परियोजनाओं हेतु पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% पूंजी अनुदान (10 वर्षों में; अधिकतम ₹5–50 करोड़ प्रति वर्ष)। ❑ परियोजनाओं के लिए 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान (अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष)। ❑ श्रमिक प्रशिक्षण हेतु 6 माह तक प्रशिक्षण लागत का 50% (अधिकतम ₹4,000 प्रति माह प्रति श्रमिक) प्रतिपूर्ति। ❑ स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% प्रतिपूर्ति, साथ ही 7 वर्षों तक विद्युत व मण्डी शुल्क में 100% छूट। ❑ प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु ट्रैकिंग उपकरण, लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर, फायर डिटेक्शन सिस्टम और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर विभिन्न प्रतिपूर्ति/ग्रीन प्रोत्साहन। ❑ सभी प्रोत्साहन RIPS-2024 के प्रावधानों के अनुरूप।
राजस्थान डेटा सेंटर नीति, 2025	❑ 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित; उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना। ❑ क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई-गवर्नेंस, AI, बिग डेटा और डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा। ❑ उद्यमों को निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन में से विकल्प; प्रथम तीन मेगा/अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं को विशेष सनराइज प्रोत्साहन। ❑ भवन मानदंडों में लचीलापन—उच्च FAR, फ्लेक्सिबल ग्राउंड कवरेज, मॉड्यूलर डेटा सेंटर इकाइयाँ, मल्टी-लेवल DG स्टैकिंग व आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र। ❑ डेटा सेंटर को ESMA के अंतर्गत आवश्यक सेवा घोषित; 24×7 संचालन व सुरक्षा नियमों के तहत सभी पारियों में महिलाओं के नियोजन की अनुमति; श्रम कानूनों हेतु Self-Certification सुविधा। ❑ नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण व ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन तथा टियर-2 और टियर-3 शहरों में डेटा सेंटर विकास को प्राथमिकता।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA)

- इस क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।
- इसे विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) के रूप में अधिसूचित किया गया।
- इसका क्रियान्वयन रीको द्वारा किया जाएगा।
- इसमें रीको को JPMIA विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।
- इस परियोजना को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (KBNIR)

- यह 165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांव शामिल हैं।
- इसे 28 दिसंबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) के रूप में अधिसूचित किया गया। इसी अधिसूचना में रीको को KBNIR विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

औद्योगिक पार्क एवं विशेष निवेश क्षेत्र

- एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) के डाउन-स्ट्रीम उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने के लिए 700 हेक्टेयर भूमि पर राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) विकसित किया जा रहा है।
- पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए थौलाई (जमवारामगढ़), जयपुर और गुण्दी-फतेहपुर (रामगंज मंडी), कोटा में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क विकसित किए गए।
- गुण्दी-फतेहपुर, कोटा में एक स्टोन पार्क स्थापित किया गया है।
- कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया गया है।
- राज्य में कच्चे माल के उपयोग और निवेश आकर्षित करने के लिए दो सिरेमिक एवं ग्लास जोन सोनियाना, चित्तौड़गढ़ और गजनेर, बीकानेर में विकसित किए जा रहे हैं।
- हस्तशिल्प और फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोरानाडा एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र (जोधपुर) में हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क विकसित किया गया है।
- भारत सरकार की पहल के तहत जयपुर में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।

कनेक्टिविटी

- औद्योगिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी, उत्पादन क्षमता एवं परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

- DMIC भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य:** भारत के 2 प्रमुख शहरों - दिल्ली और मुंबई के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना है।
- फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किमी. के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयन किया गया है।
- इसके प्रथम चरण में राजस्थान में **2 नोड** - खुशखेड़ा-भिवाड़ी -नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।
- इन दोनों नोड्स के विकास हेतु एक संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कम्पनी - राजस्थान इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन (RIDC) की स्थापना 15 मार्च, 2022 को की गई।

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

- यह कॉरिडोर भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है।
- इसका उद्देश्य देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है।
- दादरी (उत्तर प्रदेश, और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (मुम्बई) के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।
- इसकी कुल लम्बाई लगभग 1,504 किमी. है।
- इस कॉरिडोर का लगभग 39% हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से होकर गुजरता है।
- जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हवाई मार्ग द्वारा निर्यात की सुविधाएँ उपलब्ध है।
- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (RSIC) **जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में** शुष्क बंदरगाहों (इनलैंड कंटेनर डिपो) के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों/आयातकों को सेवाएँ प्रदान करता है।
- राजसीको ने आयातकों एवं निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने हेतु एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, राजसीको, सांगानेर (जयपुर) से **बॉन्डेड ट्रक सुविधा** भी शुरू की है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

- ये औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत **14 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों** का गठन किया गया है।
- उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला केन्द्र में **MSME निवेशक सुविधा केन्द्र (MIFC)** स्थापित किए गए हैं।

राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024

- यह नीति 8 दिसंबर 2024 से लागू हुई और 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
- **उद्देश्य:** MSME क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढीकरण को बढ़ावा देना।
- इसका लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है।
- इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक "वन स्टॉप शॉप" समाधान के रूप में तैयार किया गया है।

मुख्य प्रावधान

- नई MSME की स्थापना और मौजूदा MSME इकाइयों के विस्तार के लिए, RIPS-2024 के तहत ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- चयनित इकाइयों के लिए 2% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
- लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा NSE/BSE एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (5 लाख रुपये तक) राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (अधिकतम 3 लाख रुपये) की सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर MSME उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराए और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय हेतु 75% सहायता (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) प्रदान की जाएगी।
- उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75% (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- ई-कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम-2019

- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम-2019 17 जुलाई, 2019 को लागू किया गया।
- राज्य द्वारा **राज उद्योग मित्र वेब पोर्टल** लॉन्च किया गया है।
- MSME इकाइयों को नोडल एजेंसी के समक्ष 'आशय की घोषणा' के बाद एजेंसी 'अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र' जारी करती है।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

- यह योजना 8 दिसंबर, 2024 को प्रारम्भ की गई।
- **उद्देश्य:** राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना।
- यह योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
- इसमें 15 क्लस्टरों को विकसित करने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है।

प्रमुख घटक:

1. राज्य सरकार द्वारा कारीगर / शिल्पकार /बुनकर क्लस्टरों को सहायता	2. कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFC) की स्थापना हेतु सहायता (सामान्य परीक्षण/ पैकेजिंग/ प्रसंस्करण/रिसाइक्लिंग आदि सुविधाओं हेतु)	3. आधारभूत संरचना के विकास हेतु MSME समूहों को राज्य सहायता
❑ **सॉफ्ट इंटरवेंशन:** कौशल विकास, डिजायन, पैकेजिंग, विपणन आदि के क्षमता निर्माण पहलों हेतु ₹50 लाख तक की सहायता। ❑ **कच्चे माल के डिपो का संचालन:** किफायती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु डिपो की स्थापना एवं संचालन हेतु टर्म/कॉम्पोजिट लोन पर 8% तक की ब्याज सहायता। ❑ **ई-कॉमर्स के माध्यम से उत्पन्न कुल वार्षिक बिक्री** पर 50,000 रुपये तक का एकमुश्त प्रोत्साहन।	❑ केंद्र सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रमों में उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना। ❑ **CFC की स्थापना हेतु राज्य सहायता:** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सामान्य चुनौतियों के समाधान के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना हेतु ₹10 करोड़ तक की परियोजना लागत का अधिकतम 90% तक की सहायता।	❑ गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा MSME क्लस्टरों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 10 करोड़ तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 80% तक की सहायता। ❑ गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड MSME क्लस्टरों के विकास हेतु परियोजना लागत का 60% (अधिकतम 35 करोड़ तक) तक की सहायता।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण

- MSME की संशोधित परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए MSME मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 को **उद्यम पंजीकरण पोर्टल** लॉन्च किया।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कुल 4.41 लाख औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया गया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

- यह योजना 08 सितम्बर, 2022 को अधिसूचित की गई।
- उद्देश्य: राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- इसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक उद्यमियों को निम्नलिखित राशि के आधार पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है-
  - ❑ 25 लाख से रुपये कम के ऋण पर 9%
  - ❑ 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 7%
  - ❑ 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6%
- इसमें परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी।

पीएम विश्वकर्मा योजना

- **उद्देश्य:** कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- इस योजना में बढ़ईगीरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल हैं।
- **पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र** - कौशल प्राप्त पेशेवरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु
- **कौशल संवर्धन प्रशिक्षण** - प्रतिदिन ₹500 के स्टाइपेंड के साथ 5-7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण
- **टूलकिट सहायता** - उपकरण खरीदने हेतु ₹15,000
- **बिना गारंटी ऋण** - 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण, दो किस्तों में: ₹1 लाख (18 माह) और ₹2 लाख (30 माह) तक
- **डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन** - प्रति माह 100 डिजिटल लेनदेन तक प्रति लेनदेन पर ₹1 प्रोत्साहन

- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा **2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान** प्रदान किया जा रहा है।
- राजस्थान ने ऋण स्वीकृति (57,524 ऋण) और ऋण वितरण (53,552 ऋण) में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- कारीगरों के प्रशिक्षण (2.14 लाख लाभार्थी) और टूलकिट वितरण (1.13 लाख) में राज्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VKYUPY)

- यह योजना 3 सितम्बर 2025 से लागू की गई।
- उद्देश्य: विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- इसके तहत मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण दिया जाएगा।
- **प्रमुख प्रावधान**
  - ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान।
  - ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान।
  - स्वीकृत ऋण राशि के 25% या अधिकतम ₹5 लाख (जो भी कम हो) तक मार्जिन मनी अनुदान।
  - **नोट:** महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों तथा बुनकर, कारीगर, शिल्पकार और हस्तशिल्प कार्डधारकों को ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY), 2026

- यह योजना 15 जनवरी 2026 से लागू की गई।
- **उद्देश्य:** 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- **प्रमुख प्रावधान**
  - सूक्ष्म उद्योग स्थापना हेतु 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण।
  - ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  - इसके अलावा 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण होगा।

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऋण सीमा

शैक्षणिक योग्यता	क्षेत्र	अधिकतम ऋण सीमा	अधिकतम मार्जिन मनी
8वीं से 12वीं उत्तीर्ण	सेवा व व्यापार	3.5 लाख रुपये तक	ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹35,000)
8वीं से 12वीं उत्तीर्ण	मैन्युफैक्चरिंग	7.5 लाख रुपये तक	ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹35,000)
स्नातक / आईटीआई एवं उससे अधिक	सेवा व व्यापार	5 लाख रुपये तक	ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹50,000)
स्नातक / आईटीआई एवं उससे अधिक	मैन्युफैक्चरिंग	10 लाख रुपये तक	ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹50,000)

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY)

- यह योजना औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भ की गई।
- **लक्ष्य:** 1,000 इकाइयों को वित्तपोषित करना।
- इसमें राज्य सरकार द्वारा **2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ 45 वर्ष अथवा इससे कम आयु के उद्यमी ही प्राप्त कर सकते हैं।

विपणन सहायता

- राज्य सरकार उद्योगों को बाजार तक पहुंच और बाजार विस्तार के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है।
- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (RSIC) जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है।
- RSIC विभिन्न सरकारी विभागों को कांटेदार तार, टेंट, तिरपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलीथीन बैग और एंगल आयरन पोस्ट जैसे उत्पादों की आपूर्ति कर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करता है।
- 44वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में "एक भारत श्रेष्ठ भारत" थीम के अंतर्गत उत्कृष्ट सहभागिता के लिए राजस्थान पवेलियन को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।
- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक खादी वस्त्रों पर 50% छूट प्रदान की गई।

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस

- इसका उद्देश्य विकास दर को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और अधिक प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी व्यवसाय वातावरण तैयार करना है|
- राज्य में निवेशकों को त्वरित ऑनलाइन स्वीकृतियाँ देने के लिए राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एंड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011 लागू किया गया है।

- निवेश प्रस्तावों को सरल बनाने के लिए राज निवेश पोर्टल (वन स्टॉप शॉप सुविधा) लॉन्च किया गया है।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और राज निवेश पोर्टल को एकीकृत कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
- वर्तमान में इस पोर्टल पर 19 विभागों की 181 सेवाएँ एकीकृत की जा चुकी हैं, जिससे ₹10 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों को सुगमता मिलती है।
- नए उद्यमों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **राज्य स्तर पर मुख्य सचिव** और **जिला स्तर पर जिला कलेक्टर** की अध्यक्षता में **विवाद और निवारण तंत्र (DRM) स्थापित** किया गया है।
- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत **राजस्थान को बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन और सर्विस सेक्टर श्रेणियों में "टॉप अचीवर"** के रूप में मान्यता मिली।

निर्यात

- राजस्थान से वर्ष 2024-25 के दौरान **97,171.66 करोड़ रुपये** का निर्यात हुआ।
- राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र एवं हस्तशिल्प 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएँ हैं।
- इनका राज्य के निर्यात में 67% से अधिक हिस्सा है।

राजस्थान से निर्यात (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	उत्पाद	वर्ष 2024-25 में निर्यात
1	अभियांत्रिकी उत्पाद	19,849.29
2	रत्न एवं आभूषण	17,567.87
3	धातु (लोह + अलौह)	10,024.82
4	कपड़े	9,700.60
5	हस्तशिल्प	8,444.04

नीति	मुख्य बिंदु
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024	■ उद्देश्य: सतत व समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा; विशेष ध्यान SME, स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात विविधीकरण पर। ■ निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता: वार्षिक लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख)। ■ विपणन सहायता: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में व्यय का 75% प्रतिपूर्ति व अधिकतम ₹3 लाख यात्रा सहायता (दो वर्ष में एक बार)। ■ उत्पाद परीक्षण प्रोत्साहन: व्यय का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹20,000 प्रति शिपमेंट, ₹3 लाख प्रति वर्ष)। ■ प्रौद्योगिकी उन्नयन: आधुनिक तकनीक पर व्यय का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50 लाख)। ■ ई-कॉमर्स सहायता: प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख)। ■ निर्यात ऋण बीमा: ECGC प्रीमियम का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख प्रति वर्ष)। ■ अतिरिक्त प्रोत्साहन: पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को RIPS-2024 के तहत माल भाड़ा लागत पर 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख)।
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024	■ 8 दिसंबर 2024 को घोषित। ■ **उद्देश्य:** प्रत्येक जिले के निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना और जिलों को संभावित निर्यात केंद्र बनाना। ■ मुख्य उपाय: नए उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी अपनाने, गुणवत्ता प्रमाणन, नवीकरणीय ऊर्जा पहल, अवसंरचना विकास, विपणन सहायता और ई-कॉमर्स को बढ़ावा। ■ ODOP में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ■ लक्ष्य: मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।

क्र.	जिला	ODOP उत्पाद का नाम
1	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
2	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद
4	बांसवाड़ा	मार्बल उत्पाद
5	बारां	लहसुन उत्पाद
6	बाड़मेर	कशीदाकारी
7	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्स्पार पाउडर

8	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद
10	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन
11	बूंदी	सैंडस्टोन
12	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
13	चूरू	लकड़ी के उत्पाद
14	दौसा	पत्थर आधारित उत्पाद
15	डीडवाना–कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
16	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद
17	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद
18	डूंगरपुर	मार्बल उत्पाद
19	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद
20	जयपुर	रत्न एवं आभूषण
21	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद
22	जालोर	ग्रेनाइट उत्पाद
23	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद
24	झुंझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद
25	जोधपुर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
26	टोंक	सैंडस्टोन उत्पाद
27	खैरथल–तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
28	कोटा	कोटा डोरिया
29	कोटपूतली–बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
30	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
31	पाली	वस्त्र उत्पाद
32	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
33	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
34	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
35	सलूम्बर	क्वार्ट्ज
36	सवाई माधोपुर	मार्बल उत्पाद
37	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
38	सिरोही	मार्बल उत्पाद
39	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
40	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद

नीति	मुख्य बिंदु
राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति, 2025	❑ 7 दिसम्बर 2025 से लागू। ❑ **उद्देश्य:** सूक्ष्म व्यापार उद्यमों व छोटे व्यापारियों को संस्थागत ऋण, बाजार पहुंच और निवेश अवसर देना। ❑ ब्याज अनुदान: ₹1 करोड़ तक ऋण पर 6%, तथा ₹1–2 करोड़ ऋण पर 4% ब्याज अनुदान। ❑ क्रेडिट गारंटी सहायता: CGTMSE के तहत ₹5 करोड़ तक ऋण पर गारंटी शुल्क का 50% प्रतिपूर्ति (5 वर्ष)। ❑ बीमा प्रीमियम प्रतिपूर्ति: सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को 50% (अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष) पाँच वर्षों तक। ❑ ई-कॉमर्स प्रोत्साहन: प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50,000 प्रति वर्ष, 1 वर्ष)। ❑ विशेष श्रेणी लाभ: महिला, SC, ST और दिव्यांग स्वामित्व वाले उद्यमों को ₹1–2 करोड़ ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान।
राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, 2025	❑ 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित ❑ **उद्देश्य:** राजस्थान को वस्त्र एवं परिधान उद्योग का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। ❑ निवेश प्रोत्साहन: 10 वर्षों तक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन (निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन)। ❑ मेगा परियोजना लाभ: मेगा/अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं को फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट व राज्य कर/वैट प्रतिपूर्ति। ❑ भूमि व कर रियायतें: स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क में 75% छूट व 25% प्रतिपूर्ति; भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी वही प्रावधान। ❑ ऊर्जा प्रोत्साहन: 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट। ❑ पर्यावरणीय प्रोत्साहन: पर्यावरणीय परियोजनाओं पर व्यय का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़)। ❑ फ्रेट सब्सिडी: ICD/एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से निर्यात पर मालभाड़ा लागत का 25% (अधिकतम ₹25 लाख) प्रतिपूर्ति। ❑ कौशल विकास व IPR सहायता: प्रशिक्षण व्यय और पेटेंट/कॉपीराइट पंजीकरण व्यय का 50% प्रतिपूर्ति। ❑ सभी वित्तीय प्रोत्साहन RIPS-2024 के अनुरूप।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

- **आयोजन:** 9-11 दिसंबर 2024 को जयपुर में।
- इसमें 32 देशों ने भाग लिया, जिनमें से 17 भागीदार देश के रूप में सम्मिलित हुए।
- इसमें 8 अंतरराष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय और 8 विभागीय प्री-समिट और जिला निवेशक बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव और MSME कॉन्क्लेव भी आयोजित हुए।
- इसमें राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उदघाटन किया गया।
- इस समिट में ₹35 लाख करोड मूल्य के समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर हुए। इसमें सर्वाधिक MOU ऊर्जा क्षेत्र में हुए। (26.08 लाख करोड़ रूपये)

राजस्थान फाउण्डेशन

- प्रवासी राजस्थानियों से संवाद बनाए रखने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान फाउण्डेशन के 26 चैप्टर्स सक्रिय किए गए है।
- प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान 14 नए चैप्टर्स स्थापित करने की घोषणा की गई।

प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025

- 10 दिसम्बर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया गया।
- इस अवसर पर प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 और राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल लॉन्च हुआ।
- इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी और अन्य संस्थाएँ राज्य की सामाजिक एवं अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं में योगदान कर सकते हैं। प्रवासी राजस्थानियों के हितों की सुरक्षा के लिए **"डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स (DORA)" का गठन** किया गया है।
- राज्य की नीतियों और अवसरों की जानकारी देने के लिए **"नॉलेज सीरीज – एक वर्चुअल कनेक्ट"** कार्यक्रम शुरू किया गया।
- प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रवासी राजस्थानी नीति, 2025

- यह नीति 10 दिसम्बर 2025 को जारी की गई।
- इसका उद्देश्य विश्वभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।
- नीति का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानियों को निवेश, व्यापार, नवाचार और सामाजिक विकास से जोड़कर राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **नीति के पाँच प्रमुख स्तंभ:** Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive and Ensure.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।
- राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से किया जाता है।

राजस्थान में खनन क्षेत्र

- राजस्थान में **82 प्रकार के खनिजों के भंडार** हैं, जिनमें से 57 खनिजों का खनन किया जाता है।
- **एकमात्र उत्पादक**: कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट तथा वोलास्टोनाइट।
- राजस्थान बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के राष्ट्रीय उत्पादन में भी पहले स्थान पर है।
- इसके अलावा राजस्थान चांदी, कैल्साइट एवं जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है। वर्ष 2024-25 में राज्य में 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जो देश में सर्वाधिक है।

राजस्थान खनिज नीति, 2024

- **उद्देश्य:** पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और पारदर्शी खनिज विकास को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख विशेषताएँ :-**
  - खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर निवेश आकर्षित करना और राज्य के जीएसडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना।
  - शून्य-अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
  - उन्नत अन्वेषण तकनीकों और एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  - जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी

क्रम	खनिज	हिस्सेदारी (%)
1	पोटाश	94%
2	सीसा एवं जस्ता अयस्क	89%
3	चांदी अयस्क	88%
4	वोलास्टोनाइट	88%
5	जिप्सम	82%
6	रॉक	81%
7	बेंटोनाइट	75%

8	फुलर्स अर्थ	74%
9	डोलोमाइट	72%
10	फेल्सपार	66%
11	मार्बल	63%
12	एस्बेस्टस	61%
13	तांबा अयस्क	54%
14	कैल्साइट	50%
15	टेक्ट/स्टेटाइट/सोप स्टोन	49%
16	बॉल क्ले	38%
17	जिंक कंसन्ट्रेट	31%
18	फ्लोराइट	29%
19	टंगस्टन	27%

राजस्थान M-सैंड नीति 2024

- **उद्देश्य:** निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (M-सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना।

मुख्य विशेषताएं	M-सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन
■ यह नीति प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, नियमों को आसान बनाकर और वित्तीय प्रोत्साहन देकर M-सैंड इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ■ गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रमाणन और समय-समय पर अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान है। ■ अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता हेतु जल पुनः उपयोग के लिए शून्य-निर्वहन (जीरो-डिसचार्ज) प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ■ सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना (2028-29 तक 50% का लक्ष्य)। ■ ऑन साइट गुणवत्ता प्रयोग-शालाओं को प्रोत्साहन।	■ **वित्तीय लाभ:** रॉयल्टी में छूट (50%) और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत। ■ **निवेश सब्सिडी:** 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति। ■ **बिजली शुल्क छूट:** 7 वर्षों के लिए 100% छूट ■ **स्टाम्प शुल्क में कमी:** स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट। ■ **रोजगार लाभ:** स्थानीय कर्मचारियों के लिए EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान का 50% प्रतिपूर्ति

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)

- RSMML: Rajasthan State Mines and Minerals Limited
- स्थापना: कम्पनी अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत **30 अक्टूबर, 1974 को**।
- यह राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन का कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** खनिजों के खनन में लागत प्रभावी तकनी की नवाचारों को अपनाना और खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना।
- कम्पनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बाँटा गया हैं जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (SBU & PC) कहा जाता है-
  1. SBU & PC - रॉक फॉस्फेट झामरकोटडा, उदयपुर
  2. SBU & PC - जिप्सम, बीकानेर
  3. SBU & PC - लाईम स्टोन, जोधपुर
  4. SBU & PC - लिग्नाईट, जयपुर
- वर्ष 2025-26 में **खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना** के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार कुल 34 परियोजनाओं को भूवैज्ञानिक जांच हेतु रखा गया है।
- **जिला खनिज फाउंडेशन** (DMF) एक न्यास है, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करता है।

तेल और प्राकृतिक गैस

राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन

- राजस्थान देश के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का लगभग 12% योगदान है।
- राज्य ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन में देश में दूसरा स्थान रखता है।
- देश के कुल 28.70 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन में से लगभग 3.42 MMTPA कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र लगभग 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।
- यह क्षेत्र 14 जिलों को शामिल करते हुए चार प्रमुख पेट्रोलियम बेसिनों में विभाजित है:
  1. **बाड़मेर-सांचौर बेसिन** – बाड़मेर तथा आंशिक रूप से जालोर और बालोतरा।
  2. **जैसलमेर बेसिन** – जैसलमेर, फलौदी तथा आंशिक रूप से बीकानेर।

3. **बीकानेर-नागौर बेसिन** – बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू।
4. **विंध्यन बेसिन** – कोटा, बारां, झालावाड़, धौलपुर, करौली तथा आंशिक रूप से बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़।

वर्तमान उत्पादन

- राजस्थान के 15 तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 57,000–59,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा रहा है।
- **प्रमुख तेल क्षेत्र:** मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी और कामेश्वरी।
- बाड़मेर क्षेत्र से प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग 1.90–2.20 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MMSCM) प्रतिदिन है।
- जैसलमेर क्षेत्र से उत्पादन लगभग 0.71–0.75 MMSCM प्रतिदिन है।
- इस प्रकार राज्य में कुल 2.60–2.95 MMSCM प्रतिदिन प्राकृतिक गैस उत्पादन हो रहा है।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना

- **HRR.L. Full Form:** HPCL Rajasthan Refinery Limited
- यह रिफाईनरी सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना है।
- इसका शुभारम्भ 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, जिला बलोतरा में किया गया। इसकी 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है।
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमश: 74% (19,600 करोड़ रुपये) और 26% (6,886 करोड) की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है।
- यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है।
- इस परियोजना की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपये है।
- यह रिफाइनरी BS-VI मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी।
- यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाईनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का सम्मिश्रण है।

राजस्थान सिटी गैस वितरण (CGD) नीति, 2025

- यह नीति 16 जुलाई 2025 को जारी की गई।
- **उद्देश्य:** गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना व स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाना।
- इसके तहत गैस पाइपलाइन अवसंरचना को मजबूत करना तथा CGD नेटवर्क का विस्तार किया होगा। इसके माध्यम से घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

राजस्थान को सशक्त बनाना: रोजगार को बढ़ावा देना

- राज्य में औद्योगिक उत्पादन और रोज़गार सृजन, औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने हेतु श्रम विभाग कार्यरत है।
- **रोजगार स्थिति:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) भारत और विभिन्न राज्यों में रोज़गार और बेरोजगारी की स्थिति का आंकलन करता है।
- यह कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR), श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बेरोजगारी दर (UR) आदि मानकों को मापता है।

राजस्थान और भारत के लिए रोजगार संबंधी संकेतक (% में)

क्र.स.	सूचक	राजस्थान	भारत
		2023-24	2023-24
1.	श्रम बल भागीदारी दर		
	पुरुष	81.4	83.5
	महिला	54.1	45.2
	कुल	67.6	64.3
2.	श्रमिक जनसंख्या अनुपात		
	पुरुष	77.4	80.6
	महिला	51.7	43.7
	कुल	64.4	62.1
3.	बेरोजगारी की दर		
	पुरुष	4.8	3.5
	महिला	4.5	3.4
	कुल	4.7	3.5

- वर्ष 2022-23 की तुलना में, राज्य में WPR और LFPR दोनों क्रमिक वृद्धि दर्शाते है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जुलाई 2023 - जून 2024, राजस्थान की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 67.6% दर्ज की गई। (पिछले वर्ष 64.8%)
- कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) किसी राज्य की श्रम शक्ति के वास्तविक रोजगार स्तर को दर्शाता है।
- राजस्थान के लिए बेरोजगारी दर (UR) 2023-24 में 4.7% रही। (2022-23 में 4.9% थी।)

श्रेणीवार कामगारों का तुलनात्मक प्रतिशत वितरण

श्रेणी	राजस्थान	भारत
सबसे अधिक	कृषि एवं वानिकी और मछली पकड़ना – 51.05%	कृषि एवं वानिकी और मछली पकड़ना – 46.07%
सबसे कम	रियल एस्टेट गतिविधियाँ – 0.14%	रियल एस्टेट गतिविधियाँ और कला, मनोरंजन और मनबहलाव – 0.22%

श्रमिक कल्याण

- श्रमिक कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य समय पर श्रमिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करना और विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजस्थान में श्रमिक कल्याण बोर्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत स्थापित है। इसका कार्य स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है।

निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं

निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना	❑ कक्षा 6 से आगे के बच्चों के लिए ₹8,000 से ₹25,000 तक की छात्रवृत्ति। ❑ योग्यता के आधार पर मेधावी छात्रों के लिए ₹4,000 से ₹35,000 तक की प्रोत्साहन राशि।
निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना	❑ आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए ₹2,000 या उपकरणों की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता।
शुभ शक्ति योजना	❑ **उद्देश्य:** श्रमिक परिवारों की पुत्रियों का सशक्तीकरण। ❑ पंजीकृत श्रमिकों की अविवाहित वयस्क पुत्रियों को ₹55,000 की वित्तीय सहायता। ❑ उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वरोजगार या विवाह हेतु।
सामान्य मृत्यु / दुर्घटना मृत्यु /चोट लगने पर	❑ सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹2.00 लाख ❑ आकस्मिक मृत्यु पर ₹5.00 लाख ❑ पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹3 लाख ❑ आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख ❑ चोटों के लिए मुआवजा ₹5,000 से ₹20,000 तक है।
प्रसूति सहायता योजना	❑ प्रसव के दौरान महिलाओं को लड़के के जन्म पर ₹20,000 ❑ लड़की के जन्म पर ₹21,000 की वित्तीय सहायता। ❑ तीन किश्तों में - प्रसव के समय ₹5,000, प्रमाणित टीकाकरण के साथ एक वर्ष के बाद ₹5,000, और 5 साल की उम्र में स्कूल में प्रवेश पर लड़के के लिए ₹10,000 या लड़की के लिए ₹11,000
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना	❑ लाभार्थियों को आवास प्राप्त करने या निर्माण करने के लिए सहायता। ❑ लाभार्थियों को ₹1.5 लाख तक का अनुदान।
सिलिकोसिस सहायता योजना	❑ सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को ₹3 लाख ❑ मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ₹2 लाख
निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना	❑ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता। ❑ बोर्ड लाभार्थियों के योगदान पर 50 से 100% सहायता प्रदान करता है।
प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर - ₹1 लाख राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर - ₹50,000
निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए खेल प्रोत्साहन योजना	उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। **आर्थिक सहायता:** प्रतियोगिता में भाग लेने पर – ₹2 लाख ❑ स्वर्ण पदक – ₹11 लाख ❑ रजत पदक – ₹8 लाख ❑ कांस्य पदक – ₹5 लाख
अन्य सहायता पहल	₹5 लाख तक के पेशेवर ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति IIT / IIM में प्रवेश पाने वाले बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति विदेश में रोजगार हेतु वीजा व्यय (₹5,000 तक) की प्रतिपूर्ति

ई-श्रम पोर्टल

- इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया।
- **उद्देश्य:** भारत में असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
- यह प्रवासी और गिग श्रमिकों सहित विभिन्न श्रमिक श्रेणियों के लिए रोज़गार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए है।
- इसमें 16-59 वर्ष की आयु के पात्र श्रमिक जो आयकर दाता या EPFO/ESIC के सदस्य नहीं हैं वे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं।
- राजस्थान में दिसंबर, 2025 तक इस पोर्टल पर 1.52 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत किए गए हैं।

रोजगार सृजन

- राजस्थान में 16 जिलों में आईटी-सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर (MCC) स्थापित किए गए हैं। राज्य में जिला मुख्यालयों पर त्रैमासिक रोजगार सहायता शिविर आयोजित किये जाते हैं |
- रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण के अवसरों, छात्रवृत्तियों और विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी हेतु रोजगार निदेशालय द्वारा **"राजस्थान रोजगार संदेश"** समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

- **शुरुआत:** 1 फरवरी, 2019 से।
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना नए प्रावधान के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से लागू किए गए।
- **उद्देश्य:** राज्य में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना।
- इसमें आवेदक को बेरोजगारी भत्ता लाभ प्राप्त करने हेतु सरकारी विभाग में कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण और दैनिक 4 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है।
- इसमें पुरुषों के लिए ₹4,000 मासिक और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग लोगों के लिए ₹4,500, बेरोजगारी भत्ता देय है। इसमें 2 साल तक या जब तक वे रोज़गार सुरक्षित नहीं कर लेते तब तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है |

सावित्री बाई फुले अध्ययन केंद्र

- यह केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता के लिए 33 जिला पुस्तकालयों में स्थापित किए गए हैं।
- इसके प्रत्येक केंद्र में कैरियर मार्गदर्शन और परीक्षा की तैयारी में मदद हेतु सलाहकार होगा।

नीति

राजस्थान रोजगार नीति, 2026

- **मुख्य बिंदु**
  - रोजगार चुनौतियों के समाधान हेतु समग्र नीति; राज्य की श्रम बल भागीदारी दर 64.4% और बेरोजगारी दर 4.2%
  - विजन: प्रत्येक युवा को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य को समावेशी व सतत रोजगार का अग्रणी केंद्र बनाना
  - मिशन: स्वरोजगार, वेतन रोजगार व उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करना।
  - रणनीतिक स्तम्भ: प्राथमिक क्षेत्र व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान, विनिर्माण व हरित रोजगार बढ़ावा, सेवा क्षेत्र विस्तार और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुदृढ़ीकरण।
  - कार्यान्वयन तंत्र: EEMS 2.0 (AI आधारित रोजगार पोर्टल)— नौकरी चाहने वालों को सार्वजनिक व निजी नियोक्ताओं से जोड़ता है; ई-जॉब फेयर व अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट सुविधा।
  - क्षेत्रीय फोकस: जिला स्तर पर क्रियान्वयन; TSP क्षेत्रों व आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान।
  - डेटा आधारित शासन: रोजगार परिणाम सूचकांक (EOI) के माध्यम से निगरानी, उच्चस्तरीय समिति द्वारा पर्यवेक्षण।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

- **उद्देश्य:** संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- इसके द्वारा वर्तमान में 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं:

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (EPF)	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS)	कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI)
❑ एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। ❑ **उद्देश्य:** एक अनिवार्य बचत योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ❑ इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन का निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान करते हैं।	❑ कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ढांचा प्रदान करती है ❑ यह उनके वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन लाभ प्रदान करती है।	❑ यह 1976 में स्थापित की गई। ❑ यह निजी क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। ❑ सेवा के दौरान कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवारों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है। ❑ यह कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर न्यूनतम ₹2. 5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपये का लाभ प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

- यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई है।
- **उद्देश्य:** रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना।
- इसके अंतर्गत दो वर्षों में 3.50 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर लागू होंगे।
- इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है:

भाग–A : प्रथम बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी	भाग–B : नियोक्ता
■ पहली बार EPFO सदस्य बनने वाले (₹1 लाख तक वेतन) कर्मचारियों को एक माह के EPF वेतन के बराबर अधिकतम ₹15,000 प्रोत्साहन, जो 6 और 12 माह की सेवा के बाद दो किश्तों में दिया जाएगा। ■ इसके लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम अनिवार्य है।	■ EPFO पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रति माह अधिकतम ₹3,000 प्रोत्साहन दिया जाएगा। ■ विनिर्माण क्षेत्र में यह लाभ अधिकतम 4 वर्षों तक मिलेगा।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति, 2025

- यह नीति 27 नवम्बर 2025 को अधिसूचित की गई।
- **उद्देश्य:** राजस्थान को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करना है।
- GCC बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आईटी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, एनालिटिक्स, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल नवाचार जैसी उच्च मूल्य सेवाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- इसका लक्ष्य नीति के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, कौशल विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- इस नीति का मूल मंत्र Connect – Collaborate – Contribute है।

राजस्थान कौशल नीति, 2025

- यह नीति 16 अप्रैल 2025 को जारी की गई।
- उद्देश्य: कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता, आय बढ़ाना।
- **प्रमुख प्रावधान**
  - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण और विस्तार।
  - मॉडल करियर केन्द्रों की स्थापना।
  - पूर्व शिक्षण की मान्यता (Recognition of Prior Learning)।
  - Recruit–Train–Deploy कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण।
  - राजस्थान राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) को सुदृढ़ करना।
  - फिनिशिंग स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
  - अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

- राजस्थान में गरीब एवं कमजोर वर्गों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान आजीविका मिशन (RMOL) स्थापित किया गया।
- इसका उद्देश्य वंचित वर्गों के लिए नवीन आजीविका रणनीतियाँ विकसित करना था।
- मई 2012 में इसे राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) में परिवर्तित किया गया।
- यह प्रशिक्षण साझेदारों के साथ मिलकर राज्यभर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

- यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट आधारित योजना है।
- इसका उद्देश्य 15–35 वर्ष आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करना है।
- महिलाओं और विशेष वर्गों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक निर्धारित है।
- प्रशिक्षण के बाद युवाओं को न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक वेतन वाली नौकरियाँ प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।
- **इसमें** अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु 34%, महिलाओं हेतु 33%, अल्पसंख्यकों हेतु 9% और दिव्यांगजनों हेतु 5% आरक्षण निर्धारित है।
- DDU-GKY 2.0 के नए दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2025 से लागू किए गए।

राज्य प्रायोजित योजनाएँ

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)

- राज्य में कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

- इसके अंतर्गत तीन प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं:
  1. रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक)
  2. सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान)
  3. समर्थ योजना

रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक)

- यह योजना बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- इसमें Recruit–Train–Deploy मॉडल अपनाया गया है ताकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।
- **अल्पकालिक प्रशिक्षण:** 3 से 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **री-स्किलिंग / अप-स्किलिंग:** स्कूल छोड़ चुके युवाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम।

सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान)

- यह योजना युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

समर्थ योजना

- यह योजना समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- उद्देश्य: रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
- इसके लक्षित लाभार्थियों में भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति, अस्थायी बस्तियों के निवासी, दलित, आदिवासी और कैदी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)

- यह योजना 7 नवम्बर 2019 को RSLDC और महाविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई।
- इसका उद्देश्य कॉलेज शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ना है।
- यह योजना द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए संचालित है।
- इसमें सॉफ्ट स्किल्स और डोमेन-विशिष्ट कौशल का प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जाती है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना (MNSKSY)

- यह योजना महिलाओं के कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के लिए संचालित की जा रही है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं की रोजगार क्षमता और आर्थिक अवसरों को मजबूत करना है।
- यह योजना महिला अधिकारिता निदेशालय और RSLDC के सहयोग से संचालित होती है।
- इस योजना का पूर्व नाम I-M Shakti था।

विभिन्न विभागों के साथ RSLDC के अभिसरण प्रयास

- राजस्थान सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों में सभी संबंधित योजनाओं को एकीकृत करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
- RSLDC इन पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- इसने 10 राज्य विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- वर्तमान में, RSLDC 3 प्रमुख विभागों के तहत प्रशिक्षण पर केन्द्रित हैं-
  1. राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम
  2. आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग
  3. अल्पसंख्यक विभाग

'कौशल राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने के लिए नवीन रणनीतियाँ

1. सीएसआर प्रकोष्ठ
2. जिला स्तरीय कौशल विकास
3. रिक्रूट ट्रेन- डिप्लॉय (आरटीडी)
4. जेल बंदियों, बाल अपचारियों एवं दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो तथा राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल
6. तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन
7. प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग (पीडीओटी) कार्यक्रम

राजस्थान युवा नीति, 2026

- यह नीति 12 जनवरी 2026 को जारी की गई।
- इसका उद्देश्य राज्य के 15–29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2.25–2.30 करोड़ युवाओं की क्षमता का समग्र विकास करना है, ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में योगदान दे सकें।
- यह आयु वर्ग राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 27.2% प्रतिनिधित्व करता है।
- एक योजना या हस्तक्षेप के माध्यम से 90% युवाओं तक पहुँच बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- बहु-स्तरीय सहयोग के माध्यम से 75% युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसकी निगरानी जिला योजनाओं और वार्षिक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

युवा मामलात एवं खेल

खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा

- राजस्थान में खेल विकास और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक रणनीति लागू की जा रही है।
- **प्रमुख खेल उपलब्धियाँ**
  - 24 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2025 तक सभी संभागीय मुख्यालयों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित किए गए।

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 (बिहार) में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक सहित 60 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- 38वें राष्ट्रीय खेल (उत्तराखंड) में राजस्थान ने 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 43 पदक जीते।

खिलाड़ी कल्याण एवं डिजिटल पहलें

खेल जीवन बीमा योजना

- राजस्थान में खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खेल जीवन बीमा योजना शुरू की गई है।
- इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹25 लाख तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा प्रदान किया जाता है।

डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल

- खेल प्रमाण-पत्रों की पारदर्शिता और सुगमता के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल प्रारंभ किया गया है।
- इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता और सुरक्षित संग्रहण की सुविधा मिलती है।

प्रमुख खेल योजनाएँ एवं अवसंरचना विकास

- **"एक जिला – एक खेल योजना":** यह खेलों में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक प्रमुख खेल का चयन किया गया है।
- खेलो इंडिया की तर्ज पर **खेलो राजस्थान युवा खेल** प्रस्तावित हैं और इनमें पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल शामिल होंगे।
- ये प्रतियोगिताएँ ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएँगी।
- **मिशन ओलंपिक्स-2028** के अंतर्गत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, खेल किट और कोचिंग सहायता प्रदान की जाएगी।
- जयपुर में ₹20 करोड़ की लागत से **"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स"** स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 150 एथलीटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।
- ग्राम स्तर पर खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ओपन जिम और खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं।
  - प्रथम चरण: 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली 163 ग्राम पंचायतें
  - द्वितीय चरण: 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली 3,138 ग्राम पंचायतें

आवासीय अकादमियाँ एवं कोचिंग सहयोग

- राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा 25 आवासीय खेल अकादमियाँ / खेल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।
- खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए अल्पकालिक खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।
- इन प्रशिक्षकों को ₹13,500 से ₹25,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में हाई-टेक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है।

युवा विकास पहलें

- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) राज्य के **7 संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र** स्थापित किए गए हैं।
- एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम के तहत 100 युवाओं को विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति से परिचित कराने के लिए भ्रमण कराया गया।
- लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु **राजस्थान युवा महोत्सव** का आयोजन **राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर** हुआ।
- उत्कृष्ट योगदान के लिए 13 युवाओं को "राजस्थान यूथ आइकन अवॉर्ड" प्रदान किया गया।

❖❖❖❖

अध्याय - 6
पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

- पर्यटन, कला, संस्कृति और सेवाएं राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पहचान का महत्वपूर्ण घटक हैं।
- पर्यटन से राजस्व की प्राप्ति के साथ ही आतिथ्य, हस्तशिल्प और स्थानीय सेवाओं से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं।
- राजस्थान सरकार ने घरेलू पर्यटक यात्राओं की हिस्सेदारी को 8% और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं की हिस्सेदारी को भारत की कुल यात्रा का 7.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
- **राजस्थान पर्यटन ऐप** के माध्यम से स्मार्ट पर्यटन को अपनाने के लिए तकनीकी का उपयोग करना आवश्यक होगा।

पर्यटन

- राजस्थान, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, भव्य किलों और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है।
- राजस्थान की वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण जैसे जयपुर का आमेर किला, उदयपुर का सिटी पैलेस और जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

राजस्थान में प्रमुख पर्यटन

1. विरासत पर्यटन
2. सांस्कृतिक पर्यटन
3. एडवेंचर टूरिज्म
4. आध्यात्मिक पर्यटन
5. वन्यजीव एवं पर्यावरण पर्यटन
6. मरुस्थलीय पर्यटन
7. मीटिंग प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन

विरासत पर्यटन

- यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा पर केंद्रित है।
- राजस्थान में **9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** हैं।

राजस्थान में 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

सांस्कृतिक पर्यटन

- राजस्थान अपने मेलों और त्योहारों के लिए जाना जाता है।
- इनके आयोजन में संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों, रीति-रिवाज और वेशभूषा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान में तीज मेला, पुष्कर ऊँट मेला और जयपुर साहित्य महोत्सव जैसे मेलों और त्योहारों के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है।

एडवेंचर ट्यूरिज्म

- इनमें हॉट एयर बैलूनिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग और ऊंट सफारी, ट्रेकिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून की सवारी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पुष्कर में रेगिस्तानी रोमांच जैसे कैंपिंग, साइकिलिंग और ऊंट सफारी, उदयपुर, घनेराव और कुंभलगढ़ में ट्रेकिंग जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन

- राज्य के प्रसिद्ध मंदिर और आध्यात्मिक स्थल पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते है।
- राजस्थान में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: नाथद्वारा, खाटूश्याम, सालासर, मेहंदीपुर आदि।

वन्यजीव और पर्यावरण पर्यटन

- राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, और केवलादेव।
- राष्ट्रीय उद्यान इसके अलावा, राजस्थान में 26 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते है।

मरुस्थल पर्यटन

- यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है।
- राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है।

राजस्थान में मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ (MICE)

- राजस्थान में कई प्रमुख **MICE** के आयोजन होते हैं, जिनमें स्टोन मार्ट, वस्त्र, अंतर्राष्ट्रीय रत्न और आभूषण शो, जयपुर ज्वैलरी शो, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो-जोधपुर शामिल है।
- राज्य में उपयुक्त स्थानों की पहचान, सम्मेलन केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- दिल्ली में भारत मंडपम की तर्ज पर राज्य द्वारा राजस्थान मंडपम जयपुर में बनाया जाएगा।

राजस्थान में घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की स्थिति

घरेलू पर्यटक:

- घरेलू पर्यटन में वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण 71.05% की गिरावट हुई।
- इसके बाद वर्ष 2022 से लगातार वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2025 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 25.25 करोड़ रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.74% की वृद्धि दर्शाता है। (वर्ष 2024 में 23 करोड़ रहे थे।)

धार्मिक पर्यटन

- राजस्थान के विभिन्न धार्मिक स्थलों में से, वर्ष 2024 एवं 2025 में खाटू श्याम जी, सीकर शीर्ष धार्मिक पर्यटक स्थल रहा।
- वर्ष 2025 में, डीग में स्थित पूंछरी का लौठा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां घरेलू पर्यटक यात्राओं में 51.61 लाख की वृद्धि हुई।

राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या

क्र.सं.	धार्मिक पर्यटन स्थल	2025 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या (लाख में)
1	खाटू श्याम जी, सीकर	258.00

2	पूंछरी का लौठा, डीग	147.12
3	पुष्कर, अजमेर	132.46
4	सांवलियाजी सेठ, चित्तौड़गढ़	119.40
5	दरगाह शरीफ, अजमेर	84.61

ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटक स्थलों पर घरेलू पर्यटक

- राजस्थान में जैसलमेर किला वर्ष 2024 और 2025 में शीर्ष ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन स्थल रहा।

ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या

क्र.सं.	ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटन स्थल	2025 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या (लाख में)
1	जैसलमेर किला, जैसलमेर	41.92
2	हवा महल, जयपुर	18.24
3	आमेर किला, जयपुर	18.15
4	सिटी पैलेस, उदयपुर	15.23
5	चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़	13.44

राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राएं

- राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राओं में वर्ष 2021 के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राओं में वृद्धि घरेलू पर्यटक यात्राओं की तुलना में धीमी रही है।
- वर्ष 2021 से 2024 तक विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और वर्ष 2025 के दौरान विदेशी पर्यटक यात्राओं में गिरावट हुई।
- वर्ष 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की विजिट्स की संख्या 19.45 लाख रही। (वर्ष 2024 में 20.72 लाख थी।
- राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2024 और 2025 में राजस्थान में जयपुर शीर्ष स्थान पर रहा।

राजस्थान में शीर्ष 5 जिलों में विदेशी पर्यटक वाले जिले

रैंक	2025	
	जिला	पर्यटक विजिट्स की संख्या
1.	जयपुर	5,60,249
2.	उदयपुर	4,70,971
3.	जोधपुर	1,89,454
4.	जैसलमेर	1,53,716
5.	दौसा	83,505

राजस्थान मे विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की स्थिति

देश	2025
संयुक्त राज्य अमेरिका	1,69,868
यूनाइटेड किंगडम	1,33,978
फ्रांस	1,31,270
जर्मनी	82,703
इटली	71,636

राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल

- 25वाँ IIFA अवार्ड्स समारोह 7–9 मार्च, 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया।
- विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार (GITB) का आयोजन 04–06 मई, 2025 को जयपुर में किया गया।
- घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (RDTM) का आयोजन 12–14 सितम्बर, 2025 को जयपुर में किया गया।
- रेस्पोंसीबल एवं सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 11 जुलाई, 2025 को जयपुर में इण्डियन रेस्पोंसीबल टूरिज्म स्टेट समिट एण्ड अवार्ड्स आयोजित किया गया।
- राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष का गठन 11 मार्च, 2025 को किया गया।
- इस कोष के माध्यम से ₹5,000 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास कार्य प्रस्तावित हैं।
- 20 नवंबर, 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया।
- 07 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान पर्यटन नीति, 2025 लागू की गई।
- 20 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025 लागू की गई।
- स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत परियोजनाएँ: खाटूश्याम (सीकर), करणी माता मंदिर (बीकानेर), मालासेरी डूंगरी (भीलवाड़ा) और केशोराय पाटन (बूंदी)
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 148 पात्र पर्यटन एवं आतिथ्य इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 18 हेरिटेज होटलों / संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 39 फिल्मों / डॉक्यूमेंट्री / विज्ञापनों की शूटिंग की अनुमति जारी की गई।

राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण

- राजस्थान के प्रसिद्ध किलों और महलों को राष्ट्रीय आकर्षण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- राज्य सरकार **345 संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन** करती है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, किले, हवेलियाँ आदि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के नियंत्रण में 43 संरक्षित पुरातात्विक स्थल हैं।

राजस्थान पर्यटन नीति 2025

- राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का शुभारम्भ 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया गया।
- यह नीति "विकसित राजस्थान@2047" की दीर्घकालिक विकास दृष्टि के अनुरूप तैयार की गई है।
- **उद्देश्य:** राज्य में आधुनिक, नवाचार आधारित एवं भविष्य उन्मुख पर्यटन विकास को बढ़ावा देना।

प्रमुख फोकस क्षेत्र

- निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए होटल, रिसॉर्ट, विरासत संपत्तियों एवं होमस्टे विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पर्यटन अवसंरचना को मजबूत एवं विस्तारित किया जाएगा।
- पारंपरिक पर्यटन के साथ पर्यावरण, ग्रामीण, आदिवासी, साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन को शामिल किया जाएगा।
- रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

निवेशकों हेतु प्रोत्साहन

- पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति तथा सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (प्रचलित RIPS के अनुसार) उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क में छूट (प्रचलित RIPS के अनुसार) प्रदान की जाएगी।

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025

- इस नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। फिल्म निर्माताओं की सहायता हेतु व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

प्रमुख प्रोत्साहन एवं लाभ

- राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल एवं डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग लागत पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- फीचर फिल्मों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा ₹3 करोड़ निर्धारित की गई है।
- वेब सीरीज एवं डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ है।
- टीवी सीरियल के लिए अधिकतम सब्सिडी ₹1.50 करोड़ तक है।

पात्रता शर्तें

- फीचर फिल्मों के लिए राजस्थान में न्यूनतम ₹2 करोड़ खर्च करना आवश्यक है।
- वेब सीरीज एवं टीवी सीरियल के लिए न्यूनतम ₹1 करोड़ खर्च अनिवार्य है।
- डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा निर्धारित नहीं है।
- सब्सिडी के लिए फिल्म या लघु फिल्म का कम से कम 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान में होना चाहिए, अथवा कुल शूटिंग दिनों में से कम से कम 50% दिन राजस्थान में शूट किए गए हों।
- राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इस नीति के तहत पात्र हैं।

अतिरिक्त लाभ

- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्थलों पर शूटिंग के लिए 5 दिनों तक 100% लोकेशन शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों के लिए ₹50 लाख का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (RTUP) – 2024

- इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
- नीति के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का सृजन किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र से जुड़े निवेशकों एवं उद्यमियों को देय लाभों में वृद्धि की गई है।
- निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विरासत संपत्तियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। होटल, रेस्तरां एवं अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अंतर्गत सभी वित्तीय लाभ उपलब्ध होंगे।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति- 2024 के लाभ

1.	संभाषण शुल्क से संबंधित लाभ
2.	स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित लाभ
3.	औद्योगिक दरों पर भवन योजना अनुमोदन शुल्क
4.	विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट
5.	औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क
6.	"व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 प्रतिशत प्लिथ / 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र (जो भी कम हो) की अनुमति
7.	औद्योगिक दर पर शहरी विकास (यूडी) कर
8.	बेटरमेंट लेवी के बिना चार (4) का डबल बिल्ट-अप एरिया (बीएआर)
9.	प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों/शुल्क पर समग्र बार लाइसेंस
10.	फायर एनओसी - एक बार में 3 वर्ष
11.	परिचालन लाइसेंस (व्यापार, होटल और रेस्तरां लाइसेंस) एक बार में 10 वर्ष

राजस्थान गेस्ट हाउस योजना

- राजस्थान गेस्ट हाउस योजना राज्य सरकार की एक पहल है।
- यह योजना नगर पालिका क्षेत्रों में आवासीय घरों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है।

पात्रता मानदंड

- गेस्ट हाउस के मालिक या पट्टेदार को अपने परिवार के साथ उसी आवासीय घर में निवास करना अनिवार्य है।
- गेस्ट हाउस में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 20 किराए योग्य कमरे होने चाहिए। कमरों में शौचालय, स्नानघर एवं भोजन कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है।
- गेस्ट हाउस को संबंधित अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना होगा।
- खाद्य सेवाओं के लिए FSSAI लाइसेंस अनिवार्य है।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना – 2022

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- योजना राज्य की सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है।

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलने वाले प्रमुख लाभ

- स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है, किन्तु प्रारंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी अग्रिम जमा करनी होती है, जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाती है।
- जमा एवं देय SGST की 10 वर्षों तक 100% प्रतिपूर्ति की जाती है।
- भू-संपरिवर्तन एवं भवन मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाती है।
- वन क्षेत्रों में पर्यटन विकास राजस्थान ईको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के अनुसार किया जाता है। स्थानीय लोक कलाकारों, शिल्पकारों एवं ग्रामीण स्टार्टअप परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ औद्योगिक शुल्क दरों के लिए पात्र होती हैं।

संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल और कार्यक्रम

- परंपरा का संरक्षण, विरासत हस्तशिल्प के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजस्थान की सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्सव

- वर्ष 2025 में लगभग **103 मेले-उत्सव** और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं-

पुष्कर मेला (अजमेर)	मेवाड़ महोत्सव (उदयपुर)	मारवाड़ महोत्सव (जोधपुर)
कुंभलगढ़ महोत्सव (राजसमंद)	ऊंट महोत्सव (बाड़मेर)	मरु महोत्सव (जैसलमेर)
सांभर एवं पतंग महोत्सव (जयपुर)	डीग महोत्सव (डीग)	गणगौर और तीज उत्सव (जयपुर)

कला

- राजस्थान की कलात्मक अभिव्यक्तियों में लघु चित्र, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक कठपुतली शामिल हैं।
- राजस्थान अपनी प्रसिद्ध कला और शिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक शिल्प, आभूषण, वस्त्र, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन और धातु शिल्प की एक समृद्ध और विविध श्रेणी शामिल है।

राजस्थान की प्रसिद्ध कला एवं शिल्प

मिट्टी के बर्तन	ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, कागजी पॉटरी, टेराकोटा, मोलेला पॉटरी
आभूषण	मीनाकारी, लाख, चौंदी, मोती, कीमती पत्थर, रत्न, थेवा, कुन्दन
चित्रकारी	पिछवाई, लघु, दरबारी चित्रकारी, फड़ चित्रकारी
कपड़ा और कढ़ाई	गोटा वर्क, ज़री वर्क, कोटा डोरिया, जयपुरी रजाई, एप्लिक वर्क, हैंड ब्लॉक, टाई एंड डाई, सांगानेरी प्रिंट

राज्य में कला का संरक्षण हेतु स्थापित केन्द्र

जवाहर कला केंद्र (JKK)	■ यह केंद्र कला, संस्कृति और विरासत की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और प्रचार के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। ■ यह एक लोकप्रिय सांस्कृतिक स्थल है जो नए उभरते कला और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए संदर्भ केन्द्र प्रदान करता है।
रवींद्र मंच	■ रवींद्र मंच, जयपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ■ इसमें 690 सीटों की क्षमतायुक्त मुख्य थिएटर, 3,500 दर्शकों की क्षमता वाला ओपन एयर थिएटर व 125 दर्शकों की क्षमता वाला मिनी थिएटर है।

राजस्थान पर्यटन में उत्कृष्टता पुरस्कार

पुरस्कार का नाम	प्राप्तकर्ता	आयोजन / स्थान	तिथि
बेस्ट क्रियेटिव फिल्म अवार्ड	फिल्म "रोमांस ऑफ राजस्थान"	आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट (OTM), मुंबई	1 फरवरी, 2025
डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड (रॉयल एक्सपीरियंस)	राजस्थान	पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (PATA), बर्लिन (जर्मनी)	4–6 मार्च, 2025
वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर (इंडिया)	माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान	PATA, बर्लिन (जर्मनी)	4–6 मार्च, 2025
बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड	आमेर फोर्ट	इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स, नई दिल्ली	28 मार्च, 2025
बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड	कुंभलगढ़ फोर्ट	इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स, नई दिल्ली	28 मार्च, 2025
बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड	बीकानेर शहर	इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स, नई दिल्ली	28 मार्च, 2025
बेस्ट पैवेलियन इंस्टॉलेशन अवार्ड	राजस्थान	ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF), कोलकाता	12 जुलाई, 2025
बेस्ट सस्टेनेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड	राजस्थान	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (IITM), बेंगलुरु	24 जुलाई, 2025
बेस्ट पैवेलियन अवार्ड	राजस्थान	गुजरात ट्रेवल फेयर (GTF), अहमदाबाद	30 जुलाई, 2025
बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड	राजस्थान	गुजरात ट्रेवल फेयर (GTF), गांधीनगर	02 अगस्त, 2025
बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड	राजस्थान	ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF), मुंबई	13 अगस्त, 2025
बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड	राजस्थान	आउटलुक ट्रेवल, नई दिल्ली	22 नवम्बर, 2025
बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड	राजस्थान	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (IITM), पुणे	29 नवम्बर, 2025
द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड	राजस्थान	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (IITM), हैदराबाद	6 दिसम्बर, 2025

कौशल और प्रशिक्षण

- राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन आतिथ्य उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, गाइडों के लिए विशेष कार्यक्रमों और युवाओं के लिए करियर उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित संस्थान है-
  - राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (RITTMAN): जयपुर में।
  - फूड-क्राफ्ट संस्थान- अजमेर, सुमेरपुर (पाली), बारां में।
  - राज्य होटल प्रबंधन संस्थान: **जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और उदयपुर में।**

पर्यटक सहायता बल

- राजस्थान सरकार ने **15 फरवरी, 2024 से** प्रभावी **पर्यटक सहायता बल अभियान** शुरू किया।
- **उद्देश्य:** पर्यटकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने, दलालों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना।
- इस अभियान के तहत, 19 जिलों में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों द्वारा पर्यटकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है।

नागरिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएँ

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना

- राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे -हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या वाराणसी, सारनाथ, सम्मेदशिखर - पावापुरी, मथुरा-वृंदावन बरसाना, आगरा, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरूपति, कामाख्या, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वेष्णोदेवी, वाघा बार्डर, गोवा, महाकालेश्वर, अमृतसर, बिहार-शरीफ, पटना साहिब और श्री हजूर साहिब नांदेड (महाराष्ट्र) की ट्रेन द्वारा तथा **पशुपतिनाथ, काठमांडू (नेपाल) की हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क यात्रा** एवं दर्शन सुविधा प्रदान की जा रही है।

सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा योजना

- इस योजना के तहत कुल यात्रा व्यय के अधिकतम 50% की प्रतिपूर्ति जाती है। प्रति तीर्थयात्री 15,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

राजस्थान में सेवा क्षेत्र

- सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार "सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं एवं लोक सेवाएं सम्मिलित हैं।"

प्रचलित एवं स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का GSVA (करोड़ रुपये में) एवं वृद्धि-दर		
	2024-25	2025-26
प्रचलित मूल्यों पर GSVA	7.20 लाख करोड़ रुपये	8.17 लाख करोड़ रुपये
स्थिर मूल्यों (2011-12) पर GSVA	3.67 लाख करोड़ रुपये	4.08 लाख करोड़ रुपये
प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर	13.62%	13.52%
स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर	8.67%	11.15%

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र 47.71% योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है।

वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप-क्षेत्रवार वितरण

सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में GSVA में उप-क्षेत्रवार योगदान	सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में उपक्षेत्रों की वृद्धि दर
■ व्यापार, होटल और जलपान गृह: 27.95% ■ स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएँ: 23.48% ■ अन्य सेवाएँ: 20.38% ■ वित्तीय सेवाएँ: 10.62% ■ परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र: 10.57% ■ लोक प्रशासन सेवाएँ: 7%	■ व्यापार, होटल और जलपान गृह: 15.34% **(सर्वाधिक)** ■ स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएँ: 8.97% ■ अन्य सेवाएँ: 10.30% ■ परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र: 7.79% **(न्यूनतम)** ■ वित्तीय सेवाएँ: 9.90% ■ लोक प्रशासन सेवाएँ: 13.24%

❖❖❖❖

अध्याय - 7

आधारभूत अवसंरचना

- आधारभूत अवसंरचना को आर्थिक विकास तथा सेवा प्रदायगी की आधारशिला माना जाता है।
- इसमें विद्युत, परिवहन, जल आपूर्ति, शहरी सेवाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- इनके माध्यम से उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि, बाजार तक पहुँच में सुधार तथा बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

विजन स्टेटमेन्ट - विकसित राजस्थान@ 2047

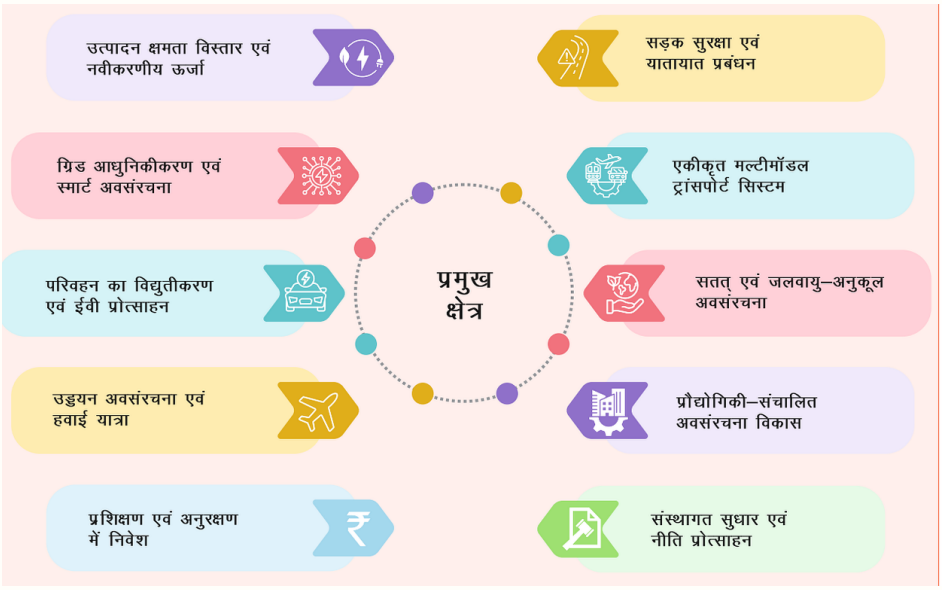

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र						
राजस्थान को जोड़ना:	**एकीकृत परिवहन:**	**राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना:**	**विकास को गति देना:**	**सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):**	**एक सतत भविष्य का निर्माण:**	**राजस्थान को सशक्त बनाना:**
ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक	आर्थिक विकास और गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ाना	एकीकृत जल अवसंरचना	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की शक्ति का उपयोग करना	बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को खोलना	हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता	ऊर्जा-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

- राजस्थान की दिसम्बर, 2025 तक अधिष्ठापित क्षमता 31,556.143 मेगावाट हो गई।
- राज्य के ऊर्जा के स्रोतों में तापीय, जलविद्युत, गैस आधारित उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर और बायोमास) शामिल हैं।
- राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत थर्मल पावर है।
- दिसम्बर, 2025 तक, राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता 7,830 मेगावाट है।
- राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता 9,898 मेगावाट हो गई।
- राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता दिसम्बर, 2025 तक 4,416.12 मेगावाट है।
- राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक पवन और सौर ऊर्जा मिलकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36% हैं।

ऊर्जा उत्पादन

- राजस्थान की 2020-21 से 2024-25 तक कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 5.55% है।

ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2025-26 (दिसंबर तक)
1.	राज्य की स्वयं / भागीदारी की परियोजनाएं		
(अ)	तापीय	7830.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29
(स)	गैस	600.50	600.50
	योग (1)	**9447.79**	**9447.79**
2.	केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित		
(अ)	तापीय	2056.95	2197.47
(ब)	जल विद्युत	740.66	851.86
(स)	गैस	0	0
(द)	परमाणु	456.74	806.74
	योग (2)	3254.35	3856.07
3.	RREC, RSMML एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा / बायोमास / सौर ऊर्जा परियोजनाएं		
(अ)	पवन	4416.12	4416.12
(ब)	बायोमास	166.65	196.45
(स)	सौर ऊर्जा (कुसुम PPA के साथ)	6256.92	9898.00
(द)	तापीय/ जल विद्युत	3742.00	3742.00
	योग (3)	14581.69	18252.57
	सकल योग	27283.83	31556.43

प्रसारण तंत्र प्रणाली

राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक कुल EHV प्रसारण नेटवर्क	45,933.31 सर्किट किमी. (PPP के साथ)
वर्ष 2016-17 से दिसम्बर, 2025 तक की अवधि में कुल प्रसारण नेटवर्क में वृद्धि	27.31%
वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के बीच राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि	11,770 करोड़ यूनिट
वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि	29.61%
नवंबर, 2025 तक उपभोक्ताओं की संख्या	202.78 लाख
दिसम्बर, 2025 तक शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण	43,965 गाँव
दिसम्बर, 2025 तक ढाणियों एवं ग्रामीण परिवारों का भी विद्युतीकरण	1.14 लाख ढाणियों और 111.15 लाख ग्रामीण परिवार
वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक) में कृषि कनेक्शन	70,566 कृषि कनेक्शन

राजस्थान में सौलर पंप और पावर प्लांट पहल

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना

- इसके तहत राज्य में किसानों की मदद हेतु ऑफ-ग्रिड सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं।

राजस्थान में पीएम कुसुम: सोलर पंप और पावर प्लांट पहल (घटक A और C)

राजस्थान सरकार और एमएनआरई पीएम कुसुम योजना और ऊर्जा के माध्यम से कृषि ऊर्जा तक पहुँच मे सुधार

लक्ष्य : ऑफ ग्रिड पंप और ग्रिड कन्नेक्टेड प्लांट से किसानों को सपोर्ट करना

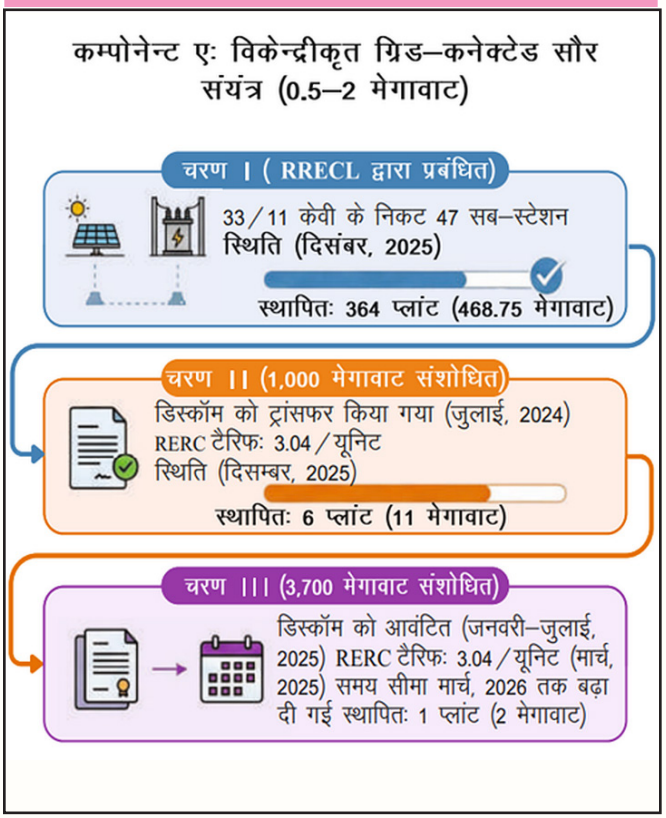

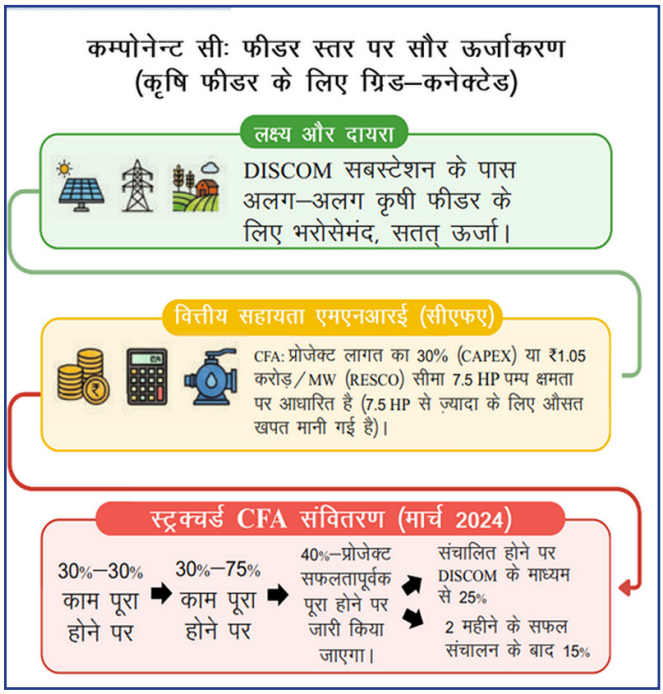

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- शुरुआत: 13 फरवरी, 2024 को।
- **उद्देश्य:** 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- अनुदान: अधिकतम 78,000 रुपये (3 किलोवॉट या उससे अधिक)
- 5 लाख घरों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- दिसम्बर, 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
- योजना के तहत स्थापित उच्चतम क्षमता वाले राजस्थान के **शीर्ष 5 जिले:** जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़।
- पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने वालों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के साथ ₹17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जाएगी।
- राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा एक मॉडल सौर गांव घोषित किया गया है।
- पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले उपभोक्ता: 22,082
- **नोट:** ' मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह (एक वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपये) का अनुदान प्रदान किया जा रहा था।
- वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान) के साथ विलय किया गया।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ता: 1.04 करोड़

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान)	मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान)
■ प्रावधान: 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली। ■ बिलिंग माह: जून, 2023 से योजना का लाभ। ■ प्रतिमाह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' के तहत 'उस माह विशेष में 1,000 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान की जाएगी।	■ प्रावधान: 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी 'घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली। ■ 'बिलिंग माह: जून, 2023 से योजना का लाभ। ■ **प्रतिमाह विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक:** पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर की बिल में छूट। ■ **प्रतिमाह विद्युत उपभोग 200 यूनिट से अधिक:** पहली 100 यूनिट निःशुल्क होगी परन्तु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को 'वहन करना होगा।

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS)

- इसकी अधिसूचना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2021 को जारी की गई।
- इसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार करना और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।
- इसके तहत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानियों को 12–15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- योजना का एक प्रमुख लक्ष्य आपूर्ति की औसत लागत और कुल राजस्व आवश्यकता के अंतर (ACS–ARR Gap) को शून्य तक लाना है।
- भारत सरकार ने इस योजना की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है।

अक्षय ऊर्जा

- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) राज्य में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु भारत सरकार की 'एक नोडल एजेन्सी है।
- ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (B.E.E.) राज्य की नोडल एजेन्सी है।

	सौर ऊर्जा	पवन ऊर्जा	बॉयोमास ऊर्जा/जैविक द्रव्य ऊर्जा
क्षमता	❑ 142 गीगावाट क्षमता। ❑ राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6-7 किलोवाट घण्टे/'वर्गमीटर / प्रतिदिन। ❑ अधिकतम सौर दिवस: 1 वर्ष में 325 दिवस से अधिक। ❑ कम औसत वर्षा।	❑ 150 मीटर की ऊंचाई (धरातल स्तर से) पर लगभग 284 गीगावाट क्षमता।	❑ राजस्थान में बॉयोमास ऊर्जा के प्रमुख स्त्रोत: सरसों की तूडी व. विलायती बबूल (जूली फ्लोरा)।
स्थापित (दिसम्बर 2025 तक)	❑ रुफटॉप संयंत्रों एवं ऑफग्रिड संयंत्रों के अलावा 42,531 मेगावाट क्षमता के (ग्राउंड माउन्टेड) सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित।	❑ 5,229 मेगावाट क्षमता। ❑ 2,140 मेगावाट हाइब्रिड क्षमता शुरू (885.60 मेगावाट पवन क्षमता शामिल)	❑ 207.50 मेगावॉट क्षमता। (20 'बॉयोमास ऊर्जा संयंत्र)
नीतियाँ	❑ राजस्थान राज्य हाईड्रोजन नीति: 29 सितम्बर, 2023 ❑ राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति: 6 अक्टूबर, 2023 ❑ राजस्थान सौर ऊर्जा नीति: 2019	❑ राजस्थान विंड एण्ड हाई-ब्रिड एनर्जी पॉलिसी: 18 दिसम्बर, 2019	❑ राजस्थान की पहली बायोमास पॉलिसी: 2010 में। ❑ राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति: 29 सितम्बर, 2023

राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024

- **लॉन्च:** 4 दिसंबर 2024 को।
- **मुख्य उद्देश्य:** 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है।
- नीति के तहत 2029-30 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसका लक्ष्य 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है।
- पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 50% की छूट से लाभ होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति

- यह निजी पार्क डेवलपर्स द्वारा सौर / पवन / हाइब्रिड पार्क के विकास को बढ़ावा देती है।
- **उद्देश्य:** पावर ग्रिड में बिजली को निकालने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड (RRECL)

- यह नवीकरणीय ऊर्जा/सौर पार्कों के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन विकास के लिए स्थापित की गई है।

सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास

सोलर पार्क कार्यक्रम

भड़ला (फलोदी) में 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलरपार्क 4 चरणों (फेज) में विकसित किया गया है।

1. **भड़ला सोलर पार्क फेज – प्रथम (65 मेगावाट) :-** राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (RRECL की सहयोगी कम्पनी) के द्वारा विकसित किया गया है।
2. **भड़ला सोलर पार्क फेज – द्वितीय (680 मेगावाट) :-** राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (RSDCL) के द्वारा विकसित किया गया है।
3. **भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय (1,000 मेगावाट) :-** सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (SURAJ) द्वारा विकसित किया गया है।
4. **भड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ (500 मेगावाट) :-** मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान 'लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।

'रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (RESCO) मोड सोलर रूफ टॉप योजना

- RREC द्वारा रेस्को मोड के तहत राजकीय भवनों पर रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- राजस्थान में मार्च, 2024 तक 1.2 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये किये जा चुके हैं।
- MNRE की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत सौर पार्कों का विकास चरणानुसार निम्न हैं:

1. फलोदी-पोकरण सोलर पार्क (750 MW)	2.फतेहगढ़ चरण-आईबी (1,500 MW)	3. नोख सोलर पार्क (925 MW)	4. पूगल सोलर पार्क (2,450 MW)
❑ परियोजना मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित। ❑ (राजस्थान सरकार और एसेल इंफ्रा लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम) ❑ **स्थापित:** 450 MW क्षमता।	❑ संयुक्त उद्यम, मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित। ❑ **स्थापित:** 1,496 MW क्षमता।	❑ राजस्थान सोलर-पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL) द्वारा विकसित। ❑ **स्थापित:** 925 MW क्षमता।	❑ राजस्थान सोलर-पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL) द्वारा 3 चरणों में विकसित।

हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM)

- वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट में, राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर (RTS) से स्थापित करने की घोषणा की।
- **क्रियान्वयन:** राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL)।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC) ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है।

राजस्थान को जोड़ना: ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक

- राजस्थान में सड़कों की लंबाई वर्ष 1949 में 13,553 किलोमीटर से बढ़कर मार्च, 2025 तक **3,35,306 किलोमीटर** हो गई है।
- मार्च, 2025 तक, राजस्थान का सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी पर **97.97 किमी** है।
- मार्च, 2025 तक 39,666 गॉव सडक से जुड चुके है जो कुल गाँवों का 91.68% है।

राजस्थान में 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न सड़कों की लम्बाई

क्र.सं	वर्गीकरण	लंबाई (किमी.)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	10,790
2.	राज्य राजमार्ग	17,316
3.	मुख्य जिला सड़क	18,234
4.	अन्य जिला सड़क	72,822
5.	ग्रामीण सड़क	2,16,144
	योग	3,35,306

- राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस-वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन 05 फरवरी, 2024 को किया गया।

वार्षिक योजना-वार उपलब्धि (2025-26):

राज्य सड़क निधि

- इसके तहत रोड ओवर ब्रिज (ROB), रोड अंडर ब्रिज (RUB), अन्य जिला सड़कें (ODR), मुख्य जिला सड़कें (MDR), मिसिंग लिंक के निर्माण तथा राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों की चौड़ाई एवं मजबूती में सुधार किया जाता है।

केन्द्रीय आधारभूत सड़क निधि (CRIF)

- यह शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।
- CRIF भौतिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ा करने पर केंद्रित है।
- इस हेतु वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना-2

- यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित है।
- **उद्देश्य:** 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (MDR) पर परिवहन दक्षता में सुधार करना है।
- इसमें सुरक्षा सुविधाएं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को भी शामिल किया गया है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट-3

- यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित है।
- इसके अंतर्गत 290 किमी राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों व सुधार की योजना है।
- इसे सितम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना

- यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।
- इस परियोजना के अन्तर्गत 14 राज्य राजमार्गों का विकास किया जाएगा।
- इसमें 1 कार्य पूर्ण हो चुका है, 7 कार्य प्रगति पर एवं 6 कार्यों की डीपीआर प्रगति पर है।

अटल प्रगति पथ

- यह राज्य सरकार की पहल है।
- इसके तहत शहरी क्षेत्रों के समान गाँवों में भी सीमेंट कंक्रीट सड़क की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी।

- पहले चरण में, सीमेंट कंक्रीट अटल प्रगति पथ 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों मे बनाये जाएंगे।
- दूसरे चरण में, 5,000 से 10,000 तक की आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC)

- स्थापना: 1 अक्टूबर, 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत की गई।
- निगम के द्वारा महिला दिवस एवं रक्षा बन्धन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा।
- वोल्वों, स्केनिया तथा वातानुकूलित बसों में शुल्क आधारित केटरिंग सुविधा।
- यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु निगम द्वारा सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर की स्थापना।
- धार्मिक स्थानों के लिये वातानुकूलित बसों का संचालन।
- मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित रोगी को 1 सहयोगी के साथ निगम की साधारण एंव द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा।

मोटर वाहन पंजीयन

- राजस्थान में वर्ष 2025-26 के दौरान (दिसंबर 2025 तक) कुल 13.41 लाख वाहन पंजीकृत किए गए।

योजना / कार्यक्रम एवं नवाचार

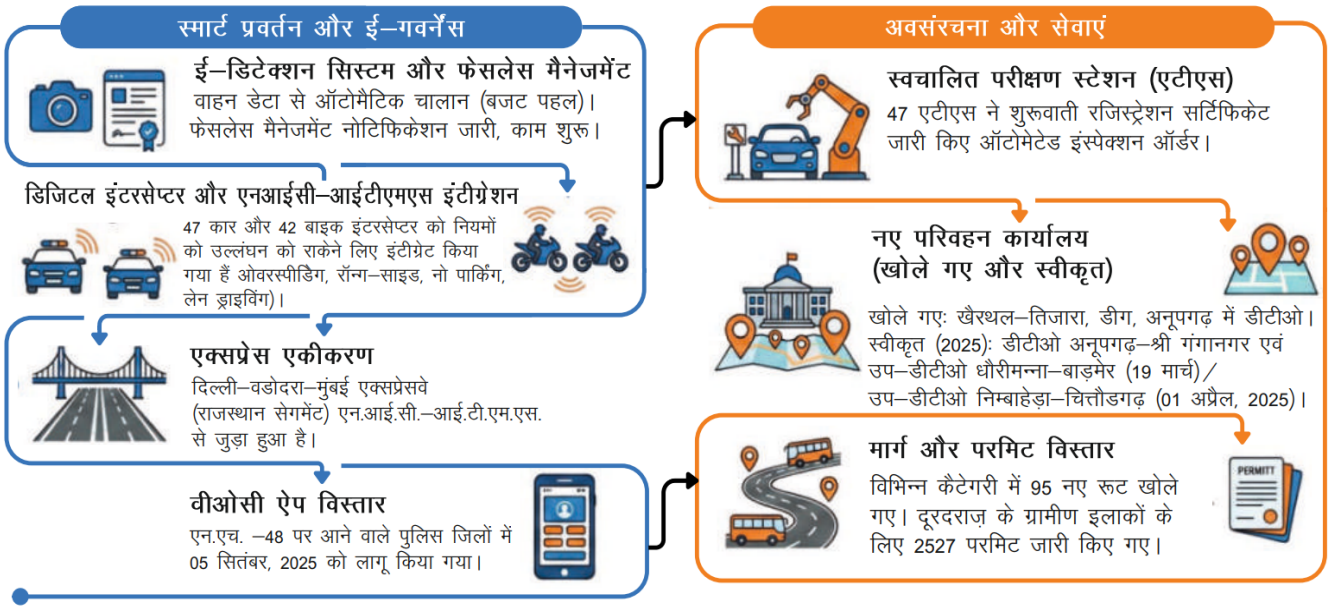

रेलवे

- राजस्थान का रेल नेटवर्क मुख्यतः नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (एनडब्ल्यूआर) जोन द्वारा संचालित है।
- यह नेटवर्क जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेल मार्गों को सम्मिलित करता है।
- उत्तर पश्चिम रेलवे ने लगभग 100% रेलमार्ग विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है।
- 25 सितंबर, 2025 को नापला, बांसवाड़ा से 3 तीन नई रेल सेवाएँ शुरू की गई-
    1. जोधपुर - दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस
    2. बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस
    3. उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- वर्तमान में पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर 256 रूट किलोमीटर में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली को शुरू किया जा चुका है।

राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति-2024

- **उद्देश्य:** नागरिक उड्डयन के विकास के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और पर्यटन, रोजगार और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।

प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र	विवरण
हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों का उन्नयन	■ राज्य में उपलब्ध हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों, हैलीपेड और हेलीपोर्ट्स की अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में उत्तरलाई और उदयपुर हवाई अड्डों का उन्नयन किया जाएगा।
हवाई पट्टियों को रात्रि उड़ान योग्य बनाना	■ चकचौनपुरा (सवाईमाधोपुर), नागौर, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), आबू रोड (सिरोही) और लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) हवाई पट्टियों को तकनीकी उपकरणों के साथ रात्रि उड़ान योग्य बनाया जाएगा।
शहर की ओर अवसंरचना विकास	■ प्रमुख हवाई अड्डों पर शहर की ओर अवसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे। प्रथम चरण में जयपुर हवाई अड्डे पर शहर की ओर विकास कार्य शुरू किया जाएगा।
नए हवाई अड्डों का विकास	■ व्यवसाय और पर्यटन केंद्रों पर नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। प्रथम चरण में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से कोटा में नया हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा।
कार्गो अवसंरचना	■ यात्रियों और कार्गो के लिए सुरक्षित और किफायती हवाई सेवाएँ विकसित की जाएंगी। प्रथम चरण में जयपुर हवाई अड्डे पर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा।
क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी	■ अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओं के माध्यम से हवाई सेवाओं में सुधार किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।
उड्डयन प्रशिक्षण एवं निवेश	■ उड़ान प्रशिक्षण संगठन, विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, MRO और एयरोस्पेस निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रथम चरण में झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) स्थापित किया जाएगा।
निवेश प्रोत्साहन	■ नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं

- दिसंबर, 2025 के अन्त तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 11,031 जबकि सितम्बर, 2025 तक कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 6.66 करोड़ थी।

विकास को गति देना: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की शक्ति का उपयोग करना

बाह्य सहायतित परियोजनाएँ

- राजस्थान के त्वरित विकास हेतु राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से सहायता प्राप्त कर रही है।
- वर्ष 2025-26 के प्रारम्भ में राज्य में **14** बाह्य सहायतित परियोजनाएं (EAP) क्रियान्वित की जा रही थी।

क्र.सं.	परियोजना	वित्त पोषित संस्था	अवधि	मुख्य बिंदु
1.	**राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम - (तृतीय चरण)**	एशियन विकास बैंक (ADB)	नवम्बर, 2015 से मार्च 2026 तक)	❑ परियोजना के अन्तर्गत 12 शहरों में पाली, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, टॉक में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य; भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़-पाटन, कोटा में सीवरेज कार्य तथा बांसवाड़ा में ड्रेनेज कार्य शामिल हैं।
2.	**राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) (ट्रेंच-I)**	एशियन विकास बैंक (ADB)	जनवरी, 2021 से मई, 2028 तक	❑ इस परियोजना के अन्तर्गत 27 शहरों में से 14 शहरों में सीवरेज एवं जल आपूर्ति कार्य किए जाएंगे। ❑ इसके अतिरिक्त मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) कार्य 12 शहरों में किया जाएगा।

3.	**राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) (ट्रेंच - II)**	एशियन विकास बैंक (ADB)	अप्रेल, 2023-मई, 2028	❑ इसके तहत 16 शहरों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार सीवरेज, जल आपूर्ति, शहरी सौंदर्यीकरण, जल निकासी आदि के कार्य किए जाएंगे।
4.	**राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम-1 (ट्रेंच – II)**	एशियन विकास बैंक (ADB)	परियोजना दिसम्बर, 2019 से सितंबर, 2025 तक	❑ **उद्देश्य:** राज्य राजमार्गों पर परिवहन दक्षता व सुरक्षा में सुधार करना। ❑ इसके तहत सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ दो लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों हेतु रा_ जमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के लगभग 754 किमी. का निर्माण तथा सड़कों के प्रबन्धन सुधार करना है।
5.	**राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम -1 (ट्रेंच - III)**	एशियन विकास बैंक (ADB)	मार्च, 2023 से सितम्बर, 2026 तक	❑ इस परियोजना का उद्देश्य यातायात की दक्षता में सुधार एवं राजमार्गों की सुरक्षा है। ❑ इसके तहत सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ शामिल दो लेन या मधयवर्ती-लेन मानकों के लिए राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के लगभग 290 किमी. के निर्माण या पुनर्वास, संचालन और रखरखाव एवं PWD PPP की परियोजना प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना है।
6.	**राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II (ट्रेंच - I)**	विश्व बैंक	अक्टूबर, 2019 से मई, 2025 तक	❑ उद्देश्य: राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं राजस्थान के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना। **मुख्य घटक:** ❑ 801 किमी राज्य राजमार्गों को दो लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों में अपग्रेड करना। ❑ राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन। ❑ संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा उपायों और परियोजना प्रबंधन सहायता।
7.	**राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना**	जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (JICA)	1अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2028 तक	❑ इसके तहत सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुन_ र्वास एवं नवीनीकरण के कार्य किये जायेंगे। ❑ उद्देश्य: कुल 5.13 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित। ❑ वर्ष 2025-26 में लखपति दीदी कार्यक्रम विभिन्न चरणों में सिंचाई सब-प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत लागू हुआ। ❑ लखपति दीदी (बागवानी) घटक के तहत 1,000 गाँवों में महिला कृषक हित समूहों का गठन। ❑ 10,000 कृषक महिलाओं की आजीविका सब्जी एवं फल उत्पादन से सुधारने का लक्ष्य।
8.	**मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुन-संरचना परियोजना (ट्रेंच-I व II)**	न्यू डवलपमेन्ट बैंक (NDB)	मई, 2018 से जुलाई, 2026 तक	❑ यह परियोजना 8.5 वर्षों में 2 ट्रेन्च में क्रियान्वित की जाएगी। ❑ NDB और राज्य के वित्त पोषण का अनुपात - 70:30 ❑ लाभान्वित जिले: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ❑ लाभ: बेहतर जल पहुंच, सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर पंप और जल_ भराव, सेम की समस्याओं का समाधान।

9.	**राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना – II**	K.F.W.	नवंबर 2022 से अक्टूबर 2026	■ यह परियोजना राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम (RRVPNL) द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ, उदयपुर, डूंगरपुर और चितौडगढ़ जिलों में शुरू की गई है। ■ यह नवीकरणीय बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना है। ■ इस परियोजना में K.F.W., केंद्रीय अनुदान और राज्य राज्य इक्विटी के वित्तपोषण का अनुपात 47:33:20 है।
10.	**राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना**	विश्व बैंक	जुलाई, 2018 से जून, 2025 तक	■ उद्देश्यः राजस्थान सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (SPFM) को मजबूत करना और बेहतर बजट निष्पादन, सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में योगदान देना। **परियोजना के मुख्य घटक है -** ■ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना ■ व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना ■ परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण
11.	**राजस्थान ग्रामीण जलप्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण**	जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (JICA)	जुलाई, 2021 से दिसंबर, 2028 तक	**उद्देश्यः** 1. राजस्थान राज्य के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जलशोधन प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं का निर्माण करना। 2. ग्राम जल स्वच्छता समिति के क्षमता विकास के साथ-साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना। ■ इसके तहत झुंझुनू और बाड़मेर जिलों के गांवों में सतत और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
12.	**बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP - II)**	विश्व बैंक एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक (AIIB) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित	**फेज-2**: अप्रैल, 2021 से मार्च, 2027 तक **फेज-3:** अप्रैल, 2025 से मार्च, 2031 तक	**उद्देश्यः** 1. बांधों की सुरक्षा बढ़ाना। 2. बांध सुरक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना। 3. सुरक्षा प्रबंधन, बांध सुरक्षा के वित्तीय पोषण एवं संस्थागत ढाँचे को बढ़ाना। ■ राजस्थान में 212 बड़े बांधों में से 189 बांध डीआरआईपी फेज-2 और फेज 3 में शामिल किए गए।
13.	**राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना**	एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (AFD)	अप्रैल 2023 से मार्च 2031 तक	■ यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों - अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। ■ इसमें 800 गांवों हेतु गतिविधियां शामिल हैं। ■ **गतिविधियाँ:** वनरोपण, मृदा और जल संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान, आजीविका सुधार

14.	**राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन**	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)	अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2035 तक	■ उद्देश्य: राजस्थान में स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ■ राजस्थान के 19 जिलों में क्रियान्वित की जायेंगी। ■ **परियोजना के 3 प्रमुख सिद्धांत** ❑ लैंडस्केप दृष्टिकोण पर आधारित सतत् वन प्रबंधन ❑ सामाजिक विकास ❑ आर्थिक विकास

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को खोलना

- राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को एक प्रमुख समाधान के रूप में अपनाया है।
- सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सा-र्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु कई प्रयास किए गए है जो निम्न प्रकार है:-

A. संस्थागत व्यवस्था

- राज्य में PPP परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने के लिए, राज्य में एक त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा अपनाया है -

1. अनुमोदन समितियाँ

(i) काउन्सिल फॉर इन्फ़ास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट (C.I.D.)

- अध्यक्ष: मुख्यमंत्री।
- कार्य: PPP के तहत आधारभूत संरचना परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करना।
- CID उन सभी PPP परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती है, जिनकी लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

(ii) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्मेट (E.C.LD.)

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव।
- कार्य: राज्य सरकार द्वारा, CID के कार्यों के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए में एक ECID का भी गठन किया गया है।
- ECID द्वारा CID को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने, नीतिगत पत्रों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ CID के निर्णयों के क्रियान्वयन का फॉलोअप एवं परीवीक्षण का कार्य भी किया जाता है।
- आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, (CID एवं ECID के सचिवाल-य के रूप में कार्य करता है।

(iii) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव।
- कार्य: राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (RSHDP) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करना।
- इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

(iv) स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (SLEC)

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव।
- यह स्टेट लेवल कमेटी, स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (PPP एवं गैर PPP दोनों) का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करती है।
- इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, आयोजना विभाग है।

2. पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी)

- गठन: वर्ष 2007-08 में।
- यह आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी है।
- यह सैल PPP से संबंधित दिशा निर्देशों, योजनाओं आदि समस्त सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है।
- यह CID,ECID एवं SLEC के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
- राजस्थान में 8 दिसंबर, 2025 के माध्यम से **पीपीपी सेल को वित्त विभाग में स्थानांतरित** कर दिया गया।
- वर्तमान में **वित्त सचिव (बजट) प्रभारी सचिव एवं राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी** हैं।

3. संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी

- यह अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेस में जैसे निर्धारित PPP के अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए, सक्षम हैं।

B. निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम

1. प्रोजेक्ट डेवलपर्मेट कंपनी ऑफ राजस्थान (PDCOR)

- दिसंबर 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित।
- इसका गठन PPP मोड में प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए किया गया था।

2. रोड इन्फ्रास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (RIDCOR)

- गठन: वर्ष 2004 में।
- उद्देश्य; राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन करना।

3. सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (SUCRL)

- गठन: वर्ष 2014 में।
- इसने **भादला(जोधपुर)** में 1,000MW के सौर पाकों का विकास किया।

4. एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी आर राजस्थान लिमिटेड (ESUCRL)

- गठन: वर्ष 2014 में।
- इसने जोधपुर और जैसलमेर में 750MW के सौर पार्कों के विकास किया।

5. अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (AREPRL)

- गठन: वर्ष 2015 में।
- इसने जैसलमेर और भादला (जोधपुर) में 2,000MW के सौर पार्कों को विकसित किया गया।

परियोजना विकास कोष (PDF)

- वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग बजटीय प्रावधानों या भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF) की सहायता से होता है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF)

- इसे भारत सरकार ने नवंबर 2022 में मौजूदा [IPDF को पुनर्गठित कर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में परिवर्तित किया। इसका कुल परिव्यय 150 करोड़ रुपये है।
- यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई। इसके तहत परामर्शदाताओं और लेनदेन सलाहकारों की लागत को वित्तपोषित किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत एकल प्रस्ताव (परियोजना लेन-देन सलाह-कार/सेमिनार/कार्यशाला/ व्यावसायिक सेवा व्यय आदि) के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण किया जा सकता है।

'वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना

- यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में PPP को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2007 में शुरू की गई।
- यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- PPP प्रारूप पर विकसित की जा रही ऐसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन वाणिज्यिक रूप से वायबल नहीं हैं, के लिए भारत सरकार की "' आधारभूत संरचना में PPP को वित्तीय समर्थन के लिए योजना'' के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि

- राज्य की PPP परियोजनाओं की मासिक/त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है।
- आयोजना विभाग के PPP सैल द्वारा परियोजनाओं की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।

प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए संचालन एवं समन्वय समिति

- **अध्यक्षता:** मुख्य सचिव।
- इसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्य प्रबंधन प्रणाली (CMWMS) पोर्टल के माध्यम से ₹100 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा विभागों से संबंधित परियोजनाओं (PPP और गैर- PPP दोनों) और निर्धारित समय सीमा से 3 साल से अधिक की देरी वाली परियोजनाओं की मासिक समीक्षा की जाती है।

PPP के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निम्नांकित प्रयास भी किए गए है -

1. सड़क विकास नीति, 2013

- वर्ष 1994 में, राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति जारी की गई।
- सडक क्षेत्र में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था।
- वर्ष 2013 में राजस्थान की सड़क विकास नीति को संशोधित किया गया।

2. राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

- इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल पर 1 रुपये का उपकर (Cess) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया।
- इसके तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है।

3. राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014

- राजमार्गों के विकास, संचालन, सुरक्षा, भूमि के उपयोग में सुविधा के साथ-साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्र-हण मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाना।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने हेतु 29 अप्रैल, 2015 में राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 बनाया गया।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 1 सितम्बर, 2023 से क्रियाशील हो गया है।
- वर्तमान में इसके अधीन (31 मार्च, 2025 तक) 57 राज्य राजमार्गों का देखरेख है।

क्षमतावर्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग)

- राजस्थान में स्थायी आधार पर PPP परियोजनाओं के सफल प्रबं-

धन और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है।

- भारत सरकार द्वारा KFW. (जर्मन विकास बैंक) के सहयोग से वर्ष 2010 में प्रारम्भ, नेशनल पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (NPCBP) राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- नोट: राजस्थान में 31 दिसम्बर, 2024 तक 210 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 24 परियोजनाएं कार्य प्रगति पर हैं।

एक सतत् भविष्य का निर्माण: हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता

- राजस्थान ने सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से हरित बुनियादी ढांचा को अपनाया है।
- **उद्देश्य:** प्राकृतिक और अर्ध-प्राकृतिक प्रणालियों के एक प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ पहुँचाना है।

राजस्थान में हरित बुनियादी ढाँचे की प्रमुख पहलें

- **मिशन हरियालो राजस्थान** – जुलाई 2024 में शुरू इस अभियान के तहत ₹4,000 करोड़ निवेश से वृक्षारोपण कर राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य है।
- **टाइगर रिजर्व में इलेक्ट्रिक वाहन** – रणथंभौर और सरिस्का में पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू कर प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया गया है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का विकास** – राजस्थान सौर व पवन ऊर्जा में अग्रणी है, जहाँ जोधपुर का भादला सोलर पार्क (2,245 मेगावाट) विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है।
- **एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024** – दिसंबर 2024 की इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश** – नवंबर 2024 में राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹6.57 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- **विकास शुल्क में कमी** – अक्टूबर 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए विकास शुल्क में 50% की कमी कर निवेश को प्रोत्साहित किया गया।
- **जल संरक्षण एवं सिंचाई पहल** – शहरी क्षेत्रों में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा।
- **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0** – यह अभियान वर्षा जल संचयन और जलाशयों के पुनर्जीवन के माध्यम से जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करता है।
- **राजस्थान वन्यजीव और जैव विविधता परियोजना** – यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक वन प्रबंधन और ईको-टूरिज्म के माध्यम से पर्यावरण व ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देती है।

❖❖❖❖

अध्याय - 8

जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

- राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है।
- राजस्थान को देश के जल संसाधनों का केवल 1.16% ही प्राप्त होता है। राजस्थान 343 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है।
- इसमें से लगभग 101 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि है।

विज़न स्टेटमन्ट - विकसित राजस्थान @ 2047

सिंचाई

- राजस्थान में सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, ट्यूबवेल, खुले कुओं एवं तालाबों और अन्य स्रोतों से होती है।
- राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 95,47,292 हेक्टेयर है।
- इंदिरा गांधी नहर, माही, नर्मदा नहर, बीसलपुर, चंबल कमांड क्षेत्र आदि राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान की सिंचाई सुविधा -

6 वृहद परियोजनाएं	नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, उच्च स्तरीय नहर कैनाल - माही, पीपलखूंट उच्च स्तरीय कैनाल, कालीतीर लिफ्ट
5 मध्यम परियोजनाएं	गरड़दा, तकली, गागरिन, हथियादेह, अंधेरी
34 लघु सिंचाई योजनाएं	कार्य प्रगति पर है।

नर्मदा नहर परियोजना

- भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर एवं बाडमेर जिलों के 233 गाँवों के 2.46 लाख हैक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है।
- यह परियोजना लगभग 37.48 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, जिसमें 1,541 गाँव (जालोर जिले में 667 और बाड़मेर जिले में 874) और 3 शहर - जालोर, भीनमाल और सांचौर शामिल हैं।

परवन वृहद परियोजना

- यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी पर प्रस्तावित है।
- इसके तहत, झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर CCA में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा 1,402 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसमें सिंचित भूमि को पानी के उचित उपयोग के लिए स्काडा (SCADA) नियंत्रित प्रेशराइज्ड पाइप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से सिंचित किया जाएगा।

ऊपरी उच्च स्तर नहर (माही) परियोजना

- इस परियोजना के तहत, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इसमें लगभग 105 किलोमीटर मुख्य नहर और वितरण प्रणाली के माध्यम से 'सैडल' बांध से पानी दिया जाएगा।
- यह सिंचाई सुविधा राजस्थान के बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्रों के 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।

पिपलखुंट उच्च स्तर नहर परियोजना

- यह परियोजना पीपलखूंट तहसील के 24 गाँवों की 5,127 हैक्टेयर अनकमाण्ड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की जाएगी।
- इसके तहत माही बांध के दायें छोर से 3.72 TMC जल जाखम बांध में परिवर्तित किया जाएगा।

धौलपुर लिफ्ट परियोजना

- यह धौलपुर जिले में 39,980 हैक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने हेतु है।

- यह सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है।
- इसके पूरे कमांड में सूक्ष्म सिंचाई के अतिरिक्त वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन संयत्र की स्थापना होगी।

कालीतीर लिफ्ट परियोजना

- यह परियोजना पार्वती एवं रामसागर बाँध से धौलपुर जिले के 483 गांवों और 3 कस्बों (बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा) के लिए पेयजल मांग को मुख्य रूप से पूरा करने के लिए है।
- इस योजना में 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी केवल मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष चम्बल नदी से लिया जाएगा।

गरड़दा सिंचाई परियोजना

- यह परियोजना बूंदी जिले के होलासपुरा गांव में मंगली डूंगरी नदी और गणेश नाले पर निर्माणाधीन है।
- इस के तहत बूंदी जिले के 44 गांवों की 9,161 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा एवं जिले के 111 गांवों व 98 बस्तियों को पेयजल सुविधा दी जाएगी। इस बांध की कुल लंबाई 4.37 किलोमीटर है और इसकी कुल भंडारण क्षमता 44.38 मिलियन घन मीटर है।

तकली सिंचाई परियोजना

- यह परियोजना कोटा जिले के रामगंजमंडी एवं चेचट तहसील के धाकिया गांव में स्थित तकली नदी पर निर्माणाधीन है।
- इससे कोटा जिले की रामगंजमंडी एवं चेचट तहसीलों के 33 गांवों की 7800 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

गागरिन सिंचाई परियोजना

- यह परियोजना झालावाड़ जिले की पिड़ावा / पचपहाड़ तहसील के कालीपीपल (देवगढ़) गांव के निकट आहू नदी पर निर्माणाधीन है।
- इस परियोजना से पिड़ावा तहसील के 32 गांवो में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

हथियादेह सिंचाई परियोजना

- यह बारां जिले की किशनगंज तहसील के करवारी खुर्द गांव में स्थित एक स्थानीय नदी पर निर्माणाधीन है।
- इस परियोजना से बारां जिले के 49 गांवों की 8,979 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अंधेरी सिंचाई परियोजना

- यह परियोजना बारां जिले की छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर प्रस्तावित है। इसके तहत 1,598 मिलियन घन फिट (45.29 मिलियन घन मीटर) की कुल भंडारण क्षमता वाला बांध, 23.30 मीटर की अधिकतम ऊँचाई तथा 3 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध प्रस्तावित है।

प्रमुख नदी बेसिन एवं अंतर्राज्यीय परियोजनाएँ

संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत ERCP)

- इसमें चम्बल नदी के सहायक नदी बेसिनों (कुनू, कुल, पार्बती, कालीसिंध और मेज नदी) उप-बेसिन से जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी उप-बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा।
- यह परियोजना 17 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी।
- इसमें 2.51 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र सृजन एवं 1.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाएगा। इसके अलावा जल के कुशलतम उपयोग हेतु अपशिष्ट जल का शोधन कर 30,000 हेक्टेयर नवीन सिंचित क्षेत्र का सृजन किया जाएगा।
- इससे लगभग 32.5 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे।
- यह एक स्थिर और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित कर इन जिलों में उद्योगों के विकास का भी समर्थन करेगी।
- भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को संशोधित MPKC लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

यमुना जल समझौता

- राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी, 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसके तहत ताजेवाला हेड (हथिनी कुंड बैराज) से पानी को **सीकर, चुरू, झुंझुनू** और राजस्थान राज्य के अन्य क्षेत्रों में भूमिगत परिवहन प्रणाली के माध्यम से लाया जाएगा।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP)

- इस परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है।
- **उद्देश्य:** पश्चिमी राजस्थान को दूरस्थ हिमालय के जल से सिंचित और पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना के उद्देश्यों में सूखा प्रभावित, पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी सम्मिलित हैं।
- इसके तहत 16.17 लाख हैक्टेयर (प्रथम चरण में 5.46 लाख हैक्टेयर और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हैक्टेयर) कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- वर्तमान में चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट के 0.10 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 नई नहरों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

सरहिन्द फीडर और इंदिरा गांधी फीडर की रिलाईनिंग (पंजाब हिस्सा)

- इस परियोजना के अन्तर्गत, इंदिरा गांधी फीडर में 97 किलोमीटर और सरहिन्द फीडर में 100 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग की जाएगी।

- इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब का भाग) एवं सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग के लिए 23 जनवरी, 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए।
- इन्दिरा गांधी फीडर की रि-लाईनिंग के लिए केन्द्र एवं राज्य के वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।
- सरहिन्द फीडर की रि- लाईनिंग के लिए पंजाब व राजस्थान के मध्य क्रमश: 54.15% व 45.85% का अंशदान होगा।
- इस परियोजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) की 97 किमी तथा सरहिन्द फीडर की 100 किमी. लम्बाई में रि-लाईनिंग की जानी है।

फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण

- फिरोजपुर फीडर नहर राजस्थान में प्रवाहित होने वाली गंगनहर एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की कॉमन फीडर है। इस परियोजना की कुल लागत में पंजाब और राजस्थान का अनुपात 58.54% तथा 41.46% है।
- इस फीडर की रिलाइनिंग से गंग नहर प्रणाली के अंतर्गत 3.14 लाख हेक्टेयर तथा भाखड़ा नहर सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 2.92 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जल ग्रहण विकास घटक)

- यह योजना भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई।
- इसमें 39 जिलों को कवर करते हुए 8.05 लाख हेक्टेयर के उपचार के लिए 159 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

रिपेयर-रिनोवेशन-रिस्टोरेशन परियोजना (R.R.R. परियोजना)

- यह परियोजना जनवरी, 2005 में प्रारम्भ की गई।
- इसका उद्देश्य सिंचाई जल संरचनाओं की मरम्मत व सुधार करना है।
- इस योजना को वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - "हर खेत को पानी" में सम्मिलित किया गया।
- इस परियोजना में केन्द्र एवं राज्य के वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।
- इससे 3 जिलों कोटा, बूंदी एवं टोंक जिले में 4404 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

PMKSY का सूक्ष्म सिंचाई घटक:

- सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकें अपनाने हेतु विभिन्न श्रेणियों के किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- सामान्य किसान **70%** सब्सिडी के पात्र है। (केंद्रीय: राज्य: अतिरिक्त राज्य हिस्सा - 27:18:25)
- अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/लघु औरसीमांत किसान **75%** सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

PMKSY की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM) परियोजना

- गंग नहर परियोजना चरण-द्वितीय PMKSY के तहत प्राथमिकता वाले कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन परियोजनाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम 'कुसुम') घटक-'बी'

- वर्ष 2019-20 से भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा PM कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा-अभियान) कम्पोनेन्ट-बी स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- इसमें 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 HP क्षमता तक के पम्प हेतु अनुदान दिया जा रहा है।
- इस योजना के तहत कुल 60% (केन्द्रीयांश 30%, राज्यांश 30%) अनुदान देय है। इस योजना के तहत कुषक हिस्सा राशि 40% है, जिसमें कृषक 30% तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा शेष 10% कृषक द्वारा देय होगा।
- आदिवासी क्षेत्रों के जिलों में अनुसूचित जनजाति के किसानों हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग किसानों के हिस्से की लागत वहन करते हुए 100% अनुदान प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (MJSA 2.0)

- शुरुआत: फरवरी, 2024 में।
- **उद्देश्य:** राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना।
- इसके तहत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (MPT), सब सरफेस बैरियर (SSB) का निर्माण व पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत की जाती है।
- इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में **राज्य के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं** का निर्माण किया जाएगा।

अटल भू-जल योजना

- अटल भूजल योजना भारत सरकार एंव विश्व बैंक के सहयोग से (50:50%) 1 अप्रेल, 2020 से लागू की गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गिरते भूजल स्तर को रोकना एवं समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना है।
- यह योजना पांच वर्षों 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक के लिए है।
- **प्रमुख घटक:** सहभागिता जल सुरक्षा योजना और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी।

- इस कार्यक्रम के तहत 17 जिलों के 38 ब्लॉकों की 1,132 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है।

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान

- भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में "कैच द रैन" थीम के साथ जल शक्ति अभियान प्रारम्भ किया गया।
- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनवरी 2025 को "कर्मक्र भूमि से मातृभूमि" अभियान का शुभारंभ किया गया।
- उद्देश्य: वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना।
- इसके तहत अगले 4 वर्षों में राज्य के 41 जिलों की लगभग 11,195 ग्राम पंचायतों में 45,000 भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- निर्माण कार्य भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों, क्राउड फंडिंग एवं CSR निधि के सहयोग से किया जाएगा।
- वर्ष 2025 में अभियान का मुख्य फोकस जल संचय, जनभागीदारी एवं जनजागरूकता रखा गया है।

"वंदे गंगा" जल संरक्षण जन अभियान

- "वंदे गंगा" अभियान का आयोजन 5 जून से 20 जून 2025 तक पूरे राज्य में किया गया।
- अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जनजागृति के माध्यम से जन आंदोलन बनाना था।
- जल स्रोतों की सफाई, पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार तथा नई संरचनाओं का शुभारंभ किया गया।
- CSR एवं दानदाताओं के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अब तक लगभग 4,560 रिचार्ज शाफ्ट निर्मित किए जा चुके हैं।

किसान साथी ऐप

- इसे 14 अगस्त 2024 को जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसे पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों के लिए डिजिटल संचार मंच के रूप में विकसित किया गया।
- इसका उद्देश्य किसानों और विभाग के बीच सूचना अंतर को समाप्त करना है।

बाराबंदी (सिंचाई अनुसूची) मोबाइल ऐप

- जल संसाधन विभाग ने एनआईसी, श्रीगंगानगर के सहयोग से बाराबंदी मोबाइल ऐप विकसित किया।
- किसान अपनी भूमि, सिंचाई की बारी तथा पानी छोड़ने के कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना: एकीकृत जल अवसंरचना

शहरी जल आपूर्ति

- राज्य में कुल 257 शहरी/कस्बों को पाईप लाइन आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मे शन (अमृत 2.0)**
- भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 योजना प्रांरभ की गई।
- **लक्ष्य:** सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक "हर घर नल" द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना।

शहरी आबादी	केन्द्र सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा
1 लाख से कम आबादी	50%	50%
1 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आबादी	33.33%	66.67%
10 लाख से अधिक आबादी	25%	75%

- **नोट:** राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।
- अमृत 2.0 का राज्य में क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा किया जाएगा।

ग्रामीण जल आपूर्ति

जल जीवन मिशन

- **शुरुआत:** 15 अगस्त, 2019 से।
- इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2028 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा रहा है।
- इसमें अब आबादी कवर करने के स्थान पर प्रत्येक घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है।
- इस योजना में केन्द्र एवं राज्य की वित पोषण हिस्सेदारी 50:50% है।

क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग एजेंसी

- राज्य स्तर पर - राज्य जल और स्वच्छता कमेटी (SWS)
- जिला स्तर पर - जिला जल एवं स्वच्छता कमेटी (DWSM)
- ग्राम स्तर पर - ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन (VWSC)
- इस मिशन के तहत 11,159 एकल ग्राम योजनाएं एवं 139 प्रमुख पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप एवं हैण्डपम्प निर्माण

- राज्य के अधिकांश गाँवों में पेयजल व्यवस्था भू-जल पर निर्भर है।
- वर्ष 2025-26 में (31 दिसम्बर, 2025 तक) 1,414 ट्यूबवेल एवं 3,409 हैंडपंप स्थापित किए गए।

वृहद् पेयजल परियोजनाएं

- राजस्थान में सतही जल संसाधनों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5,719 ग्राम, 39 कस्बे), चम्बल नदी (4,899 ग्राम, 29 कस्बे), नर्मदा नदी (902 UM, 3 कस्बे), बीसलपुर बांध (3,109 ग्राम, 22 कस्बे), जवाई बांध (811 ग्राम, 10 कस्बे), इत्यादि है।
- राज्य में 120 वृहद पेयजल परियोजनाओं से 110 कस्बें, 16,680 ग्रामों तथा 12,716 ढ़ाणियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जायेगी।
- **नोट:** राजस्थान को 18 नवंबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में **जल संरक्षण और जन भागीदारी पुरस्कार** के तहत उत्कृष्ट जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में **तीसरा पुरस्कार** दिया गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर जिला वर्ग (पश्चिमी क्षेत्र, श्रेणी - 1) में भीलवाड़ा जिले को प्रथम और बाड़मेर जिले को द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

❖❖❖❖

अध्याय - 9
पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

विजन स्टेटमेन्ट - विकसित राजस्थान @ 2047

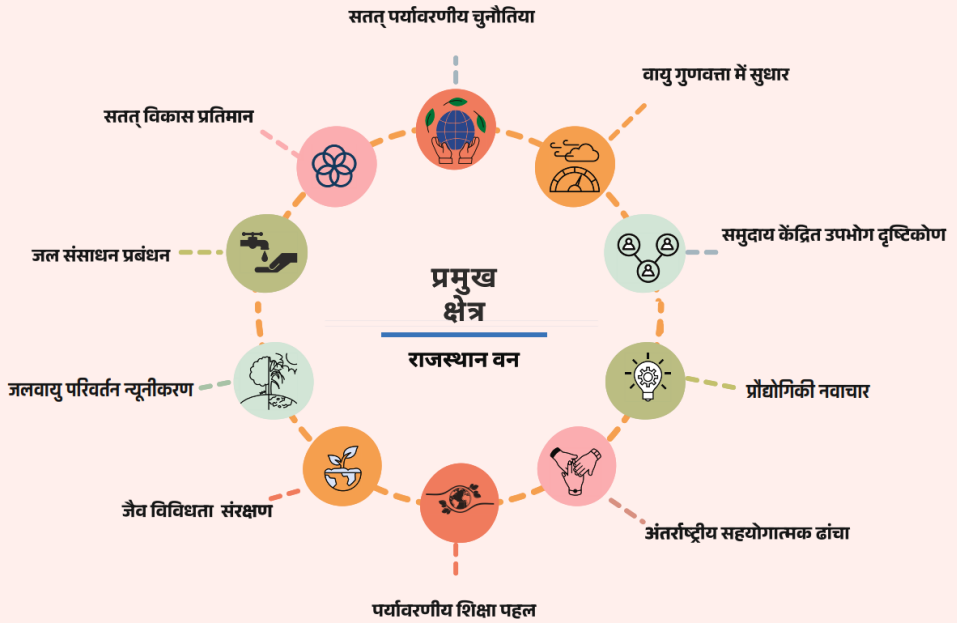

पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता की मुख्य विशेषताएँ

जल संरक्षण एवं सुरक्षा
वर्षा जल संचयन, वाटर शेड डवलपमेंट, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

लो-कार्बन डवलपमेंट
स्वच्छ ऊर्जा, कुशल परिवहन एवं सतत उद्योग के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसो के उत्सर्जन में कमी।

पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता संरक्षण
वनीकरण., वन्यजीवो का संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण एवं क्षरीत वनों एवं मरूस्थलों को पुनर्स्थापित करना।

संधारणीय शहरी विकास
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्र एवं जलवायु-संवेदनशील शहरी नियोजन।

आपदा जोखिम में कमी
हीट एक्शन प्लान, सूखे के लिए तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ तथा समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन।

सतत उपभोग एवं सर्क्युलर इकोनोमी
संसाधन दक्षता, अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी उत्पादन।

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
वृहद् स्तर पर सौर एवं पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर, विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता।

जलवायु-अनुकूल कृषि
सूखा-प्रतिरोधी फसलें, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि वानिकी और प्राकृतिक खेती।

भूमि पुनर्स्थापन एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण
मृदा संरक्षण, चारागाह विकास, एवं लवणता प्रबंधन।

जलवायु-अनुकूल आधारभूत संरचना
ऊष्मा-प्रतिरोधी इमारतें, कुशल जल निकासी और जलवायु प्रतिरोधी सड़कें एवं सुविधाएं।

सामुदायिक भागीदारी
जल, वन एवं भूमि प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता तथा पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग।

नीतिगत एकीकरण एवं शासन
SAPCC, NAPCC एवं SDGs के साथ संबद्धता तथा अंतर-विभागीय समन्वय एवं निगरानी।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र

- राजस्थान में पर्यावरणीय मानदण्डों की पालना करवाने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नोडल विभाग है।
- राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33,020.32 वर्ग किमी. है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.65% है।

वन	कुल वन क्षेत्र का %
आरक्षित वन	36.94%
संरक्षित वन	56.54%
अवर्गीकृत वन	6.51%

- इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट-2023 के अनुसार राजस्थान का वनावरण 16,548.21 वर्ग किमी **(कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84%)** है।
- राजस्थान में वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग किमी है, अत: राज्य का **कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 27,389.33 वर्ग किमी** है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है।
- राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व एवं 39 कन्जर्वेशन रिजर्व है।
- उदयपुर, कोटा, जयपुर एवं जोधपुर में 4 जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं।
- राज्य में 15 स्थलों पर दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं लुप्त प्राय: वानस्पतिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु बचाव कार्य किये जा रहे हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलन हेतु राज्य सरकार की प्रमुख नीतियाँ

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति – 2025

- यह नीति राज्य सरकार ने पुराने, खराब, अपंजीकृत तथा अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु जारी की।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से वाहनों का स्क्रैपिंग सुनिश्चित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- वायु प्रदूषण कम करने और सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए पुराने वाहनों को हटाना।
- राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) की स्थापना करना।
- 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना।
- निजी वाहनों के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग का विकल्प उपलब्ध कराना।
- अवधिपार, अपंजीकृत, दुर्घटनाग्रस्त, छोड़े गए या जब्त किए गए वाहनों को भी शामिल करना।
- प्रक्रिया को वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत कर डिजिटल और पारदर्शी बनाना।
- वाहन मालिकों को जमा प्रमाण पत्र (COD) और वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र (CVS) जारी करना।
- नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में अधिकतम 50% तक की छूट प्रदान करना।

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति – 2023

- ई-वेस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए यह नीति जारी की गई है।
- नीति का उद्देश्य ई-वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
- यह नीति अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर सर्क्युलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- पर्यावरण-अनुकूल ई-वेस्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- ई-वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को प्रोत्साहित करना।
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देना।
- संसाधनों की पुनर्प्राप्ति (Resource Recovery) और सर्क्युलर इकोनॉमी को समर्थन देना।
- ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का पालन सुनिश्चित करना।

राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति – 2023

- यह नीति 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) को जारी की गई।
- **उद्देश्य:** राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- यह तापमान वृद्धि, लू, सूखा, जल संकट और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- सभी विभागों की योजनाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को शामिल करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना।
- समुदायों, अवसंरचना और पारिस्थितिक तंत्रों की अनुकूलन क्षमता (Resilience) बढ़ाना।
- जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, नवाचार और ग्रीन फाइनेंस को प्रोत्साहित करना।
- प्रभावी क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए संस्थागत व्यवस्था, डेटा प्रणाली और मॉनिटरिंग को मजबूत करना।

राजस्थान वन नीति-2023

- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता का सतत प्रबंधन करना है।
- नीति का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक वनस्पति आवरण बढ़ाना है।
- यह नीति प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर आधारित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा तथा उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनों और जैव विविधता का संरक्षण।
- पुनर्वनीकरण, वनीकरण, कृषि-वानिकी और वृक्षारोपण के माध्यम से वन एवं वृक्षावरण का विस्तार।
- वन एवं चारागाह आधारित संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण।

पर्यावरण एवं वन क्षेत्र की प्रमुख पहलें एवं योजनाएँ

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया।
- मेरी लाइफ पोर्टल (merilife.nic.in) के अनुसार, दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 8.21 करोड़ पौधे लगाए गए।

मिशन हरियालो राजस्थान

- "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से प्रेरित होकर मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 10 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 11.64 करोड़ पौधे लगाए गए।

राज्य स्तरीय वन महोत्सव

- 27 जुलाई 2025 को जयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया।

लव-कुश वाटिकाएँ

- ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लव-कुश वाटिकाएँ विकसित की जा रही हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम

- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 1.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया, जो लक्ष्य का 181.82% है।

संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम

- वनों के संरक्षण के लिए 2,605 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियाँ / ईको-डेवलपमेंट समितियाँ गठित की गई हैं।

वनस्पति उद्यान

- जयपुर के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटनिकल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं।

पंच-गौरव कार्यक्रम

- प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए "एक जिला-एक वृक्ष प्रजाति" की पहचान की गई है।

जैव विविधता संरक्षण

- राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर क्षेत्र में स्थापित किया गया है।
- यह पार्क 5 जोनों में विभाजित है।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल की स्थापना की गई है।

CAMPA एवं वन संरक्षण

- प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि अधिनियम 2016 के तहत राजस्थान CAMPA का गठन 14 सितम्बर 2018 को किया गया।
- इसका उद्देश्य प्रतिकरात्मक वनारोपण और वन संरक्षण कार्यों का प्रबंधन करना है।

वायु गुणवत्ता निगरानी

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के अंतर्गत 57 स्टेशन संचालित हैं।
- इसके अलावा 46 निरंतर रियल-टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और 2 मोबाइल वैन संचालित हैं।
- जयपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्यरत है।

सर्क्युलर इकोनॉमी पहल

- राजस्थान सर्क्युलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025 को 5 जून 2025 को जारी किया गया।
- इसके तहत रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग के अनुसंधान के लिए अधिकतम ₹2 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- MSMEs और स्टार्टअप्स को ऋण अनुदान में 0.5% अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

प्लास्टिक नियंत्रण एवं प्रबंधन

- 12 जिलों में पर्यटक स्थलों पर 50 IoT आधारित प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग / रिवर्स वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं।

- राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए पुरस्कार योजना शुरू की है।
- सूचना देने पर ₹10,000 तक तथा निर्माण इकाइयों की जानकारी देने पर ₹15,000 तक पुरस्कार दिया जाएगा।

बीज बैंक

- वर्ष 2025-26 में 25 जिलों में 150 बीज बैंक स्थापित किए गए।
- इनमें 32 वन विभाग, 72 जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग तथा 46 गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं।

बर्तन बैंक

- प्लास्टिक उपयोग कम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बर्तन बैंक स्थापित किए गए।
- 1,000 ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है।
- प्रति सेट किराया ₹3 निर्धारित किया गया है।
- BPL, दिव्यांगजन, SC/ST और विधवा श्रेणी के लिए 50% किराया छूट दी जा सकती है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

- राज्य की सौर ऊर्जा नीति सौर पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है एवं विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है।
- राजस्थान की पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में नीतियों के माध्यम से पवन चक्की संयत्रों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024

- यह अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने, अभिनव संग्रहण समाधानों को एकीकृत करने तथा स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगी।
- इस नीति की रणनीतिक अवधि **मार्च, 2030 तक** अथवा अन्य नीति द्वारा इसके प्रतिस्थापन किये जाने तक बढाई गई है।
- इसके तहत **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- **उद्देश्य:** अक्षय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देना, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ उपभोक्ता हितों की रक्षा भी करता है तथा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2029-30 के लिए राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य

क्र.सं.	अक्षय ऊर्जा का प्रकार	लक्ष्य क्षमता (2029-30)
1.	सौर	90,000 मेगावाट
2.	पवन और हाइब्रिड	25,000 मेगावाट
3.	हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (PSP), बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली	10,000 मेगावाट
	कुल	1,25,000 मेगावाट

नीति के कार्यान्वयन में प्रोत्साहन और समर्थन	नीति के तहत प्रमुख पहल
■ सोलर रूफटॉप सिस्टम: सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना। ■ ऑफ-ग्रिड एप्लीकेशन: दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाने के लिए ऑफ-ग्रिड सौर एप्लीकेशन को प्रोत्साहन। ■ R.E. पार्क्स: अक्षय ऊर्जा केंद्रित परियोजनाओं के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।	■ सौर एवं पवन प्रौद्योगिकियों का हाईब्रिडाईजेशन ■ ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ई.एस.एस.) एवं ग्रीन हाइड्रोजन ■ विकेंद्रीकृत उत्पादन

पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना की शुरूआत की गई।
- **उद्देश्य:** प्रति परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ घरों में सौर संयंत्र स्थापित करना।
- इस योजना के तहत अधिकतम ₹78,000 (3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए) के अनुदान का प्रावधान है।
- राजस्थान में, 5 लाख घरों में सौर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य है।
- दिसम्बर, 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट की सौर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
- यह योजना रूफटॉप सौर संयंत्रों के लिए सब्सिडी, रियायती बैंक, ब्याज दरें प्रदान करती है।

पी.एम. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम)

- राज्य में भारत सरकार की कुसुम योजना को किसानों को ऑफ-ग्रिड सौलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहयोग देने हेतु अपनाया गया है।
- पीएम-कुसुम योजना (घटक-A, चरण-I): 468.75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित।
- पीएम-कुसुम योजना (घटक-A, चरण-II) के तहत 11 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित।

- पीएम-कुसुम योजना (घटक-A, चरण-II) के तहत 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित।
- घटक-C (फीडर लेवल सौलराइजेशन) के अंतर्गत, एक या अधिक अलग-अलग (segregated) कृषि फीडरों की वार्षिक विद्युत आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता वाले ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं।
- दिसम्बर, 2025 तक 2162 मेगावाट क्षमता के 838 सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)

- यह कंपनी पवन एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रही है।
- जैसलमेर में 106.30 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा फार्म 8 चरणों में स्थापित किए गए हैं।
- पवन फार्मों की प्रति वर्ष लगभग 1300 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है |

राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (REVP) 2022

- यह आगामी पाँच वर्षों के लिए सतत् परिवहन हेतु शुरू की गई है।
- **उद्देश्य:** वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा EV ईको सिस्टम के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है|
- वर्ष 2025-26 के लिए SGST प्रतिपूर्ति हेतु **₹150 करोड़ का बजट** प्रावधान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को बढावा देता है।
- रीको द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक वाहन तथा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्कों का भी विकास किया जायेगा।
- निजी और सार्वजनिक चार्जिंग आधारभूत अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया गया है।

प्रावधान

- **इलेक्ट्रीक व्हीकल परिदृश्य का निर्माण:** मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा राज्य में विनिर्माण को प्रोत्साहन देना।
- **उत्तरदायी विभाग:** विभिन्न विभागों यथा परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि को नीति की कार्रवाई को क्रियान्वित करने तथा विभागों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- **प्रोत्साहन:** उपभोक्ताओं के लिए किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।
- **आईटी प्लेटफॉर्म:** सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल-टाईम स्थिति की जानकारी प्रदान करने हेतु एप्लिकेशन-आधारित प्लेटफॉर्म की स्थापना की जायेगी।

जल संरक्षण और प्रबंधन

- 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0' राज्य में हरित विकास को समर्थन करने हेतु जल संरक्षण और जल निकायों की संरचनाओं के कायाकल्प करने की एक प्रमुख पहल है |

हरित विनिर्माण उद्योग

- राज्य द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण अनुकूल कार्य एवं निवेश को बढावा देने वाली नीतियों के साथ हरित औद्योगिक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है |

ग्रीन बजट

- राजस्थान का राज्य का पहला ग्रीन बजट वर्ष 2025-26 के लिए, 19 फरवरी, 2025 को पेश किया गया था। ग्रीन बजट के अन्तर्गत कुल ₹27,853.84 करोड़ आवंटित किये गए, जो राज्य के कुल बजट का 5.18% है।
- **उद्देश्य:** राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना, ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करना, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकना और बढ़ते तापमान को नियंत्रित करना है।

ग्रीन रेटिंग स्कीम

- उद्योगों को पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकित करने के लिए ग्रीन रेटिंग योजना शुरू की गई थी।

प्रशासनिक सुधार और सुशासन

- राज्य की जन कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के सत्यापन एवं लाभों के वितरण हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

पेपरलेस सुशासन

- पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने और IT को शासन से एकीकृत करने के लिए राज्य ने राज-काज पोर्टल (ई-फाइल सिस्टम) शुरू किया है।
- **उद्देश्य:** समय की बचत करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं सुव्यवस्थित करना है, जो अंततः: शासन की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।

राज्य में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य

- राज्य में राहत एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य राज्य आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं।
- राहत कार्य विभिन्न विभागों और संगठनों जैसे पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, पीएचईडी, पंचायतीराज, राजस्व तथा स्थानीय निकायों के सहयोग से किए जाते हैं।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)

- वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचन निधि में कुल ₹5,905.86 करोड़ की राशि उपलब्ध है।
- इस निधि का उद्देश्य राज्य में आने वाली आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समय पर और प्रभावी समाधान करना है।

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र

- राज्य के 41 जिलों में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित है।

युवा आपदा मित्र योजना

- युवाओं को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए युवा आपदा मित्र योजना संचालित की जा रही है।
- इस योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), नई दिल्ली द्वारा ₹2425.40 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG)

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास लक्ष्य एजेंडा- 2030 को वर्ष 2015 में अपनाया गया।
- सतत् विकास लक्ष्य सभी को बेहतर तथा और अधिक संधारणीय भविष्य प्रदान करने की एक रूपरेखा है।
- इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किये गए थे जिन्हें 2016-2030 की अवधि में प्राप्त करना है।
- 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है – **'कोई पीछे न छूटे'**।
- 'एजेण्डा 2030 के केन्द्र के 5 महत्वपूर्ण आयाम 5P's है जो निम्नलिखित है -
  1. लोग (People)
  2. समृद्धि (Prosperity)
  3. पृथ्वी (Planet)
  4. साझेदारी (Partnership)
  5. शांति (Peace)
- सतत् विकास लक्ष्य सार्वभौमिक (सभी राष्ट्रों के लिये - विकसित, विकासशील एवं कम विकसित), अंतर्संबंधित और अविभाज्य हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

- भारत में **नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नोडल संस्था** है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoS-PI) को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) को विकसित किया गया है।
- N.IF. सतत विकास लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है।
- वर्तमान में, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) में सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए **284 संकेतक** सम्मिलित है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG)	
लक्ष्य 1	गरीबी का अंत
लक्ष्य 2	भूखमरी समाप्त करना
लक्ष्य 3	आरोग्य एवं कल्याण
लक्ष्य 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
लक्ष्य 5	लैंगिक समानता
लक्ष्य 6	शुद्ध जल एवं स्वच्छता
लक्ष्य 7	किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा
लक्ष्य 8	सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास
लक्ष्य 9	उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना
लक्ष्य 10	असमानताओं में कमी लाना
लक्ष्य 11	संधारणीय शहर एवं समुदाय
लक्ष्य 12	उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन
लक्ष्य 13	जलवायु कार्रवाई
लक्ष्य 14	जलीय जीवन
लक्ष्य 15	स्थलीय जीवन
लक्ष्य 16	शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएँ
लक्ष्य 17	लक्ष्य के लिये साझेदारियाँ

विभिन्न इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स में सम्मिलित संकेतकों की संख्या

SDG टारगेट्स	ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (GIF)	नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF)	स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (SIF)	डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)
169	251	284	316	217

SDG इंडिया इंडेक्स

- नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स विकसित किया गया है।
- यह SDG मॉनिटरिंग हेतु महत्वपूर्ण साधन है।
- यह इंडेक्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्रगति को मापता है।
- इसका समग्र स्कोर की सीमा 0 से 100 है।
- राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में बाँटा गया है-
  1. अचीवर(Achiever): 100 के बराबर स्कोर
  2. फ्रंट रनर (Front Runner): 65 के बराबर या अधिक व 100 से कम स्कोर

3. परफ़ॉर्मर (Performer): 50 के बराबर या अधिक और 65 से कम स्कोर
4. एस्पिरेंट (Aspirant): 50 से कम स्कोर

- SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया। यह इंडेक्स **16 लक्ष्यों के 113 संकेतकों के आधार पर** बनाया गया है।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 (4.0)

- इसमें भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 के 66 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया है।
- राजस्थान का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2020-21 के 60 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 67 रहा।
- इसमें राजस्थान की स्थिति "परफॉर्मर" से "फ्रंट-रनर" श्रेणी में हो गई है।
- राजस्थान का लक्ष्य 7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। (स्कोर : 100 अर्थात् 'अचीवर श्रेणी)
- राजस्थान केवल लक्ष्य 7 में ही अचीवर श्रेणी में शामिल हुआ है।
- राजस्थान का लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी लाना) में सबसे खराब प्रदर्शन (सबसे कम स्कोर) रहा। (स्कोर: 49)
- लक्ष्य 1 (गरीबी का अंत) के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- इसमें स्कोर वर्ष 2020-21 में 63 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 82 हो गया, जो 19 अंकों की वृद्धि दर्शाता है।
- इसमें लक्ष्य 11 (संधारणीय शहर एवं समुदाय) के स्कोर में सर्वाधिक कमी आई।
- इसमें स्कोर वर्ष 2020-21 में 81 से कम होकर वर्ष 2034-24 में 75 हो गया, जो 6 अंकों की कमी दर्शाता है।
- इसमें लक्ष्य 7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) एकमात्र ऐसा लक्ष्य था जिसका स्कोर अपरिवर्तित रहा। (वर्ष 2020-21 और 2023-24 में स्कोर 100 रहा।)
- इसमें लक्ष्य 11 (संधारणीय शहर एवं समुदाय) और लक्ष्य 16 (शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएँ) के स्कोर में कमी दर्ज की गई, जबकि शेष लक्ष्यों के स्कोर में सुधार हुआ।

सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र

- राजस्थान में आयोजना विभाग सतत विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग है।
- राजस्थान में SDG हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग, समीक्षा एवं समन्वय करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, **जयपुर में सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केन्द्र** स्थापित किया गया है।
- प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा डेटा - आधारित नीतिगत निर्णयों में सहायता प्रदान करने हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सतत् विकास लक्ष्य कोर्डिनेशन एंड ऐक्सिलिरेशन सेंटर की स्थापना की गई है
- मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में एक **राज्य स्तरीय SDG क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन** किया गया है।
- जिला स्तर पर SDG की समीक्षा तथा आकलन करने के लिये संबंधित **जिला कलक्टर** की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय SDG क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति** का गठन किया गया है।
- सतत विकास गोल्स को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु **8 सेक्टॉरल विंग ग्रुप्स** का भी गठन किया गया है।

राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति को दर्शाने के लिए राज्य द्वारा राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट के 7 संस्करण जारी किए गए हैं।
- इसका पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था।
- नवीनतम 7वां संस्करण 29 जून 2025 को जारी किया गया।
- यह रिपोर्ट राज्य संकेतक फ्रेमवर्क 3.0 के 316 संकेतकों पर आधारित है।

प्रगति के आधार पर संकेतकों का वर्गीकरण

- Achieve – जिन संकेतकों के 2030 के लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।
- On Track – जिन संकेतकों को वर्तमान प्रगति दर से 2030 तक प्राप्त किया जा सकता है।
- Slow Progress – जिन संकेतकों में प्रगति धीमी है।
- Out of Track – जिन संकेतकों में प्रगति अत्यंत कम या नकारात्मक है।

राजस्थान SDG इंडेक्स

- राज्य में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रभावी स्थानीयकरण और क्रियान्वयन के लिए राजस्थान SDG इंडेक्स तैयार किया गया है।
- इस इंडेक्स का नवीनतम 6वां संस्करण अक्टूबर 2025 में जारी किया गया।
- इस संस्करण में झुंझुनू जिला 67.13 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा।
- जैसलमेर जिला 51.82 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा।

राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (SIF)

- राज्य में SDGs की प्रभावी निगरानी के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (SIF) विकसित किया गया है।
- इसके नवीनतम संस्करण 3.0 में 316 संकेतक शामिल किए गए हैं।

जिला संकेतक फ्रेमवर्क (DIF)

- जिला स्तर पर SDGs की प्रगति को मापने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF) तैयार किया गया है।

- इसके नवीनतम संस्करण 3.0 (2025) में 217 संकेतक शामिल हैं।

ब्लॉक संकेतक फ्रेमवर्क (BIF)

- ब्लॉक स्तर पर लक्ष्यों की निगरानी के लिए ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क (BIF) विकसित किया गया है।
- इसके संस्करण 1.0 में 110 संकेतक शामिल हैं।

SDG Coordination and Acceleration Center (SDGCAC)

- राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत 4 सितंबर 2025 को SDG Coordination and Acceleration Center स्थापित किया गया।
- यह केंद्र आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य SDGs की प्रगति का विश्लेषण करना तथा पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना है।

राजस्थान SDG इंडेक्स

संस्करण	वर्ष	सम्मिलित लक्ष्यों की संख्या	संकेतकों की संख्या
6.0	2025	14	100

- राजस्थान SDG इंडेक्स का 6वां संस्करण 14 लक्ष्यों के 100 संकेतकों के आधार पर विकसित किया गया है।
- इस सूचकांक में झुंझुनू जिला शीर्ष स्थान पर और जैसलमेर जिला अंतिम स्थान पर रहा है।

राजस्थान SDG इंडेक्स 2025 (6.0) में जिलों का प्रदर्शन

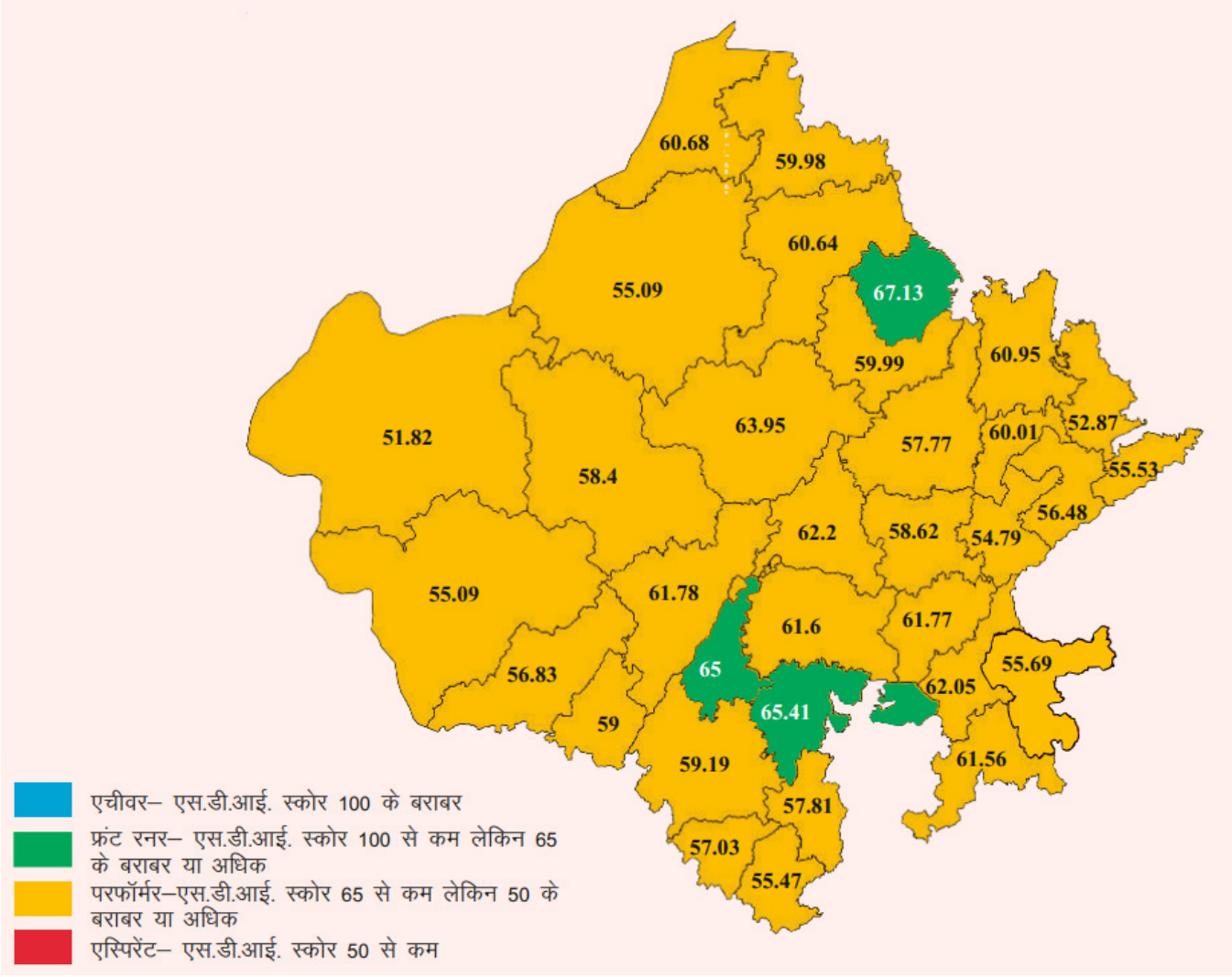

अध्याय - 10
ग्रामीण विकास

- राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु विकेन्द्रीकृत ढांचा है।
- इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

विजन स्टेटमेन्ट विकसित राजस्थान@ 2047

समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता

- राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण आबादी के नियोजित विकास के लिए पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP)

- **स्थापना:** राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई।
- यह परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- इसे समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **उद्देश्य:**
  - ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी आधार सृजित करना।
  - सतत आजीविका में वृद्धि द्वारा घरेलू आय में वृद्धि करना।
  - वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक निर्धनों की पहुँच बढ़ाना।
  - सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप ग्रामीणों की व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं चलाई की जा रही हैं:-

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):** यह मिशन सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।
  - इसमें केंद्र एवं राज्यों में वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।

राजीविका के अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्तमान में यह परियोजना राज्य के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है। 38,452 गांवों में कुल 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए गए हैं।
- राजीविका के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए बैंक ऋण दिए जा रहे है।
- राजस्थान महिला कोष के माध्यम से राजीविका की महिलाओं को ऋण दिए गए, ये ऋण 2.5% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, जिसमें 8% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आजीविका संवर्धन के लिए 2 उत्पादक कम्पनियां स्थापित की गई।
- महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से **कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में** उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई।

- कोटा और बारां जिलों में सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया।
- कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3,237 उत्पादक समूहों का गठन किया गया।
- 65 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए गए हैं।

नमो ड्रोन दीदी योजना

- केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- भारत सरकार द्वारा 1,070 कृषि ड्रोन एवं परिवहन वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों का सटीक छिड़काव संभव होगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉकों में 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं।

सोलर दीदी

- दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 25,000 सोलर दीदियों की पहचान कर ली गई है।

लखपति दीदी योजना

- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की आय वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 19.90 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें से 12.98 लाख महिलाएँ 'लखपति दीदी' श्रेणी में शामिल की गई हैं।

बैंक सखी

- इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ा गया है। कुल 7,104 महिलाएँ डिजिटल सखी (DG Pay सखी) के रूप में कार्यरत हैं। राज्य में 6,053 महिलाएँ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी (BC सखी) के रूप में सेवाएँ दे रही हैं।

पशु सखी एवं कृषि सखी

- राजीविका कार्यक्रम की गतिविधियाँ मुख्यतः महिलाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। कुल 37,369 स्वयं सहायता समूह सदस्य पशु सखी के रूप में कार्यरत हैं।
- इसके अलावा 36,787 एस.एच.जी. सदस्य कृषि सखी के रूप में कार्य कर रही हैं।
- 8 जिलों (बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर) में 517 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए।
- उद्यमिता संवर्धन के तहत 54,879 से अधिक महिला उद्यम (जिनमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, हस्तशिल्प, किराना और महिलाओं के स्टोर आदि शामिल हैं) स्थापित किए गए।
- गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 288 उत्पादक समूहों का गठन किया गया।
- उड़ान योजना के तहत सभी जिलों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। दिसम्बर, 2025 तक कुल 63 लाख सेनेटरी पैड वितरित किए गए हैं।
- राज सखी मोबाइल ऐप विभिन्न सखी संवर्गों के लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGS)

- उद्देश्य: ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ाना।
- यह योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)

- इस योजना के तहत मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है।
- इसमें राज्य के 47 अनुसूचित जनजाति (ST) ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मिशन अमृत सरोवर

- **उद्देश्य:** प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) का निर्माण/विकास करना है, जिसके तहत राज्य का लक्ष्य 2475 रखा गया है।
- इसमें प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम एक एकड (0.4 हैक्टेयर) का तालाब क्षेत्र होगा। इसके प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 3,138 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण में कुल 601 अमृत सरोवर को चिह्नित किया गया।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)

- "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG)" की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है।
- मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVIG) का विकास करना है।
- राजस्थान के बारां जिले की सभी 08 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के परिवारों को 2 लाख रुपये आवास निर्माण हेतु एवं शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये एवं मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि 25,290 रुपये सहित कुल राशि 2.37 लाख रुपये का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत पक्का आवास होने पर अथवा परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन, कमजोर जनजातीय समूहों के परिवार पात्र हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

- यह योजना 20 नवम्बर, 2016 को शुरू की गई थी।
- **लाभार्थी का चयन:** सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) -2011 के समंको के आधार पर।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपये देय है।
- प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 12,000 रुपये देय है।
- मनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी (90 मानव दिवस तक) भी देय है।
- केन्द्र व राज्य के वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA LAD)

- यह योजना राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया।
- उद्देश्य: स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20% राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास पर खर्च करना अनिवार्य है। विधायकों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए वार्षिक आंवटन के 20% तक की सिफ़ारिश की जा सकती है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MP LAD)

- इस योजना के तहत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है।
- राज्यसभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।
- "गम्भीर प्राकृतिक आपदा' की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य के बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येकं आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की स्थाई सम्पत्ति का निर्माण करवा सकते हैं।
- सम्बन्धित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिवस में प्रदान की जाती है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 से शुरू किया गया।
- यह मुख्यत: मेवात क्षेत्र (अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग जिलों के 14 ब्लॉक के 807 गाँव शामिल) के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है।

महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना (MMGJVY)

- पुराना नाम : गुरू गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जन-भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 70% (कुल जनसंख्या के 40% से साधिक ST/SC आबादी वाले क्षेत्र में 80%) राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है एवं शेष राशि जन भागीदारी से एकत्र की जाती है।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- **डांग क्षेत्र:** बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त तथा पिछड़े हुए क्षेत्र।
- **उद्देश्य:** इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया।
- यह कार्यक्रम 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बून्दी) के 2,192 गांवों को शामिल किया गया है।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- **मगरा क्षेत्र:** पहाड़ी क्षेत्र से घिरा राजस्थान का दक्षिणी-मध्य भाग (ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, एवं राजसमन्द) जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नहीं आता है।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया।
- वर्तमान में यह उपर्युक्त 5 जिलों के 1,746 गांवों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:** मगरा क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना।
- इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सडक निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

बायो-फ्यूल प्राधिकरण

- वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा बायोफ्यूल नीति घोषित कर अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया।

- राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 30 अप्रैल, 2019 को तैयार किए गए।
- राजस्थान, जैव ईंधन नियम तैयार करने तथा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 के अर्न्तगत राज्य में 12 बायोडीजल (B-100) उत्पादक फर्मों को पंजीकृत किए गए।
- राजस्थान में खुदरा बिक्री के लिए 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन जैव ईंधन (बी-100) उत्पादन क्षमता सृजित की गई है।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड

- वर्ष 2016 को राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम बदलकर **"राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड"** किया गया।
- इसे 11 फरवरी 2022 को पुनर्गठित किया गया।
- उद्देश्य: राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करना।
- जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)

- उद्देश्य: चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार करना।
- इन ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों द्वारा किया जाता है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना (SPMJUY)

- इस योजना को जून 2025 में सम्पूर्ण राज्य में प्रारंभ किया गया।
- उद्देश्य: जिले में आवश्यकताओं को पूरा कर आर्थिक विकास एवं समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- यह योजना राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू है।
- इसमें भागीदारी आधारित योजना निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।
- यह योजना कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, पर्यटन, MSME तथा खेल क्षेत्रों पर केंद्रित है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना

- यह राज्य वित्त पोषित योजना वर्ष 2025-26 में प्रारंभ की गई।
- योजना का उद्देश्य गरीबी मुक्त राजस्थान का निर्माण करना है।
- बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार 22 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना लक्ष्य है।
- यह योजना राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है।
- यह योजना प्रथम चरण में 5 हजार, द्वितीय चरण में 5 हजार एवं तृतीय चरण 10 हजार गांवों में क्रियान्वित की जाएगी।
- इसमें आजीविका सृजन एवं स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- यह राज्य वित्तपोषित कार्यक्रम वर्ष 2025-26 में प्रारंभ किया गया।
- सिका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ एवं रणनीतिक क्षेत्रों का विकास करना है।
- इसका लक्ष्य सीमावर्ती परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

प्रमुख कार्य

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास।
- पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण अवसंरचना का विकास।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना एवं गांवों में प्रकाश व्यवस्था।
- कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन।
- लघु सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण।
- खेल अवसंरचना का निर्माण।
- पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- महिला सशक्तिकरण गतिविधियाँ संचालित करना।
- कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना।

पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाना

पंचायती राज

- भारत में पंचायती राज की शुरूआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर, 1959 को प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गई थी।
- 24 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज संस्थाओं के त्रि-स्तरीय रूप को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेद-243G में पंचायतों की कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए।
- PESA (Panchayat Extension for Scheduled Areas) Act 1996 में लागू किए गए।
- भारत में पंचायती राज की "त्रिस्तरीय व्यवस्था' है-
  1. ग्राम पंचायत - ग्राम स्तर पर (प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय)
  2. पंचायत समिति - खण्ड स्तर पर (ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी)
  3. जिला परिषद - जिला स्तर पर (ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय)
- वर्तमान में राजस्थान में 41 जिला परिषद्, 457 पंचायत समितियां और 14,403 ग्राम पंचायतें हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान

पन्द्रहवां वित्त आयोग	छठा राज्य वित्त आयोग
■ अवधि: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (5 वर्ष) है। ■ अनुशंसित अनुदान का 40% बेसिक अनटाईड अनुदान एवं 60% बेसिक टाईड अनुदान के रूप में होगा। ■ व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50% की 2 किश्तों में जारी किया जाएगा। ■ स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने हेतु: 50% टाईड अनुदान। ■ बुनियादी सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण हेतु: शेष 50% टाईड अनुदान।	■ अवधि: वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 है। ■ **राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7% हिस्से** का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य **73.2 एवं 26.8 के अनुपात** में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। ■ पंचायती राज संस्थाओं के मध्य जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मध्य राशि के वितरण का अनुपात क्रमशः 5:20:75 रहेगा। ■ मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए - 55% राशि ■ राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं हेतु: 40% राशि ■ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आय में वृद्धि के प्रोत्साहन अनुदान हेतु: 3% राशि ■ लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए: 2% राशि

■ नोट: राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री प्रधयुम्न सिंह थे तथा इसके 2 सदस्यों में डॉ. लक्ष्मण सिंह रावत और डॉ. अशोक लाहोटी शामिल थे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

■ राजस्थान 31 मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुका है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ किया गया है जो 5 वर्षों तक क्रियान्वित किया जाएगा।

■ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II का मुख्य उद्देश्य गांवों में ODF की स्थिति को बनाए रखना है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं 'तरल कचरा प्रबन्धन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गांवों को ODF+ बनाना है।

स्वच्छ भारत मिशन हेतु प्रावधान

■ **व्यक्तिगत शौचालय:** BPL एवं APL(SC,ST एवं लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूरों, दिव्यांग एवं महिला मुखिया वाले परिवारों) को 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

■ **सामुदायिक स्वच्छतापरिसर:** ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपये की लागत से विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण होगा, जिसमें 15वें वित्त आयोग से 30% राशि व्यय करने का प्रावधान है।

■ **ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन:** ठोस एवं तरल कचरे का पर्याप्त प्रबंधन से, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार कर समुदाय का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

■ वर्ष 2025-26 के दौरान (दिसम्बर तक) में कुल 414 गांवों को ओडीएफ प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया।

गोबर-धन परियोजना:

■ यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है।

■ **उद्देश्य:** पशुओं के गोबर और जैविक कचरे से गांवों को साफ करके तथा ऊर्जा और खाद का उत्पादन करके आय के स्रोत विकसित करना।

■ प्रत्येक जिलें में एक आदर्श गोबर-धन परियोजना स्थापित की जा रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल 7 गोबर-धन परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं।

पंचायत विकास योजना (PDP)

■ भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है।

■ इसके तहत ग्राम पंचायतों की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर योजना बनाकर वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

■ वर्ष 2025-26 हेतु पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलाया गया।

स्वामित्व योजना

■ यह योजना 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस के अवसर पर शुरू की गई।

■ यह कार्यक्रम पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रुप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

■ इस योजना के तहत **भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।**

- मानचित्र के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत सम्बन्धित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी।
- इसके तहत वर्ष 2025-26 (माह दिसम्बर तक) में भूमि स्वामियों को कुल 4.13 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

- पूर्व नाम: इन्दिरा रसोई योजना।
- शुरुआत: 6 जनवरी 2024 को।
- इस योजना के तहत स्थानीय स्वादानुसार किफ़ायती दर पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राजस्थान के सभी चिन्हित ग्रामीण कस्बों में इस योजना का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है।
- इसके तहत 796 रसोइयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।
- इस योजनान्तर्गत लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपये लिए जा रहे हैं एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का भुगतान किया जाता है।
- प्रत्येक लाभार्थी को 600 ग्राम भोजन (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 100 ग्राम चावल / बाजरा खिचड़ी और अचार) की थाली परोसने का प्रावधान है।

अटल ज्ञान केन्द्र

- इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पुस्तकालय की सुविधा विकसित की जाएगी।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के स्व-अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
- दिसम्बर, 2025 तक राजस्थान में कुल 1,607 अटल ज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)

- पुराना नाम: पंचायत सशक्तिकरण अभियान (PSA)
- वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) नाम कर दिया गया।
- वर्तमान में यह **"पुनरूत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान"** के नाम से संचालित किया जा रहा है जिसकी अवधि 31 मार्च, 2026 तक निर्धारित है।
- यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है।
- इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।

ग्राम पंचायत भवन निर्माण

- ग्रामीण सचिवालय हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सभी कार्यालयों को एक परिसर में लाने हेतु भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर सभी सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

अम्बेडकर भवन

- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू भूखंड / पट्टा आवंटन अभियान

- 2 अक्टूबर, 2024 को, राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू श्रेणियों के बेघर परिवारों को भूखंड/पट्टे आवंटित किए गए।
- यह अभियान बेहतर आवास की स्थिति सुनिश्चित करती है और वंचित समूहों की आवास समस्याओं का समाधान करती है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान – 2.0 (MJSA 2.0)

- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 को फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया।
- इसका उद्देश्य अधिकतम वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके तहत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (MPT) और सब-सर्फेस बैरियर (SSB) का निर्माण किया जाता है तथा पुरानी जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत एवं पुनर्जीवन किया जाता है।
- अगले चार वर्षों में राज्य के 20,000 गांवों में जल संचयन एवं संरक्षण संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है।
- दिसंबर 2025 तक प्रथम चरण में कुल 1,10,059 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
- द्वितीय चरण में 99,930 कार्यों के लक्ष्यों के विरूद्ध कुल 26,059 कार्य स्वीकृत किये गये एवं कुल 2880 कार्य पूर्ण करवाये गए।

समावेशी और सतत् ग्रामीण गैर-कृषि विकास को प्रोत्साहित करना

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (RUDA)

- स्थापना: नवम्बर, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रुप में।
- उद्देश्य: राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना एवं दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देना।
- यह राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करता है।
- इन गतिविधियों के द्वारा दस्तकारों, बुनकरों, कुम्भकारों, मूर्तिकारों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
- रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है:-
  1. चमड़ा
  2. ऊन एवं वस्त्र
  3. लघु खनिज (S.C.P.)

अध्याय - 11
शहरी विकास

- शहरीकरण से तात्पर्य बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवनशैली हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लगातार जनसंख्या के बढ़ने से है।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सतत विकास रिपोर्ट, 2023

- इसके अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है।
- इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 66.66% तक होने का अनुमान है।
- शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद लगभग 80% योगदान है।

विजन स्टेटमेंन्ट - विकसित राजस्थान @2047

- समावेशी और सतत् शहरी केन्द्रों के निर्माण हेतु राज्य द्वारा 5R दृष्टिकोण से स्वच्छ शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा –
  - कम करें (Reduce), पुनः उपयोग करें (Reuse), रीसाइकिल करें (Recycle), पुनःप्राप्त करें और निकालें (Recover)।

शहरी विकास हेतु प्रमुख क्षेत्र

चित्र 11.1 : प्रमुख क्षेत्र

सतत् शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन

- भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 17.97% से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.14% हो गई।
- राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 16.28% से बढ़कर वर्ष 2011 में 24.87% हो गई।
- भारत की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 34.43% एवं वर्ष 2031 में 37.55% अनुमानित है।

राजस्थान की जनसंख्या (करोड में)

	2011	2031 (अनुमानित)
जनसंख्या	6.85	8.72
पुरूष जनसंख्या	3.55	4.44
महिला जनसंख्या	3.30	4.28

- राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 26.33% एवं वर्ष 2051 में 27.74% अनुमानित है।

राजस्थान की शहरी जनसंख्या (लाख में)

	2011	2031 (अनुमानित)
महिला	81	116
पुरूष	89	126
कुल	170	242

बच्चों की जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग)

	वर्ष 2001	वर्ष 2011
जनसंख्या आयु वर्ग (0-6 वर्ष)	106 लाख (लड़के: 52.39% लड़कियाँ: 47.61%)	106 लाख (लड़के: 52.95% लड़कियाँ: 47.05%)

लिंगानुपात

- वर्ष 2011 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 914 महिलाओं का था। (2001 में 890 था।) (लिंगानुपात में वृद्धि: 24)
- वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाएं था। (वर्ष 2001 में, 930 था)

राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगनुपात वाले जिले

सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	टोंक	985
2.	बाँसवाड़ा	964
3.	प्रतापगढ़	963
4.	डूंगरपुर	951
5.	राजसमंद	948

न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	जैसलमेर	807
2.	धौलपुर	864
3.	अलवर	872
4.	श्रीगंगानगर	878
5.	भरतपुर	887

बाल लिंगानुपात

- राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र ने शहरी क्षेत्र की तुलना में बाल लिंगानुपात के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट देखी गई।
- वर्ष 2011 में, शहरी राजस्थान में बाल लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 874 लड़कियों तक घट गया, जबकि ग्रामीण राजस्थान में यह घटकर प्रति 1,000 लड़कों पर 892 लड़कियों का हो गया।

राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम बाल लिंगनुपात वाले जिले

सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	नागौर	907
2.	बीकानेर	906
3.	भीलवाड़ा	904
4.	बारां	901
5.	चुरू	899

न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	धौलपुर	841
2.	श्रीगंगानगर	842
3.	दौसा	847
4.	अलवर	851
5.	भरतपुर	852

साक्षरता दर

- वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40% थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11 प्रतिशत हो गई।
- राजस्थान में शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.40% थी।

राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले

सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	साक्षरता (%में)
1.	उदयपुर	87.5
2.	बाँसवाड़ा	85.2
3.	प्रतापगढ़	84.8
4.	डूंगरपुर	84.4
5.	अजमेर	83.9

न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	साक्षरता (%में)
1.	नागौर	70.6
2.	जालौर	71.1
3.	चूरु	72.6
4.	धौलपुर	72.7
5.	करौली	72.8

जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के शहर

- जयपुर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से रीजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। बाँसवाड़ा 1.01 लाख की आबादी के साथ राजस्थान का सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है।

क्र.सं.	जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर
1.	जयपुर (30.46 लाख)
2.	जोधपुर (11.38 लाख)
3.	कोटा (10.02 लाख)
4.	बीकानेर (6.44 लाख)

राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिले (प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक शहरी क्षेत्र)

क्र. सं.	राजस्थान के सबसे बड़े शहरीकृत (प्रतिशत के आधार पर)	क्र. सं.	राजस्थान के सबसे कम शहरीकृत जिले जिले (प्रतिशत के आधार पर)
1.	कोटा (60.31%)	1.	डूंगरपुर (6.39%)
2.	जयपुर (52.40%)	2.	बाड़मेर (6.98%)
3.	अजमेर (40.08%)	3.	बांसवाडा (7.10%)
4.	जोधपुर (34.30%)	4.	प्रतापगढ़ (8.27%)
5.	बीकानेर (33.86%)	5.	जालौर (8.30%)

राजस्थान में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन

- जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरूष मुख्यतः रोजगार के अवसरों के लिए तथा महिलाएँ मुख्यतः वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करती हैं।
- जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 7.94 करोड़ व्यक्तियों ने और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया।
- राजस्थान का अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4% है।
- राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का समान कारण (रोजगार) है।

राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति

- भारत की जनगणना 2011 में घरों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है- अच्छी, रहने-योग्य और जीर्ण-शीर्ण।

राजस्थान और भारत में शहरी घरों की स्थिति

	राजस्थान	भारत
अच्छी	68.9%	68.4%
रहने योग्य	29.3%	-
जीर्ण शीर्ण	1.8%	-

राजस्थान में झुग्गी-झोपडी/कच्ची बस्ती के निवासी (शहरी)

- देश के विभिन्न भागों में कच्ची बस्तियों का निर्माण और विकास ग्रामीण से शहरी प्रवास, उच्च बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक ठहराव और कमजोर योजना जैसे कारणों से होता है।
- **कच्ची बस्ती:** ऐसे सभी घने क्षेत्र जिसमें कम से कम 300 की जनभ संख्या अथवा 60-70 परिवार रहते हों एवं ऐसे आवासीय समूह में हों जो पूरी तरह अनियोजित तरीके से बसे हुए हों जिनमें आधारभूत नागरिक सुविधाओं यथा- प्रकाश, पीने का पानी, जल-मल व्ययन व स्वच्छ हवा का पूरी तरह से अभाव हो।
- 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वालों की आबादी 20.68 लाख है, जो कुल शहरी आबादी का 12.13% है।
- कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3.23 लाख जयपुर शहर में है जो कि जयपुर शहर की कुल जन_संख्या का 10.62% है। (राज्य की कच्ची बस्ती जनसंख्या का 15.64%)
- शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत पीलीबंगा (नगर परिषद) में 74.53% है।

सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार

शहरी विकास प्राधिकरण

- राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और समन्वित तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान में **7 विकास प्राधिकरण** (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर) है।
- इसके अलावा 12 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्रीगंगानगर, सीकर, बालोतरा, दौसा बांदीकुई और सवाई माधोपुर) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है।
- ये क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है।
- ये रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पाकिंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण कार्य कराता है।

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

फेज	स्टेशन	वित्त पोषण	विवरण
फेज-1A	❑ मनसरोवर से चांदपोल	❑ पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित	❑ संचालन: 3 जून, 2015 से।
फेज-1B	❑ चांदपोल से बड़ी चौपड़	❑ एशियाई विकास बैंक (ADB) और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित।	❑ लंबाई: 2.01 किमी. ❑ छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ दो. स्टेशन पूर्णतः भूमिगत है। ❑ संचालन: 23 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ।

फेज-1C	❑ बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर	❑ राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित और वित्त पोषित।	❑ **क्रियान्वयन:** राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRC) द्वारा। ❑ मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत।
फेज-1D	❑ मानसरोवर से 200 फीट बायपास अजमेर रोड़	❑ राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित और वित्त पोषित।	❑ **क्रियान्वयन:** राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRC) द्वारा। ❑ मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत।
फेज-2	❑ प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़	❑ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई।	❑ कुल लम्बाई 23.5 किलोमीटर है। ❑ **क्रियान्वयन:** राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRC) द्वारा। ❑ मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी – 2025

- इसे राज्य के शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा 10 दिसम्बर, 2025 को अधिसूचित किया गया।
- इसका उद्देश्य भूमि उपयोग एवं सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया है।
- इसके अंतर्गत पैदल आवागमन को प्रोत्साहन व गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है।
- इसमें टीओडी योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता अवसंरचना वृद्धि शुल्क के माध्यम से प्रदान की जाती है।

टीओडी क्षेत्र निर्धारण

- टीओडी क्षेत्र को मेट्रो जैसे जन परिवहन स्टेशनों एवं कॉरिडोरों के आसपास चिन्हित किया जाता है। इन क्षेत्रों को स्टेशन से 500 से 800 मीटर की परिधि में अधिसूचित किया जाता है।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA)

- राज्य में स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च, 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (REAT) का गठन किया गया हैं।

राजस्थान टाउनशिप नीति – 2024

- इसे राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 17 जुलाई, 2025 को अधिसूचित किया गया है।
- इस नीति का उद्देश्य राज्य में संतुलित शहरी विस्तार को बढ़ावा देना है। इसमें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरल नियोजन नियम निर्धारित किए गए हैं।

प्रावधान

- इसके तहत टाउनशिप में एकीकृत अवसंरचना विकसित की जाएगी।
- सड़कों का सुव्यवस्थित निर्माण किया जाएगा।
- जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- जल निकासी एवं विद्युत सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।
- खुले क्षेत्र एवं सामुदायिक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
- इस नीति के माध्यम से आवास, अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं से युक्त बड़े स्तर की आत्मनिर्भर टाउनशिप विकसित की जाएंगी।

राजस्थान आवासन मंडल

- राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी, 1970 को की गई।
- यह एक स्वायत्तशासी निकाय है।
- इसका उद्देश्य राज्य में आवासीय आवश्यकताओं का समाधान करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय सुझाना है।

नगर नियोजन विभाग

- **कार्य:** शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान एवं अन्य नगरीय योजनाएं बनाकर नगरों के भौतिक विकास को दिशा प्रदान करना।

राजस्थान भूमि आवंटन नीति – 2025

- राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2025 में विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति के प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होंगे। जिन मामलों का निस्तारण पूर्व में हो चुका है, उन पर यह नीति लागू नहीं होगी।
- यह नीति राजस्थान आवास मंडल सहित राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों, न्यासों एवं प्राधिकरणों पर लागू होगी।

- यह नीति राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 और राजस्थान नगरपालिकाएं (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के अंतर्गत लागू की गई है।
- इसके तहत सामाजिक, सार्वजनिक, धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटित की जा सकती है।
- निजी निवेशकों, कंपनियों एवं ट्रस्टों को भी भूमि आवंटन की अनुमति दी गई है।
- सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निकायों को भी भूमि आवंटन किया जा सकता है।
- समाचार पत्रों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी भूमि आवंटन का प्रावधान शामिल है।

मास्टर प्लान

- मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओ के अन्तर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- राज्य के 309 नगरपालिका शहरों में से 194 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके हैं।
- जयपुर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 में चौमू बगरू और बस्सी जैसे नए शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- टपूकड़ा और कोटकासिम को ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है, जबकि नीमराना और बर्डोद, शाहजहाँपुर-नीमराना-भिवाड़ी (SNB) मास्टर प्लान के अंतर्गत आते हैं।
- राजस्थान में 79 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया, जिनके मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR सेल अलवर, भरतपुर, खैरथल-तिजाधरा, कोटपुतली-बहरोड़ और डीग जिलों में प्रशासन और स्थानीय निकायों को नियोजन के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** इन क्षेत्रों में प्रभावी शहरी और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है|
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCR PB) इन क्षेत्रो के लिए विकास योजनाएँ चलाता हैं एवं ऋण सहायता प्रदान करता हैं।

प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन

- प्रभावी शहरी प्रशासन और नीति कार्यान्वयन संघारणीय शहरी विकास हेतु राजस्थान वर्तमान में निम्नलिखित पहल को लागू कर रहा है-

दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)

- इस योजना को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है।
- इस योजना को जून, 2025 से जयपुर नगर निगम में पायलट शहर के रूप में लागू किया गया।
- इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के संवेदनशील व्यवसायिक समूहों को सशक्त बनाना है।
- **लाभार्थी वर्ग:** भवन निर्माण श्रमिक, परिवहन श्रमिक, ठेला एवं रेहड़ी चालक, कचरा संग्रहणकर्ताओं एवं अपशिष्ट चुनने वालों (वेस्ट पिकर्स) और घरेलू कामगार।
- इसके तहत समुदाय आधारित संस्थागत विकास (CLID) और वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास (FIED) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi 2.0)

- इस योजना का पुनर्गठन 9 सितंबर, 2025 को किया गया है।
- यह पुनर्गठन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- योजना की अवधि को मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है।
- इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स एवं उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त कर लाभार्थियों को केंद्र सरकार की नौ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

नए प्रावधान

- योजना के अंतर्गत तीन ऋण श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं — ₹15,000, ₹25,000 एवं ₹50,000
- प्रत्येक ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा 7% वार्षिक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- डिजिटल लेन-देन करने वाले लाभार्थियों को ₹1,200 तक कैशबैक दिया जाएगा।
- ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त ₹400 का कैशबैक प्रदान किया जाएगा।

राजीव आवास योजना (RAY)

- इसका उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को स्थायी आवास प्रदान किए गए हैं।
- इसमें आवास निर्माण के साथ-साथ बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ - पेयजल आपूर्ति, सड़कों एवं अन्य आवश्यक शहरी सुविधाएँ भी विकसित की गई हैं।
- इसके तहत 16 शहरों में 19 परियोजनाओं हेतु आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है।

राजस्थान शहरी विकास निधि-द्वितीय (RUDF-II)

- गठन: 25 अगस्त, 2021 को।
- इसे आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)/वित्तीय संस्थानों, बैंको से ऋण/हुडको तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष/ अतिरिक्त अनुदान एवं नगरीय निकायों द्वारा वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है।

स्मार्ट सिटीज मिशन

- शुरुआत: जून, 2015 में।
- **उद्देश्य:** शहरों में नागरिकों को अच्छी गुणवता वाला जीवन, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण तथा शहरों के विकास के लिये स्मार्ट समाधान उपलब्ध कराना।
- इस मिशन में 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना है।
- भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर के लिए 100 करोड़ रुपये एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए दी जाएगी।
- राजस्थान के 4 शहरों- जयपुर, उदयपुर, कोय एवं अजमेर को स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया।

अमृत (AMRUT) मिशन

- यह केन्द्र सरकार की योजना है।
- शुरुआत: जून, 2015 में।
- AMRUT: Atal Mission Rejuvenetion and Urban Transformation.
- अमृत योजना के अन्तर्गत शामिल 500 शहरों में से राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत्त 2.0)

- यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत सीवरेज, जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य करवाए जा रहे हैं।
- इसमें राजस्थान के 31 शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज से संबंधित कार्य किए गए है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0

- **उद्देश्य:** सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है।
- राजस्थान के सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया है और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

- अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का शुभारम्भ किया गया। यह 5 वर्ष की अवधि (2 अक्टूबर 2026 तक) के लिए है।
- इस योजना के मुख्य घटकों में शौचालय निर्माण यानी व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL), सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालय (CT/PT), मूत्रालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, (EC और CB) हैं।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

- यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शहरी निकायों में संचालित की जा रही है। इस योजना का मूल मंत्र "लक्ष्य अंत्योदय-प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय' है। इसके तहत राज्य में 230 नगरीय निकायों में 992 रसोईयों का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत आमजन को 8 रुपये में थाली उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली राजकीय अनुदान दिया जा रहा है।
- नवगठित 79 नगरीय निकायों में भी अन्नपूर्णा रसोई के संचालन होगा, इस प्रकार **राजस्थान में कुल 1,071 श्री अन्नपूर्णा रसोईयों को स्वीकृति** प्रदान की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- उद्देश्य: बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये) व निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3 रुपये से 6 लाख) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत राज्य में 2,77,908 आवासों को स्वीकृति दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

- इसका उद्देश्य 2029 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख तक) तथा निम्न आय वर्ग (₹3 लाख से ₹6 लाख तक) के परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत कुल 55,238 आवासों को स्वीकृति दी गई हैं।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF)

- राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस निधि का गठन किया गया था।
- इस राशि का उपयोग यातायात प्रबंधन से जुड़े विभाग/शहरी स्थानीय निकाय/कंपनी एवं निगमों को अनुदान एवं ऋण राशि उपलब्ध करवाने में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

- यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इसके तहत जन आधार आईडी से निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 125 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
- इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक, 7.05 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- इस योजना में 90% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं। (महिला सशक्तिकरण)

राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP) चरण- III

- इसके तहत राजस्थान के 12 शहरों पाली, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और टोंक (सीवरेज और जलापूर्ति) के साथ - साथ भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़-पाटन, कोटा (सीवरेज) और बांसवाड़ा (ड्रेनेज) में कार्य करवाए जा रहे है।

राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP) चतुर्थ चरण ट्रेंच-I

- इसके तहत राजस्थान के 14 शहरों सिरोही, आबूरोड, सरदारशह हर, बाँसवाड़ा, खेतडी, मण्डावा, कुचामन (सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य) एवं रतनगढ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लाडनूं, डीडवाना, मकराना (सीवरेज कार्य) तथा लक्ष्मणगढ़ में जलप्रदाय कार्य किए जा रहे है।
- इसके अतिरिक्त, 12 शहरों बांदीकुई, नीम का थाना, जोबनेर, बारी, डीग, भवानी मंडी, शाहपुरा (भीलवाड़ा), तिजारा, भींडर, कानोड़, गंगापुर (भीलवाड़ा), दौसा और सूरतगढ़-पीलीबंगा में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) के कार्य जारी हैं।

राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP) चतुर्थ चरण ट्रेंच-II

- यह एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसके चरण IV के दूसरे चरण के अंतर्गत, 16 शहरों में बुनियादी ढांचे के कार्य किए जाएंगे।
- इस परियोजना में सीवरेज, जलापूर्ति, शहरी सौंदर्यी करण, और मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं

अध्याय - 12
प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ

- राजस्थान नवाचार, समावेशिता और नागरिक-केन्द्रित सुधारों के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व युक्त सुशासन स्थापित कर रहा है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी उन्नत तकनीकें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने की क्षमता, संसाधन आवंटन और सेवा प्रदायगी को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगी।

विजन स्टेटमेन्ट - विकसित राजस्थान @ 2047

प्रमुख क्षेत्र

- भविष्य–उन्मुख राजस्थान के लिए अवसंरचना विकास
- डिजिटल शासन एवं जनसुलभता
- न्यायिक एवं विधिक प्रणाली आधुनिकीकरण
- भूमि एवं संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता
- सतत् भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय मॉनिटरिंग
- कानून प्रवर्तन और सुरक्षा को बढ़ाना
- प्रौद्योगिकी–संचालित पुलिसिंग एवं निगरानी
- पुलिस प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
- सेवा नियमों में संशोधन एवं भर्ती सुधार
- नागरिक–केंद्रित शासन

राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवा के तीन स्तंभ

1. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित नागरिक - केंद्रित सेवा प्रदायगी
2. प्रभावी वित्तीय प्रबंधन
3. पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित नागरिक - केंद्रित सेवा प्रदायगी

स्मार्ट (SMART) प्रोजेक्ट

- SMART पूरा नाम: **सर्विस मैनेजमेन्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम।**
- **उद्देश्य:** वर्ष 2025-26 के लिए बजट घोषणाओं की अनुपालना में नागरिक-केन्द्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी।
- इसके तहत एक **"नागरिकों का डेटाबेस"** तैयार किया जाएगा।
- इस डेटाबेस से स्मार्ट सिस्टम द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
- इससे पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के लाभ, बिना आवेदन के स्वतः वितरित किए जाएंगे।
- यह लाभार्थियों की स्वत: पहचान, स्वतः आवेदन, स्वत: अनुमोदन और लाभों की स्वतः प्रदायगी सुनिश्चित करेगी।

जन आधार

- राजस्थान सरकार द्वारा "राजस्थान जन आधार योजना" संचालित की जा रही है।
- **उद्देश्य:** जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभों को (नकद या गैर-नकद) सरलता, सुगमता व पारदर्शिता से पहुँचाना।
- वर्तमान में जन आधार डेटाबेस देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरैक्टरी में से एक है।
- जन आधार पोर्टल राज्य के निवासियों को नकद और गैर-नकद लाभ के हस्तांतरण के लिए एक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण) पोर्टल की सुविधा प्रदान करता है।

जन आधार योजना की प्रमुख विशेषताएं —

- **एकल नम्बर:** राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 अंकों की एक परिवार पहचान संख्या।
- **एकल पहचान:** पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण, परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों का प्रमाण।
- **महिला सशक्तिकरण:** परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया बनाया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन:** परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।
- **अयोग्य एवं दोहरे लाभार्थियों की सटीक पहचान का माध्यम:** विभिन्न विभागों को योजनाओं के समस्त लाभों के हस्तांतरण हेतु लाभार्थियों की सूचना जन आधार डेटाबेस से लेना अनिवार्य है।

- **सरकारी योजनाओं के लाभ घर के समीप:** योजनाओं / सेवाओं के पात्र लाभार्थियों के जन आधार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण उनके बैंक खातों में किया जा रहा है।

राजस्थान सम्पर्क (181)

- यह एक केन्द्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है।
- राज्य का कोई भी नागरिक टोल-फ्री नंबर 181 डायल करके संबंधित विभागों में अपना परिवाद दर्ज करा सकता है।
- यह नागरिकों के सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों व शिकायतों के समाधान में सहायक है।

राजस्थान सम्पर्क 2.0

- इसका शुभारंभ 23 मार्च, 2025 को किया गया।
- यह उन्नत एवं केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है।
- इसके तहत रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डेटा आधारित निगरानी तथा विभागों के मध्य सेवा प्रदायगी सुविधा दी जाएगी।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (RGDPS) अधिनियम, 2011

- इसके तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करती है।
- इसके तहत नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों से अलग-अलग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रत्येक अधिसूचित सेवा की प्रदायगी के लिए एक नामित अधिकारी होता है। इसके तहत नामित अधिकारी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।
- यदि नामित अधिकारी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के सेवाएं नही प्रदान करता है, तो नामित अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें **28 विभागों की कुल 306 सेवाओं को अधिसूचित** किया गया है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम (RTH), 2012

- इस अधिनियम के तहत वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में प्राप्त कुल 84,099 आवेदनों में से 84,048 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

जनसुनवाई प्रणाली

- यह त्रि-स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली नागरिक-केन्द्रित पहल है।
- यह प्रणाली तीन स्तरों पर संचालित है जिला स्तर, उपखण्ड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर।
- **उद्देश्य:** शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- नागरिकों को अपनी शिकायतें लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ई-मित्र

- **उद्देश्य:** राज्य के नागरिकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आईटी-सक्षम सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से सूचना और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 600 से अधिक G2C और B2C सेवाएं उपलब्ध हैं।
- ई-मित्र मोबाइल ऐप और आईटी-सक्षम भौतिक कियोस्क के माध्यम से 78,000 से अधिक आउटलेट्स पर यह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- दिसम्बर, 2025 में ई-मित्र पोर्टल पर 10 नवीन सेवाएं प्रारम्भ की गई।

ई-मित्र प्लस

- यह नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाओं तक सहज और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने हेतु है।
- यह सेवा एटीएम की तरह बिना किसी मानवीय संपर्क के नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
- यह भारत में शुरू की गई पहली पहल है, जिससे नागरिक सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन-बिल्ट प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं।
- इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- राज्य में कुल 14,891 ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित किए जा चुके हैं।

जन सूचना पोर्टल

- यह एक केन्द्रीय प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं की आसान, पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराता है।
- इस पोर्टल पर दिसम्बर, 2025 तक 117 विभागों, 351 योजनाओं और749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है।

आई स्टार्ट

- यह कार्यक्रम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटरर्स और सलाहकारों के लिए एक एकल-खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है।
- स्टार्ट-अप्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए www.istart.rajasthan.gov.in नामक एक वेब पोर्टल स्थापित किया है।
- वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) पोर्टल पर कुल 7,382 पंजीकरण किए गए हैं।
- जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, पाली, जोधपुर और उदयपुर जिलों में इन्क्यूबेटर स्थापित किए जा चुके है।

राजस्थान AVGC-XR पॉलिसी – 2024

- AVGC-XR: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी
- इस नीति का उद्देश्य राज्य को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी का प्रमुख केंद्र बनाना है।
- इसके माध्यम से स्टार्टअप्स, उद्यमों एवं शिक्षाविदों के लिए संरचित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है।
- बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रोत्साहन तथा कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख प्रावधान

- **वित्तीय प्रोत्साहन:** उत्पादन अनुदान (30% तक प्रतिपूर्ति) और स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण करना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना।
- **कौशल विकास:** कुशल कार्यबल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी।
- **व्यापार करने में आसानी:** समर्पित AVGC-XR कक्ष और एकल खिड़की पोर्टल।
- **सांस्कृतिक संवर्द्धन:** राजस्थानी लोकगीतों को प्रोत्साहन और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग।
- **अनुसंधान और विकास**: बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण और नवाचार प्रयोगशालाओं की स्थापना को बढ़ावा।

सिंगल साइन-ऑन (SSO)

- यह एक ही लॉगिन के माध्यम से कई एप्लिकेशनों तक पहुंच प्रदान करती है।
- राजस्थान के सभी विभागीय एप्लिकेशन SSO सुविधा से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में, 604 विभागीय एप्लीकेशन (G2G: 368 और G2C: 236) SSO प्लेटफॉर्म से एकीकृत हैं।

राज ई-वॉल्ट

- यह एक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है।
- यह डिजिटल रूप में सरकारी दस्तावेजों को संग्रहित कर सकता है।
- यह डिजी लॉकर से एकीकृत होने से दस्तावेज प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाता है।

किसानों के लिए तकनीकी पहल

राज-एआईएमएस 'राजस्थान एग्रीकल्चर :-

इन्फोरमेशन एण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम' (राज-एआईएमएस) प्रोजेक्ट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत स्वीकृत।

राजकिसान साथी पोर्टल :-

'इज ऑफ डूईंग फार्मिंग' दृष्टिकोण को अपनाते हुए किसानों के लिए एक सिंगल विंडो एकीकृत पोर्टल के रूप में लॉन्च। **अवार्ड :** 'सिल्वर अवार्ड'

किसान सहायता :-

किसानों को 1.17 करोड़ से अधिक बीज मिनी-किट वितरण और कृषि उत्पाद डीलरों और निर्माताओं को 1.54 लाख से अधिक लाइसेंस और पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म (एनएफडीपी)
National Fisheries Digital Platform (NFDP) :-

मत्स्य पालन क्षेत्र में विस्तार के लिए डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और विकास को बढ़ावा देना।

राज सहकार पोर्टल :-

सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच।

पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र

- राजस्थान में प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं-

राज-काज

- यह राज्य के सभी सरकारी विभागीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, कॉर्पोरेशन, निगमों आदि में विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाईन संचालित करता है।
- **उद्देश्य:** ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सभी विभागों में भौतिक फाइलों और पत्रों के स्थान पर ई-फाइलिंग प्रणाली लागू करना।

राज ई-साइन

- यह आधार e-KYC प्रमाणीकरण द्वारा सुरक्षित, लागत प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन दस्तावेज हस्ताक्षर को सक्षम करता है।

राजमेल

- यह एक निःशुल्क ई-मेल सेवा है, जिसे राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए लॉन्च किया गया।
- यह सेवा उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाने हेतु स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

राजनेट

- राजस्थान सरकार ने एकीकृत नेटवर्क समाधान के रूप में राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) को लागू किया।

- यह ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।
- जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं (VC रूम) स्थापित की गई।

स्टेट पोर्टल

- यह पोर्टल नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्त्ताओं, व्यवसायों और विदेशी नागरिकों हेतु सूचना और लेनदेन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत है।

स्टेट डेटा सेन्टर (SDC)

- यह सेन्टर सेवाओं/एप्लिकेशन को बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।
- इसकी कुल क्षमता 800 रैक है।

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (अभय)

- यह एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रदान करता है, जो GPS और CCTV तकनीक पर आधारित है।
- ये सेंटर राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में स्थापित किये गए हैं।
- इसमें कई महत्वपूर्ण प्रणालियाँ शामिल हैं, जैसे-
  - वीडियो निगरानी प्रणाली
  - डायल 100 नियन्त्रण प्रणाली
  - फॉरेंसिक जांच प्रणाली
  - दक्ष यातायात प्रबंधन तंत्र और वाहन ट्रैकिंग तंत्र
  - भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)

मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड (CM Excellence) एवं सम्पर्क पोर्टल अवार्ड

- राजस्थान सरकार ने 21 अप्रैल, 2025 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रभावी जन शिकायत निवारण के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया।
- **उद्देश्य:** लोक सेवकों एवं विभागों को उत्कृष्ट कार्य, नवाचारों के लिए प्रेरित करना तथा कार्यकुशलता बढ़ाना है।
- **मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार:** 6 अधिकारियों एवं 3 विभागों को।
- **सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार:** 9 अधिकारियों और 4 विभागों को।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- इस अधिनियम हेतु **प्रशासनिक सुधार विभाग** नोडल विभाग है।
- इसके तहत लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल द्वारा नागरिक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर (Raj-CAD)

- इसका विशिष्ट मंत्र (USP) "Commitment Assured Delivery" है।
- राज-कैड द्वारा लाइव प्रोजेक्ट्स का रख-रखाव किया जा रहा है।
- कुल 20 वेब पोर्टल परियोजनाओं का विकास किया गया है।
- 107 विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड एवं मॉड्यूल्स और 8 इन-हाउस मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किए गए हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)

- भू-स्थानिक डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण हेतु 'राजधरा' नामक राज्य स्तरीय एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है।
- राजधरा पहल के अंतर्गत विभागों एवं उपक्रमों की परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग किया गया है।

हैरिटेज स्मारकों का डिजिटल संरक्षण

- चयनित स्मारकों का 3-D स्कैन कर वर्चुअल संरक्षण मॉडल तैयार किए गए हैं।
- जयपुर के प्रमुख स्थल — हवा महल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सिटी पैलेस, परकोटा शहर के आठ द्वार एवं आमेर किला शामिल हैं।
- उदयपुर के सिटी पैलेस एवं कुंभलगढ़ किला भी इस पहल में सम्मिलित हैं।

अर्बन GIS पोर्टल

- नागरिकों एवं प्रशासकों के लिए अर्बन GIS पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- पोर्टल के माध्यम से भूमि उपयोग की पहचान संभव है।
- खसरा एवं भू-खण्ड स्वामित्व विवरण देखे जा सकते हैं।

ई-प्रोक्योरमेंट (e-Procurement)

- पारदर्शिता बढ़ाने हेतु राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू की गई है।
- यह प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित सभी सरकारी संगठनों के लिए लागू है।
- Government e-Procurement Solution (GEPNIC) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अब तक 327 से अधिक विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों ने इस प्रणाली को अपनाया है।

डेटा एनालिटिक्स

- इसे प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों (वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान) और राजस्थान संपर्क, RGHS, ई-मित्र जैसी योजनाओं में लागू किया गया है। इसके माध्यम से उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है।

सरकारी कार्यालयों में क्षमता संवर्धन

- सरकारी विभागों में आईटी पहल के सफल कार्यान्वयन हेतु कुशल और प्रशिक्षित आईटी कर्मियों हेतु सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

राजस्थान एआई / एमएल नीति – 2026

- इसे 6 जनवरी, 2026 को जयपुर में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:** शासन में एआई को अपनाना, उद्योगों के लिए एआई प्रोत्साहन और एआई कौशल एवं क्षमता निर्माण।
- यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी।
- यह नीति विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी।

प्रावधान

- इसमें शासन में पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
- एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- एआई शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करेगा।
- नीति राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप के अनुरूप तैयार की गई है।
- भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन

- राजस्थान में बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तंत्र क्रियान्वित किया गया है।
- यह एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के स्वचालित प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है।

IFMS 3.0 की प्रमुख विशेषताएं

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।
- यह सार्वजनिक वित्त प्रंबधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को को बढ़ाता है।
- IFMS द्वारा नकदी प्रवाह प्रबन्धन और खातों के वास्तविक समय समाधान में सुधार हुआ।
- IFMS एक एकीकृत मंच है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों हितधारकों की सुविधा हेतु विभिन्न मॉड्यूलर प्रणालियों को जोड़ता है।

❖❖❖❖

अध्याय - 13
वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

- वर्ष 2025-26 में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹18.75 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
- राजस्थान में क्षेत्रवार योगदान की दृष्टि से कृषि सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में 25.74% का योगदान है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में 26.55% का योगदान है।
- सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 47.71% का योगदान है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

- राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है।
- राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) अनुमान प्रचलित एवं स्थिर, दोनों कीमतों पर तैयार किए जाते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सकल एवं शुद्ध, दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर)

वर्ष	राजस्थान		भारत	
	GSDP (करोड़ रुपये)	वृद्धि दर (%)	GDP (करोड़ रुपये)	वृद्धि दर (%)
2024-25	₹17.01 लाख करोड़	11.77	₹330.68 लाख करोड़	9.8
2025-26	₹18.75 लाख करोड़	10.24	₹357.14 लाख करोड़	8.0

- देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर 5.25 प्रतिशत का योगदान अनुमानित है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर)

वर्ष	राजस्थान		भारत	
	GSDP (करोड़ रुपये)	वृद्धि दर (%)	GDP (करोड़ रुपये)	वृद्धि दर (%)
2024-25	₹9.04 लाख करोड़	8.77	₹187.97 लाख करोड़	6.5
2025-26	₹9.82 लाख करोड़	8.66	₹201.90 लाख करोड़	7.4

- वर्ष 2025-26 में राजस्थान का GSDP का अंश, अखिल भारत की GDP से 4.86% तक पहुँचने की सम्भावना है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है।

राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) (करोड़ रुपये में)

	2024-25	2025-26
प्रचलित कीमतों पर	₹15.25 लाख करोड़	₹16.85 लाख करोड़
वृद्धि दर (%)	12%	10.48%
स्थिर (2011-12) कीमतों पर	₹8.59 लाख करोड़	₹7.89 लाख करोड़
वृद्धि दर (%)	8.91%	8.90%

प्रति व्यक्ति आय

- प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है।

प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर

	2024-25	2025-26
राजस्थान	1,85,095 रुपये	2,02,349 रुपये
वृद्धि दर (%)	10.82%	9.32%
अखिल भारत	2,05,324 रुपये	2,19,575 रुपये
वृद्धि दर (%)	8.7%	6.9%

प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) कीमतों पर

	2024-25	2025-26
राजस्थान	95,762 रुपये	1,03,189 रुपये
वृद्धि दर (%)	7.76%	7.76%
अखिल भारत	1,14,710 रुपये	1,21,968 रुपये
वृद्धि दर (%)	5.4%	6.3%

राजस्थान का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

	2024-25	2025-26
प्रचलित कीमतों पर	₹15.70 लाख करोड़	₹17.12 लाख करोड़
वृद्धि दर (%)	-	9.03%
स्थिर (2011-12) कीमतों पर	₹8.21 लाख करोड़	₹8.79 लाख करोड़
वृद्धि दर (%)	-	7.03%

- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की तुलना में क्षेत्रवार प्रतिशत विचलन कृषि क्षेत्र में 3.47%, उद्योग क्षेत्र में 6.99% तथा सेवा क्षेत्र में 13.52% है।

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्रवार योगदान

क्षेत्र	योगदान
कृषि क्षेत्र (फसलें, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग तथा मत्स्य पालन)	25.74%
औद्योगिक क्षेत्र (खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ तथा निर्माण)	26.55%
सेवा क्षेत्र (व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, आवासों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएँ, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ)	47.71%

स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्रवार योगदान

क्षेत्र	योगदान	GSVA (अनुमानित)	गत वर्ष से वृद्धि
कृषि क्षेत्र	25.33%	₹2.23 लाख करोड़	0.22%
औद्योगिक क्षेत्र	28.21%	₹2.48 लाख करोड़	7.02%
सेवा क्षेत्र	46.46%	₹4.08 लाख करोड़	11.15%

वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के लिए राजस्थान मे सकल मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान

पूंजी निर्माण: सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

- सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई कुल परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।
- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹5,02,412 करोड़ अनुमानित हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹17,01,190 करोड़) का 29.53% है।
- वर्ष 2024-25 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.81% की वृद्धि हुई।
- सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2024-25 में क्रमश: 77.97% एवं 22.03% रहा।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रावधानिक) (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	2023-24	2024-25
निजी	3,58,488	3,91,722
सार्वजनिक	90,864	1,10,689

क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रावधानिक) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2023-24	2024-25
1	फसलें	12568	14871
2	पशुपालन	2646	3067
3	वानिकी	805	572
4	मत्स्य पालन	205	241
5	खनन	6618	6991
6	विनिर्माण	37231	40479
7	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	31144	37922
8	निर्माण	188132	207125
9	व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	7035	8136
10	रेलवे	6784	7459
11	अन्य परिवहन	5698	6030
12	भंडारण	67	67
13	संचार	17951	19593
14	वित्तीय सेवाएं	1467	1619
15	स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	90497	96745
16	लोक प्रशासन	17296	23255
17	अन्य सेवाएं	23210	28240
	कुल	449352	502412

मूल्य स्थिरीकरण : आर्थिक विकास और स्थिरता को बढावा देना

मूल्य सांख्यिकी

- किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों मे होने वाले सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता हैं।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो क्रमश: खुदरा एवं थोक स्तर के मूल्यों को मापते हैं।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

- वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन् 1957 से राज्य के चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है।
- थोक मूल्यों के आधार पर राज्य के मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार कर जारी किए जा रहे हैं।

राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक (W.P.L) (आधार वर्ष 1999-2000)

- थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक हैं जो सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करता है।
- राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह में तथा 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में सम्मिलित हैं।
- राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2024 में 394.68 से बढकर वर्ष 2025 में 399.13 रहा है, जो कि 1.13% की वृद्धि को दर्शाता है।
- अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित 2024 में 153.9 से बढ़कर 2025 में 154.9 हो गया, जो 0.65% की वृद्धि को दर्शाता है।

थोक मूल्य खाद्य सूचकांक

- राज्य स्तरीय थोक मूल्य खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य सामग्री और विनिर्मित उत्पाद समूह से खाद्य उत्पादन शामिल हैं।
- यह वर्ष 2024 में 421.67 था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 427.13 हो गया। इसमें 1.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं -
  1. औद्योगिक श्रमिकों हेतु (CPLIW)
  2. कृषि श्रमिकों हेतु (CPI-AL)
  3. ग्रामीण श्रमिकों हेतु (CPI-RL)
  4. ग्रामीण एवं शहरी हेतु (CPI-R&U)
- प्रथम तीन प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ (पहले शिमला था) तथा चौथा सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO), नई दिल्ली द्वारा तैयार एवं जारी किये जाते हैं।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPLIW)

- औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPLIW) श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा तैयार और जारी किए जा रहे है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय श्रृंखला के लिए CPIIW) का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों में से तीन केंद्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर) में स्थित हैं।

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)

- आधार वर्ष: 1986-87
- श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा जारी।

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त)

- आधार वर्ष: 2012
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी।

राजकोषीय प्रबन्धन : वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना

- वर्ष 2024-25 में मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

राजस्व घाटा

- वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा ₹41,950 करोड़ रहा।

राजकोषीय घाटा

- वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹70,091 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ रहा। यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.26% (विद्युत क्षेत्र के लिए 0.42% एवं पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के अन्तर्गत 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण हेतु 0.54% अतिरिक्त सहित) है।

राजकोषीय स्थिति (करोड़ रुपये में)

मद	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	203276	227250
(i) स्वयं का कर राजस्व	94086	103310
(ii) कर भिन्न राजस्व	18680	23502
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	68063	77548
(iv) केन्द्रीय सहायता	22447	22890

वर्ष 2024-25 में राजकोषीय स्थिति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

प्राप्तियों की प्रवृत्ति:

- वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 11.79% की वृद्धि हुई।
- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 9.80% की वृद्धि हुई।
- यह वृद्धि मुद्रांक एवं पंजीयन में 14.82%, राज्य उत्पाद शुल्क में 14.21%, वाहन कर में 12.98%, विद्युत कर तथा शुल्क में 12.40% तथा राज्य माल एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) में 11.84% की वृद्धि के कारण रही।

व्यय की प्रवृत्ति:

- राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2024-25 में 75.70% रहा।
- वर्ष 2024-25 में योजनाओं पर व्यय ₹1,79, 475 करोड़ का हुआ जो कि गत वर्ष की तुलना में 14.41% अधिक है।
- वर्ष 2024-25 में वेतन एवं मज़दूरी पर व्यय, कुल राजस्व व्यय (पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर) का 35.45% रहा। इसमें वर्ष 2024-25 में वेतन तथा मजदूरी में पिछले वर्ष की तुलना में 8.24% की वृद्धि रही।
- वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹2,12,655 करोड़ का रहा, जो कि समग्र व्यय का 70.8% है।

राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण (करोड़ रुपये में)

मद	2023-24	2024-25
कुल राजस्व व्यय	242231	269200
सामान्य सेवाएं (सहायतार्थ अनुदान व अंशदान को सम्मिलित मानते हुए)	77678 (32.07)	87022 (32.33)
सामाजिक सेवाएं	101884 (42.06)	114789 (42.64)
आर्थिक सेवाएं	62669 (25.87)	67389 (25.03)

नोट: कोष्ठक में दिए हुए समंक सम्बन्धित वर्ष के कुल राजस्व व्यय से % दर्शाते हैं।

पूंजीगत परिव्यय:

- वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय ₹30,727 करोड़ रहा जो कि वर्ष 2023-24 से 15.3% अधिक है।

राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व):

- वर्ष 2023-24 के अन्त में कुल राजकोषीय देनदारियां ₹5,68,285 करोड़ थी, जिसमें ₹72,559 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को यह ₹6,40,844 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2023-24 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 12.77% की वृद्धि हुई।
- राजकोषीय देनदारियां अतिरिक्त ऋण (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति एवं पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के पश्चात राशि ₹6,07,382 करोड रही जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 35.70% है।

राजकोषीय देनदारियों के घटक:

1. आन्तरिक ऋण ₹4,48,790 करोड़,
2. केन्द्र सरकार से ऋण ₹53,606 करोड़
3. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ₹75,981 करोड़
4. आरक्षित निधि एवं जमा ₹62,467 करोड़।

राजकोषीय समेकन

- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 282% रहा।
- वर्ष 2024-25 के अन्त में राजकोषीय देनदारियां राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 5.05 गुना रही।
- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 37.67% एवं अतिरिक्त ऋण के प्रभाव रहित 35.70% रही।

स्कीमवार परिवर्तित आय व्यय परिव्यय 2025-26

वर्ष 2025-26 में स्कीमवार परिव्यय ₹2,45,608.47 करोड़ है।

वर्ष 2025-26 हेतु मुख्य मदवार आंवटन का विवरण

क्र.	मुख्य मद	राशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत (%)
1	कृषि विकास	14075.96	5.73%
2	ग्रामीण विकास	24925.02	10.15%
3	शहरी विकास एवं आवास	15344.04	6.25%
4	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	69389.83	28.25%
5	पेयजल एवं ऊर्जा	48341.30	19.68%
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	30802.73	12.54%
7	आधारभूत विकास	26697.86	10.87%
8	औद्योगिक विकास	3121.45	1.27%
9	सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक सेवाएं	2414.03	0.98%
10	शासकीय व्यवस्था	10496.25	4.28%
	कुल योग	245608.47	100%

वित्तीय सेवाएँ: पूँजी तक पहुँच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना

बैंकिंग

- बैंकों सहित वित्तीय संस्थान जमा राशि जुटाने एवं प्रमुख क्षेत्रों को ऋण वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बैंक क्षेत्रक (सितम्बर, 2025 तक)	राजस्थान	भारत
जमाओं में वृद्धि	9.75%	9.70%
ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि	89.61%	80.43%
ऋण वितरण में वृद्धि	13.15%	11.24%

- राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 832.78 लाख (1 अक्टूबर, 2025) के अनुसार औसतन 9,080 व्यक्तियों पर तथा राज्य के औसतन 37.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा है।

राजस्थान में बैंक शाखाएँ (% में) सितंबर 2025 तक

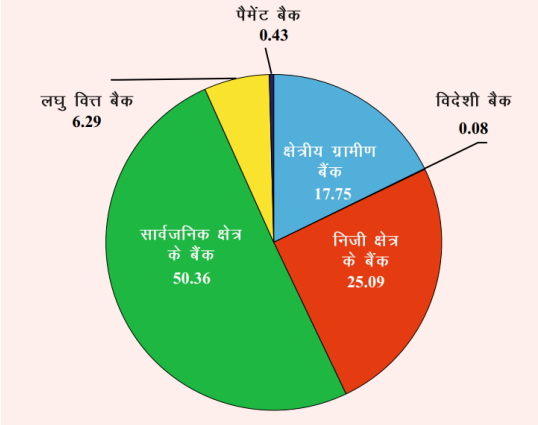

डिजिटल भुगतान

- राज्य में बैंक शाखाओं के साथ-साथ 75,000 से अधिक कियोस्क / ई-मित्र / माइक्रो एटीएम कार्यरत हैं।
- ई-मित्र नागरिकों को राजकीय जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु-सेवा, एकल-खिड़की नेटवर्क है।

व्यावसायिक संवाददाता (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट)

- यह समाज के जरूरतमंद एवं वंचित समूहों तथा निम्न आय वर्ग सहित कमजोर वर्गों को समय पर वहनीय लागत पर सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाता है। राज्य में 31 दिसम्बर, 2025 तक 1,27,468 बैंक मित्र व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)	❑ इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन करना है तथा सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। ❑ राजस्थान में 3.80 करोड़ खाते खोले गए हैं और 31 दिसम्बर 2025 तक 92.25% खातों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है।
अटल पेंशन योजना (APY)	❑ यह एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। ❑ इस योजना हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ❑ इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारण्टेड 1000 रुपये न्यूनतम एवं 5,000 रुपये तक पेंशन प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	इसका पूरा नाम MUDRA: MicrUnits Development - Refinance Agency है। यह योजना वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने हेतु लॉन्च की गई। मुद्रा ऋण 4 श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं- शिशु: 50,000 रुपये तक के ऋण। किशोर: 50,000 रुपये से 5 लाख लाख रुपये तक के ऋण। तरुण: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण। तरुण प्लस: तरुण लोन का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का ऋण।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना	राजस्थान में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन 5 अक्टूबर 2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में हुआ। यह DBT योजनाओं की व्यापक पहचान व उनके समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी रखता है।

DBT भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति

- यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है जो केंद्र के साथ-साथ राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का समग्र नवीनतम स्थिति दर्शाता है। वर्तमान में 126 राज्य और 55 केन्द्रीय सहायता प्राप्त (CSS) डीबीटी योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर हैं।

पंच गौरव कार्यक्रम

- राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 में "पंच गौरव कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की क्षमता, विशेषताओं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर उत्पादों और स्थलों का चयन कर उसे विशिष्ट पहचान देना है।
- कार्यक्रम के माध्यम से जिलों की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को मजबूत करना, तथा उनके संरक्षण, संवर्धन और विकास को बढ़ावा देना लक्ष्य है।

पंच गौरव के पाँच घटक

1. एक जिला – एक उत्पाद
2. एक जिला – एक फसल
3. एक जिला – एक वनस्पति प्रजाति
4. एक जिला – एक खेल
5. एक जिला – एक पर्यटन स्थल

- इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति गठित की गई है।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच गौरव समितियाँ भी बनाई गई हैं।

जिलेवार चिह्नित पंच गौरव की सूची						
क्र.सं.	**जिला**	**उपज**	**वनस्पति प्रजाति**	**उत्पाद**	**पर्यटन स्थल**	**खेल**
1	अजमेर	गुलाब	नीम	ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद	पुष्कर तीर्थ	कबड्डी
2	अलवर	प्याज	अर्जुन	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	सरिस्का टाइगर रिजर्व	कुश्ती
3	बालोतरा	अनार	रोहिड़ा	टेक्सटाइल उत्पाद	नाकोड़ा जैन मंदिर	क्रिकेट
4	बांसवाड़ा	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर	तीरंदाजी
5	बारां	लहसुन	चिरौंजी	लहसुन के उत्पाद	रामगढ़ क्रेटर	फुटबॉल
6	बाड़मेर	इसबगोल	रोहिड़ा	कशीदाकारी	किराडू मंदिर	बास्केटबॉल
7	ब्यावर	गेहूं	करंज	क्वार्ट्ज एवं फेल्स्पार पाउडर	टोडगढ़ पहाड़ी	हॉकी
8	भरतपुर	शहद	कदम्ब	कृषि आधारित उत्पाद	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	कुश्ती
9	भीलवाड़ा	संतरा	अर्जुन	टेक्सटाइल उत्पाद	माण्डलगढ़ किला	बास्केटबॉल
10	बीकानेर	मोठ	रोहिड़ा	बीकानेरी नमकीन	करणी माता मंदिर	तीरंदाजी
11	बूंदी	चावल	धोक	सैंड स्टोन	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व	कबड्डी
12	चित्तौड़गढ़	सीताफल	बिल्व पत्र	ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद	चित्तौड़गढ़ दुर्ग	कबड्डी
13	चूरू	चवला	खेजड़ी	लकड़ी के उत्पाद	सालासर बालाजी मंदिर	एथलेटिक्स
14	दौसा	सौंफ	ढाक	पत्थर के उत्पाद	मेहंदीपुर बालाजी मंदिर	फुटबॉल
15	डीडवाना–कुचामन	प्याज	खेजड़ी	मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद	डीडवाना झील	बास्केटबॉल
16	डीग	सरसों	अर्जुन	स्टोन आधारित उत्पाद	डीग महल	कुश्ती
17	धौलपुर	आलू	करंज	स्टोन आधारित उत्पाद	मचकुंड	हॉकी
18	डूंगरपुर	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	बेणेश्वर धाम	हॉकी
19	हनुमानगढ़	किन्नू	शीशम	कृषि आधारित उत्पाद	गोगामेड़ी मंदिर	हॉकी
20	जयपुर	आंवला	लिसोड़ा	रत्नाभूषण	आमेर दुर्ग	कबड्डी
21	जैसलमेर	खजूर	जाल	येलो स्टोन के उत्पाद	जैसलमेर दुर्ग	जिम्नास्टिक
22	जालोर	अनार	जाल	ग्रेनाइट के उत्पाद	सुंधा माता मंदिर	बॉक्सिंग
23	झालावाड़	संतरा	सागवान	कोटा स्टोन के उत्पाद	गागरोन दुर्ग	बास्केटबॉल
24	झुंन्झुनू	सरसों	नीम	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद	लोहार्गल तीर्थ	बास्केटबॉल
25	जोधपुर	जीरा	जाल	लकड़ी के फर्नीचर	मेहरानगढ़ दुर्ग	जिम्नास्टिक
26	करौली	तिल	बरगद	सैंड स्टोन के उत्पाद	कैलादेवी मंदिर	क्रिकेट
27	खैरथल–तिजारा	प्याज	शीशम	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	तिजारा जैन मंदिर	कुश्ती
28	कोटा	धनिया	खैर	कोटा डोरिया	चम्बल रिवर फ्रंट	कुश्ती
29	कोटपूतली–बहरोड़	गाजर	गूगल	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	बैराठ	कुश्ती
30	नागौर	मूंग	खेजड़ी	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण	मीराबाई स्मारक	कबड्डी

क्र.सं.	जिला	उपज	वनस्पति प्रजाति	उत्पाद	पर्यटन स्थल	खेल
31	पाली	मेहंदी	नीम	टेक्सटाइल के उत्पाद	रणकपुर जैन मंदिर	बास्केटबॉल
32	फलौदी	जीरा	जाल	सोनमुखी के उत्पाद	खींचन	एथलेटिक्स
33	प्रतापगढ़	कलौंजी	तेंदू	थेवा आभूषण	सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य	तीरंदाजी
34	राजसमंद	सीताफल	नीम	ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद	कुंभलगढ़ किला	हॉकी
35	सलूम्बर	मक्का	पलाश	क्वार्ट्ज	जयसमंद झील	कबड्डी
36	सवाई माधोपुर	अमरूद	नीम	मार्बल के उत्पाद	रणथम्भौर नेशनल पार्क	फुटबॉल
37	सीकर	प्याज	अरडू	लकड़ी के फर्नीचर	खाटूश्याम जी मंदिर	बास्केटबॉल
38	सिरोही	सौंफ	महुआ	मार्बल के उत्पाद	देलवाड़ा जैन मंदिर	तीरंदाजी
39	श्रीगंगानगर	किन्नू	शीशम	सरसों का तेल	बूढ़ा जोहड़	एथलेटिक्स
40	टोंक	सरसों	अमलतास	स्लेट स्टोन के उत्पाद	डिग्गी कल्याण जी	एथलेटिक्स
41	उदयपुर	सीताफल	महुआ	मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद	फतेहसागर एवं पिछोला झील	तैराकी

❖❖❖❖

राजस्थान बजट 2026-27

- राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश किया गया।
- यह बजट राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया।
- यह बजट 'विकसित राजस्थान @ 2047' विज़न डॉक्यूमेंट पर आधारित है।
- राज्य के समग्र विकास के लिए 10 प्रमुख विकास स्तंभ निर्धारित किए गए हैं।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक राजस्थान को आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और आधारभूत ढांचे में अग्रणी राज्य बनाना है।

राजकोषीय संकेतक

- कुल बजट आकार: लगभग 6.10 लाख करोड़ रुपये।
- राजस्व प्राप्तियां: लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये।
- राजस्व व्यय: लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये।
- राजस्व घाटा: लगभग24,000 करोड़ रुपये।
- राजकोषीय घाटा: लगभग 79,000 करोड़ रुपये (GSDP का 3.69%)
- अनुमानित GSDP: 21.52 लाख करोड़ रुपये

पूंजीगत व्यय

- वर्ष 2024–25 में पूंजीगत व्यय:30,427 करोड़ रुपये (किसी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय)

पहला स्तम्भ: अवसंरचना विस्तार

सड़क विकास

- लगभग 42,000 किमी सड़कों का विकास कार्यों की घोषणा।
- 1,800 करोड़ रुपये से हाईवे, फ्लाईओवर, पुल आदि का निर्माण व उन्नयन होगा।
- अगले 2 वर्षों में1,000 किमी से अधिक सड़कों को राज्य राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा और 2,000 किमी से अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्ग बनाया जाएगा।
- यातायात सुधार हेतु 100 करोड़ रुपये से लगभग 2,000 कैमरे लगाए जाएंगे।

पेयजल और जल प्रबंधन

- 2047 तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- 5,000 करोड़ रुपये से शहरी जल जीवन मिशन का विस्तार।
- अमृत 2.0 के तहत 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन।
- 600 ट्यूबवेल और 1,200 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे.
- जयपुर में जल प्रबंधन हेतु 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'की स्थापना।
- वॉटर यूज़ एफिशिएंसी के लिए ब्यूरो की स्थापना
- पेयजल सुविधा तथा गैर-घरेलू (Non-Domestic) और औद्योगिक (Industrial) इकाइयों के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु नई राजस्थान राज्य जल नीति लागू की जाएगी।

ऊर्जा क्षेत्र

- बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 ग्रिड सबस्टेशन बनाए जाएंगे।

- बीकानेर में मेहरासर-दीनसर - बराला व सवाईसर- करणीसर भाटियान- बिकोलोई तथा जैसलमेर में राघवा - सेहुआ क्षेत्र मेंसंयुक्त उद्यम के माध्यम से लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकसित किए जाएंगे।

दूसरा स्तम्भ: नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि

- सभी संभागीय मुख्यालयों में समग्र गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) लागू किया जाएगा, जिसके तहत ITMS, Urban Mobility App, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, सिग्नल-फ्री ट्रैफिक और पार्किंग सुविधाओं का विकास होगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (द्वितीय चरण) के अंतर्गत वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु अनुदान दिया जाएगा।
- बेहतर निर्माण गुणवत्ता हेतु 35,000 लोगों को राजमिस्त्री (Mason) प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- नगर निकायों में ऊर्जा दक्षता के लिए7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी।
- जिला स्तर पर मास्टर जल निकासी योजना (Master Drainage Plan) तैयार किए जाएंगे।
- बांधों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु पूर्व चेतावनी सायरन प्रणाली (Early Warning Siren System)स्थापित होंगे।
- पंचगौरव योजना के तहत आधारभूत ढांचा, पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण और नवाचार परियोजनाओं पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- राज्य में नगरीय एवं अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नवाचारी वित्तपोषण उपलब्ध कराने हेतु RAJ-SETU Fundकी स्थापना की जाएगी।
- RAJ-SETUFund: Rajasthan Structured Enabler for Transformative Urban and Infrastructure Financing Fund.

तीसरा स्तम्भ: औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन

- नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना और आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा।
- छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर'प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज'सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- DMIC परियोजना के तहत जोधपुर–पाली–मारवाड़ क्षेत्र में लगभग 3,600 हेक्टेयर भूमि विकसित होगी; पहले चरण में 600 करोड़ रुपये आधारभूत ढांचे पर खर्च होंगे।
- लॉजिस्टिक्स इको सिस्टम को मजबूत करने हेतु भिवाड़ी (सलारपुर) और डीडवाना-कुचामन (परबतसर) में भूमि आवंटन किया गया है तथा निजी भागीदारी सेइनलैंड कंटेनर डिपो (ICD), मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी।
- राजस्थान फाउंडेशनके 26 मौजूदा चैप्टर के साथ 14 नए अंतरराष्ट्रीय चैप्टर (जैसे दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा) शुरू किए जाएंगे।
- माटी कला से जुड़े कारीगरों को समर्थन देने के लिए 5,000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति2024 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण हेतु 15 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी।
- कोटा-बूंदी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
- जोजरी और बांडी नदियों के उपचारित जल को पचपदरा रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परियोजना की DPR तैयार की जाएगी।

चौथा स्तम्भ: मानव संसाधन का सशक्तीकरण

युवा विकास एवं कल्याण

- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान व मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। इस पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च प्रस्तावित है और अगले वर्ष 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की स्थापना की जाएगी।
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए VIBRANT प्रोग्राम चलाया जाएगा।
- **VIBRANT:** Value-driven Innovation and Business Research for Aspiration and Nurturing Talent.
- 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मी बाई केंद्र स्थापित कर 25,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु DREAM प्रोग्राम के जरिए 50,000 छात्रों को करियर गाइडेंस और डिजिटल मेंटरिंग दी जाएगी।
- **DREAM:** Digital Readiness and Empowerment through Assisted Mentoring.
- नशा रोकथाम के लिए Raj-SAVERA कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

- **Raj- SAVERA:** RajasthanStatewide Anti-drugs Vigilance Enforcement Rehabilitation and Awareness.
- हर जिले मेंकौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (Skill Development & Vocational Training Institutes) स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्टअप में मार्गदर्शन के लिएआई-स्टार्ट एम्बेसडर कार्यक्रम (iStart Ambassador Programme) शुरू किया जाएगा।
- आधुनिक तकनीक के लिएटेक्नो हब्स (Techno Hubs) स्थापित किए जाएंगे (30 करोड़ रुपये)।

शिक्षा एवं छात्र कल्याण

- मेधावी विद्यार्थियों (कक्षा 8, 10, 12) को टैबलेट/लैपटॉप खरीदने हेतु 20,000 रुपये तक ई-वाउचर दिया जाएगा।
- 9वीं में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई-वाउचरमिलेगा।
- कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु राशि दी जाएगी। (बजट: 250 करोड़ रुपये))
- Raj PAHAL कार्यक्रम के तहत हर जिले में "स्कूल ऑन व्हील्स" शुरू होगा।
- Raj PAHAL: RajasthanPortable Access for Holistic and Assisted Learning.
- 1,000 स्कूलों मेंAI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे।
- 400 स्कूलों को CM-RISE उत्कृष्ट विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा (1000 करोड़ रुपये)।
- CM – RISE: Chief Minsiter Rajasthan Innovative School of Excellence.
- 'खेलो राजस्थानयूथ गेम्स'का आयोजन ग्राम से राज्य स्तर तक किया जाएगा (50 करोड़ रुपये)।
- IIIT कोटा में AI, Data Analytics आदि नए कोर्स शुरू करने और इसे IT हब बनाने की योजना बनेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए RAJ-SURAKSHA योजना लागू की जाएगी।
- **RAJ-SURAKSHA:** Rajasthan System for Urgent Response, Accident Stabilization and Hospital Access.
- मानसिक स्वास्थ्य सुधार और अवसाद, चिन्ता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु हेतु Raj-MAMTA कार्यक्रम शुरू होगा और जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (Mental Health Care Cell) स्थापित किए जाएंगे।
- **Raj-MAMTA:** Rajasthan Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All
- जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 75 करोड़ रुपये से 500 बेड का IPD टावर बनाया जाएगा।
- चरणबद्ध तरीके से 500 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे।
- जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपये से आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे।
- अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना (100 करोड़ रुपये)।
- मोक्ष वाहिनी योजना के तहत शव को अस्पताल से घर तक निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा मिलेगी।
- कोटा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक हैंड फॉर प्रोस्टेटिक सर्जरी फॉर यूरोलॉजी शुरू की जाएगी (25 करोड़ रुपये)।
- सरकारी व निजी स्कूलों में स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित कर 75,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा।

पांचवां स्तम्भ: सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

महिला सशक्तीकरण एवं आर्थिक समावेशन

- 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्रामीण महिला बीपीओ (BPO) जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे।
- लखपति दीदी ऋण योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई।
- 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs)के लिए भवन और सक्षम केंद्र (Saksham Centres) स्थापित होंगे (25 करोड़ रुपये)।
- 5,000 महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता सखी (BC सखी) और 1,000 को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) उत्पादों की ब्रांडिंग व बिक्री बढ़ाने हेतु 50 नए उद्यम स्थापित किए जाएंगे।
- संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर्स (Raj Sakhi Stores) शुरू होंगे और जिलों में उद्यमिता केंद्र (Entrepreneurship Centres) बनाए जाएंगे।
- नारी शक्ति उद्यम योजना में ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई।
- 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं स्थापित कर स्वयं सहायता समूहों (SHGs)को आजीविका से जोड़ा जाएगा।

बाल एवं महिला कल्याण

- प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा नीति (Early Childhood Care & Education Policy) बनाई जाएगी।

- 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर में बदला जाएगा।
- भरतपुर और कोटा में महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाएंगे।
- 27 आकांक्षी ब्लॉकों (Aspirational Blocks) में किशोरी बालिकाओं को पोषण लाभ (50,000 से अधिक लाभार्थी)।
- जयपुर में दिव्यांग पुनर्वास गृह की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी।

शिक्षा, कौशल एवं सामाजिक समर्थन

- 42 आवासीय विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को AI आधारित 24×7 मेंटरिंग (IIT दिल्ली सहयोग से)।
- पालनहार योजना के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा व रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जनजातीय युवाओं के लिएरोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि के उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतुबांसवाड़ा व उदयपुर में वन उत्पाद प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित होंगे।
- श्रमिकों के लिए श्रम-सेतु मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा।
- महिलाओं की सुरक्षा हेतु STRI योजना के अंतर्गत 1 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा, काउंसलिंग व साइबर जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- उद्देश्य: बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, Cyber Fraud से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करना।
- STRI: Safety Training Resource Initiative.

छठा स्तम्भ: पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर

पर्यटन विकास

- जैसलमेर के खुहड़ी क्षेत्र में अल्ट्रा लग्ज़री स्पेशल टूरिज्म ज़ोन (STZ) विकसित किया जाएगा।
- कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र स्थापित होगा।
- भरतपुर में100 करोड़ रुपये से ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा।
- शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे।
- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को जोड़ते हुए 'थार सांस्कृतिक सर्किट' बनाया जाएगा।
- झुंझुनूं में युद्ध संग्रहालय (War Museum) स्थापित किया जाएगा।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहल

- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6,000 वरिष्ठजन हवाई मार्ग से नेपाल (पशुपतिनाथ) जाएंगेऔर 50,000 वरिष्ठजन ट्रेन से तीर्थ यात्रा करेंगे
- लोक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव आयोजित होंगे।
- धर्मशालाओं के निर्माण हेतु Build-Operate-Transfer (BOT) आधारित नीति लाई जाएगी।

कनेक्टिविटी एवं आधारभूत ढांचा

- सीकर-झुंझुनूं और भरतपुर-डीग में नए एयरपोर्ट हेतु अध्ययन किया जाएगा।
- सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (Flying Training Organisations - FTOs) स्थापित किए जाएंगे।

सातवां स्तम्भ: सुशासन एवं डिजिटल

डिजिटल शासन एवं पारदर्शिता

- नागरिक सेवाओं को सरल और तेज बनाने हेतु अगली पीढ़ी के नागरिक सेवा सुधार (Next Generation Citizen Service Reforms) लागू किए जाएंगे।
- ई-मित्रकी 600+ सेवाओं में से 100 प्रमुख सेवाएं WhatsApp प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
- डिजिटल अवसंरचना सुविधा नीति (Digital Infrastructure Facilitation Policy) और भौगोलिक स्थानिक नीति (Geo-Spatial Policy)लाई जाएगी।
- स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण क्षेत्रों के लिए 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किए जाएंगे।
- 25,000 युवाओं/महिलाओं को मिनी ई-मित्र (Mini e-Mitra) के रूप में अधिकृत किया जाएगा।
- परिणामोन्मुख जनकल्याणकारी योजनाओं की संरचना तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए समर्पित डेटा एंड पॉलिसी स्ट्रेटेजी यूनिट मुख्यमंत्री प्रमाण (CM PRAMAN) स्थापित किया जाएगा।
- **CM PRAMAN:** Chief Minister Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus.
- कृषि, आपदा प्रबंधन आदि में उपयोग के लिएड्रोन नीति (Drone Policy)और राज्य ड्रोन प्रकोष्ठ (State Drone Cell) बनाया जाएगा।
- सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतुएकीकृत समग्र खरीद पोर्टल (Single Holistic Procurement Portal - SHPP) शुरू किया जाएगा।

कानून व्यवस्था

- साइबर अपराध रोकने के लिएराजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (Rajasthan Cyber Crime Control Centre - R4C) स्थापित किया जाएगा।
- उपभोक्ता अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्मिक कल्याण

- अधिकारियों के लिएअंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- कर्मचारियों के लिएवेतन खाता पैकेज (Salary Account Package) (डिजिटल बैंकिंग, सस्ती ऋण सुविधा, बीमा) लागू किया जाएगा।
- महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन स्थापित किए जाएंगे।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को राज्य पंचायत पुरस्कार (State Panchayat Awards) दिए जाएंगे।
- प्रशिक्षण के बाद नौकरी बदलने परवेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।
- सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

आठवां स्तम्भ: कृषि विकास एवं किसान कल्याण

कृषि बजट

- वर्ष 2026-27 के लिए कृषि बजट 1.19 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- इसमें से 69,422 करोड़ रुपये समेकित निधि से (कुल बजट का 11.36%) प्रदान किए जाएंगे।
- कृषि बजट GSDP का 5.55% हिस्सा है तथा में 7.59% वृद्धि अनुमानित है।
- 50,000 सोलर पम्प लगाने पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- कृषि भूमि की बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर 100% ब्याज छूट (अप्रैल–सितंबर 2026) दी जाएगी।
- बीज स्वावलम्बन योजना के तहत 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे(3 लाख किसानों को लाभ)।
- 500 कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Centres) स्थापित किए जाएंगे।
- 5,000 किसानों को नेपियर घास निःशुल्क दी जाएगी।
- किसानों को डिजिटल सलाह देने हेतुएग्री स्टैक पीएमयू (Agri Stack PMU) बनाया जाएगा।
- 3,300 किसानों को एक्सपोज़र विज़िट्स (Exposure Visits) करवाई जाएंगी।
- 4,000 किसानों को ग्रीनहाउस/पॉलीहाउस आदि के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- 5,000 किसानों को वर्टिकल फार्मिंग (Vertical Farming) हेतु सहायता दी जाएगी।
- 500 सोलर क्रॉप ड्रायर्स (Solar Crop Dryers) उपलब्ध कराए जाएंगे।
- दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों हेतु 590 करोड़ रुपये के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान (26,000 लाभार्थियों को) दिया जाएगा।
- भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादों को बढ़ावा और राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने हेतु राज गिफ्ट मिशन (Raj GIFT Mission) शुरू होगा।
- Raj GIFT: Rajasthan Geographical Indication For Transformation of Production and Livelihoods.
- 50-50 नए गोदाम (250 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले) बनाए जाएंगे।
- स्पाइस कॉन्क्लेव (Spices Conclave) का आयोजन किया जाएगा।
- अलवर में प्याज एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किया जाएगा।
- श्रीगंगानगर में किन्नू के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किया जाएगा।
- बांसवाड़ा में आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किया जाएगा।
- जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जाएंगे।
- सभी जिलों में सहकारी भंडार और उपहार विक्रय केंद्र खोले जाएंगे।

पशुपालन एवं डेयरी

- 25 पशु उपकेंद्रों को अस्पताल तथा 50 अस्पतालों को उन्नत श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा।
- राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया है।
- दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 700 करोड़ रुपये से 5 लाख पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा।
- अलवर में 200 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र (Milk Processing Plant) स्थापित किया जाएगा।
- 1 लाख पशुपालकों को दुग्ध आधारित उत्पाद - शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- अजमेर (तबीजी) मेंपोल्ट्री फीड यूनिट (Poultry Feed Unit) स्थापित की जाएगी।

नवां स्तम्भ: हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता

हरित बजट एवं पर्यावरण संरक्षण

- 'हरित राजस्थान' बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया।
- ग्रीन बजट के तहत 33,475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष से लगभग 20% अधिक)।
- यह योजनाओं पर व्यय का 12.74% है तथा कुल बजट का 5.48% है
- 'हरियाळो-राजस्थान' अभियान के तहत 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
- सभी जिला मुख्यालयों पर 'नमो नर्सरी' स्थापित की जाएंगी।
- पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध तरीके से 'नमो वन' विकसित किए जाएंगे।
- अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में ऑक्सी-ज़ोन (Oxyzones) (मॉडल उद्यान) विकसित किए जाएंगे।
- चित्तौड़गढ़ में कुम्भा जैविक उद्यान (Kumbha Biological Park) (31 करोड़ रुपये) विकसित किया जाएगा।
- पृथ्वी परियोजना (PRITHWI Project) के तहत वन्यजीव संरक्षण एवं आवास विकास पर1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- **PRITHWI:** Project for Resilient and Integrated Terrestial Habitats and Wildlife Valorization Initiative.
- वनभूमि की भरपाई हेतु1,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक (Land Bank) तैयार किया जाएगा।
- अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी एवं जयपुर में वन्यजीवों के उपचार हेतु विशेषीकृत केंद्र (Specialised Centres for Treatment of Wild Animals) स्थापित होंगे।
- भरतपुर, सांभर (जयपुर) एवं मीठड़ी–कुचामन में पक्षी रोग उपचार हेतु विशेषीकृत केंद्र (Specialised Centres for Treatment of Avian Diseases) स्थापित होंगे।
- बनेड़ा (शाहपुरा, भीलवाड़ा) में इको-पार्क तथा टोडाराय सिंह (टोंक) में नेचर पार्क विकसित होंगे।
- वन्यजीव बचाव के लिए रैपिड मोबिलिटी टीम और 291 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 5,000 गांवों में 1.10 लाख जल संरचनाएं बनाई जाएंगी (2,500 करोड़ रुपये)।
- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर (जोबनेर) में प्राकृतिक खेती उत्कृष्टता केंद्र (Natural Farming Centre of Excellence) स्थापित किया जाएगा।
- जयपुर और जोधपुर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Mode) परसंपीडित बायो गैस संयंत्र (Compressed Bio Gas Plants) स्थापित किए जाएंगे।
- जोधपुर में वायु गुणवत्ता निगरानी (Air Quality Monitoring) औरपूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) स्थापित किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) थानागाजी - अलवर; बहरोड़, नीमराणा-कोटपूतली बहरोड़; तिजारा-खैरथल तिजारा तथा बयाना-भरतपुर में निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) लगेंगे।
- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर में में ध्वनि प्रदूषण निगरानी केंद्र (Noise Monitoring Stations) स्थापित किए जाएंगे।
- सभी जिलों में बंद दहन शवदाह भट्टी (Closed Combustion Cremation Furnace) स्थापित किए जाएंगे।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति (Solid Waste Management Policy) लागू की जाएगी।
- पर्यावरण अनुसंधान हेतु जयपुर में 'State of the Art' प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) का अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell) बनाया जाएगा।
- किसानों को प्रोत्साहन देने हेतुराजस्थान में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना (Carbon Credit Pilot Project) शुरू की जाएगी।

दसवांस्तम्भ: 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था

- GST करदाताओं के लिएऑनलाइन अपील सुनवाई प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमेंकेस की स्थिति व तारीख की जानकारी ऑनलाइन एवं SMS से प्राप्त होगी।
- GST से संबंधित पंजीकरण अपीलों का 60 दिनों में निस्तारण किया जाएगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- ई-पंजीकरण प्रणाली (e-Registration System) लागू की जाएगी, जिससेघर बैठे ई-सत्यापन (e-Verification), स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटल दस्तावेज प्राप्त किए जा सकेंगे।
- सभी 106 उप-पंजीयक कार्यालयों कोमॉडल कार्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- MSME के लिए स्टाम्प ड्यूटी0.125% (अधिकतम 10 लाख रुपये) निर्धारित की गई है।
- ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क1% से घटाकर 0.5% (अधिक-तम 1 लाख रुपये) किया गया है।

परिवहन विभाग

- भारी वाहनों के लिए एकमुश्त कर भुगतान विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
- पुराने वाहनों प ग्रीन टैक्स दरों का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- अन्य राज्यों से आए वाहनों परटैक्स छूट 25% से बढ़ाकर 50% की गई है।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- एम-सैंड नीति (M-Sand Policy) के तहतनिर्माण कार्यों में उपयोग 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
- अवैध खनन रोकने हेतु विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (AI/ML) के माध्यम से खनिज खोज को बढ़ावा दिया जाएगा।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) के सहयोग से "स्टेट ऑफ आर्ट-खनिज कोर लाइब्रेरी" स्थापित की जाएगी।
- 60 नए CNG स्टेशन और 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations) स्थापित किए जाएंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य

- वर्ष 2047 तक राज्य कीसकल घरेलू उत्पाद (GDP) को4.3 ट्रि-लियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- राज्य की GDP में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान80% से अधिक किया जाएगा।
- निवेश बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेट फॉर्मलागू किया जाएगा।
- RIPS-2024 के तहत न्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस औरवैश्विक क्षमता केंद्र (GCC Sector) को विस्तार लाभ दिए जाएंगे।
- कंटेनर निर्माण (Container Manufacturing) कोRIPS-2024 के अन्तर्गतप्रोत्साहित क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- ऊर्जा परिवर्तन कौशल क्लस्टर (Energy Transition Skilling Cluster)के माध्यम सेग्रीन रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी-2024के तहत विस्तार हेतु10% मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी।

सामान्य वाद-विवाद पर श्रीमती दिया कुमारी की घोषणाएँ 17 फरवरी, 2026

पेयजल

- नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1,012 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम जलाशय और फीडर का निर्माण किया जाएगा।

औद्योगिक विकास

- कोटा-बूंदी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक्स और टेक्सटाइल जैसे उद्योग स्थापित होंगे।

युवा विकास एवं कल्याण

- IIIT कोटा में AI, Data Analytics आदि क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू करने और इसे IT हब बनाने के लिए DPR तैयार की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- कोटा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी (Urology) की सुविधा शुरू होगी।
- स्कूलों में स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर लगाकर 75,000 विद्यार्थियों की जांच तथा जरूरत अनुसार चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा

- महिलाओं और बालिकाओं के लिए STRI योजना के तहत आत्मरक्षा, काउंसलिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस योजना से लगभग 1 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

सुशासन

- निजी हेलीकॉप्टर और विमानों की लैंडिंग अनुमति के लिए Single Window Clearance System लागू किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के बाद नौकरी बदलने पर कर्मचारियों से वेतन और भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।

वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा पर श्री भजनलाल शर्मा की घोषणाएँ 27 फरवरी, 2026

नागरिक सुविधाएं एवं शहरी विकास

- जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण (42.8 किमी, 13,600 करोड़ रुपये) का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
- जयपुर में द्रव्यवती नदी के ऊपर लगभग 36 किमी लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की जाएगी।
- शहरी आवास को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नई प्रगतिशील नीति लाई जाएगी।
- शहरी विकास के लिए नई TDR Policy लागू की जाएगी।
- बड़े शहरों में सुनियोजित विकास हेतु 20 नई टाउन प्लानिंग योजनाएं लाई जाएंगी।
- भिवाड़ी में जलभराव समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के सहयोग से 150 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।

औद्योगिक विकास

- बालोतरा में रिफाइनरी से जुड़े उद्योगों के लिए कौशल विकास हब स्थापित किया जाएगा।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत उन्नयन अनुदान की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जाएगी।

युवा विकास एवं शिक्षा

- वर्ष 2026 के लिए 1 लाख भर्तियों के साथ अगले वर्ष 1.25 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य।
- जयपुर में 450 करोड़ रुपये से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग स्थापित होगा।
- विद्यालयों के सुधार हेतु 2,000 करोड़ रुपये का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा

- ग्रामीण रोजगार हेतु वीबी-जी राम जी मिशन में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा/एकल नारी व लघु सीमान्त कृषकों को देयसामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये वृद्धि कर इसे 1,450 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- 25,000 दिव्यांगजन को उपकरण और 2,500 को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना' के तहत सहायता राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जाएगी।

जनजाति कल्याण

- 8.5 लाख जनजाति किसानों को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट (85 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे।
- जनजाति क्षेत्र के5,000 युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गतब्याजमुक्त ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने के लिएमाउंट आबू का नाम 'आबू राज', जहाजपुर का 'यज्ञपुर' और कामां का 'काम वन' किया जाएगा।
- जोधपुर (झालामण्ड) में श्रीयादे पेनोरमा तथा बालोतरा (नागाणा) में नागणेचिया माता पेनोरमा बनाए जाएंगे।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विभिन्न कार्य

- अजमेर में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर आध्यात्मिक केंद्र (3 करोड़ रुपये)
- अलवर में मां देवी धौलागढ़ मंदिर का सौंदर्यीकरण (1 करोड़ रुपये)
- बाड़मेर के झाखरदा क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा.
- जयपुर (जमवारामगढ़) में हवा होदी को इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा
- जोधपुर (शेरगढ़) में वांकल धाम रोप-वे परियोजना की DPR तैयार होगी

कृषि एवं पशुपालन

- वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय चरागाह वर्ष मानते हुए गो सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी, जिससे पशुपालन और गो संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी वर्ष 2026 को अन्तरराष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है।

सुशासन एवं विकास पहल

- पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं; 1,800 स्वीकृत केंद्रों के अतिरिक्त 1,000 नए केंद्र खोले जाएंगे।
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत RITI के माध्यम से गांव से जिला स्तर तक विकास के मास्टर प्लान तैयार होंगे।
- सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लागू की जाएगी।
- स्मार्ट गवर्नेंस के लिए AI एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया जाएगा।

कार्मिक एवं सामाजिक प्रावधान

- दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को 2016 से प्रभावी किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी, सहायिका, मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी।
- पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी 10% बढ़ोतरी होगी।
- वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:
  - पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये/माह
  - पत्नी के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये/माह

❖❖❖❖

आर्थिक समीक्षा (पूर्व परीक्षा मे पूछे गए प्रश्न)

1. राजस्थान के निम्न जिला-समूहों में कौन-सा जिला-समूह वर्ष 2023-24 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में तीन सबसे बड़ी जिला अर्थव्यवस्थाओं वाला जिला-समूह है ? |S.I Telecom 2024]

(a) जयपुर, अलवर और जोधपुर
(b) भीलवाड़ा, अजमेर और जोधपुर
(c) अजमेर, जोधपुर और अलवर
(d) जोधपुर, अलवर और जयपुर

Ans. (a)

2. 'विकसित राजस्थान 2047' दस्तावेज को तैयार किया गया है- [S.I. Telecom 2024]

(a) राजस्थान के वित्त मंत्रालय द्वारा
(b) रीको द्वारा
(c) राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन और नीति आयोग द्वारा
(d) राजस्थान के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा

Ans. (c)

3. बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए- [Asst. Statistical Officer 2024]

(A) राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 15.31 प्रतिशत है, जो कि महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
(B) राजस्थान ने बहुआयामी गरीबी का समाधान करने में बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से बेहतर प्रदर्शन किया है।
(C) राजस्थान बहुआयामी गरीबी का समाधान करने में केरल, तमिलनाडु व गुजरात से पीछे है।

कूट:

(a) सभी (A), (B) व (C) सही हैं। (b) केवल (B) व (C) सही हैं।
(c) केवल (A) व (C) सही हैं। (d) केवल (A) व (B) सही हैं।

Ans. (a)

4. राजस्थान में वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार निम्न में से कौन-सा जिला शीर्ष पर है ? [Deputy Jailor 2024]

(a) अलवर (b) भीलवाड़ा
(c) जयपुर (d) अजमेर

Ans. (a)

5. राजस्थान सरकार ने "अमृत-काल-खण्ड, विकसित राजस्थान 2047" के अन्तर्गत एक पांच वर्षीय कार्य योजना तैयार की है। राज्य में क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना में 10 संकल्प रखे गये हैं। निम्न में से कौनसे संकल्प इस योजना में शामिल हैं?
नीचे दिए गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए [Asst. Director P-II (S&T Dept.) 2024]

(i) अवसंरचना विकास
(ii) कृषि वृद्धि व कृषक कल्याण
(iii) 2029 तक 350 बिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था
(iv) सतत् विकास

कूट -

(a) (i), (ii), (iii) और (iv) सही हैं
(b) केवल (i), (ii) और (iii) सही हैं
(c) केवल (i) और (ii) सही हैं
(d) केवल (i), (ii) और (iv) सही हैं

Ans. (a)

6. निम्न में से किस वर्ष तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य है? '[Research Asst. (Evaluation. Dept.) 2024]

(a) 2028 (b) 2029
(c) 2031 (d) 2030

Ans. (b)

7. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'विकसित भारत विकसित राजस्थान' दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी- [EO / RO 2024]

(a) 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था
(b) 550 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था
(c) 450 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था
(d) 250 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था

Ans. (a)

8. राजस्थान के राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में निम्न कथनों पर विचार करें: [RAS PRE 2024]

A. वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76 प्रतिशत रहा है।
B. यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है।
C. वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था।

सही विकल्प को चुनिए :

(a) A व C दोनों सही हैं। (b) A व B दोनों सही हैं।
(c) B व C दोनों सही हैं। (d) A, B व C सभी सही हैं।

Ans. (d)

9. राजस्थान के सकल स्थाई पूँजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुये क्रम में सही क्रम है - [RAS PRE 2024]

(a) विनिर्माण, खनन, कृषि, निर्माण
(b) निर्माण, कृषि, विनिर्माण, खनन
(c) निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन
(d) विनिर्माण, कृषि, खनन, निर्माण

Ans. (c)

10. मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् (CMRE_TAC) के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? [RAS PRE 2024]

(a) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)
(b) राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन (RITI)
(c) राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-कैट)
(d) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका)

Ans. (a)

11. राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए: [Asst. Professor 2024]

A. देवगढ़ B. सोढा, जैसलमेर
C. भाड़ला D. फतेहगढ़

उपर्युक्त में से कितने स्थान/स्थानों पर सोलर पार्क है/हैं?

सही उत्तर का चयन नीचे दिये कूट से कीजिए :

(a) C और D (b) B और D
(c) A और D (d) A और C

Ans. (a)

12. "राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण-III)" का मुख्य उद्देश्य है - [RAS PRE 2024]

(a) शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
(b) शहरी क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा में सुधार।
(c) जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार।
(d) नई सड़कों का निर्माण।

Ans. (c)

13. राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना (फेज-2) के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। [RAS PRE 2024]

(a) इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे आई सी ए) द्वारा सहायता प्रदान की गई।
(b) इसमें 18 जिले एवं 8 वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित हैं।
(c) इस परियोजना में अभेदा एवं माचिया जैविक पार्क विकसित किए गए हैं।
(d) इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है।

Ans. (b)

14. राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिये : [S.I. Telecom 2024]

(i) इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ₹ 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
(ii) राज्य सरकार ऋण का समय पर भुगतान करने वाले लाभान्वितों को 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।
(iii) प्रार्थी 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच का होना चाहिये। (iv) यह योजना राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिये है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल (i) सही है।
(b) (i) और (ii) सही हैं।
(c). (i), (ii) और (iii) सही हैं।
(d) (i), (ii), (iii) और (iv) सही हैं।

Ans. (a)

15. राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मध्य धनराशि वितरण के लिए सापेक्ष अंशों का कौनसा सूत्र अनुशंसित किया गया है? [Asst. Statistical Officer 2024]

(a) 5:10:85 (b) 10:30:60
(c) 5:20:75 (d) 15:30:55

Ans. (c)

16. भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन-सा स्थान है? (2022-23 में) (Asst. Professor 2024]

(a) पहला (b) दूसरा
(c) तीसरा (d) चौथा

Ans. (a)

17. निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है? Asst. Professor 2024]

(a) चम्बल नहर (b) गंगनहर
(c) नर्बदा नहर (d) इन्दिरा गांधी नहर

Ans. (c)

18. नीचे दो कथन दिये गये हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है: [Asst. Professor 2024]

अभिकथन (A): राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की भू-जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार वर्गों की भू-जोतों की संख्या में कमी हुई है।

कारण (R) : इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखण्डन में वृद्धि हुई है।

नीचे दिये विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिये :

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(b) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(c) (R) सही है, लेकिन (A) गलत है।
(d) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

Ans. (d)

19. राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिये निम्न में से कौन-सा/से सत्य है/हैं? [Asst. Professor 2024]

(A) रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और कृषकों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो उर्वरक अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये इस योजना को शुरू किया गया।
(B) इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक में 100 किसानों को प्रति किसान ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद का उत्पादन कर सकें।

कूट:

(a) केवल (B) सत्य है। (b) दोनों सत्य हैं।
(c) दोनों असत्य हैं। (d) केवल (A) सत्य है।

Ans. (d)

20. राजस्थान के हाल ही के कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है ? [Asst. Professor 2024]

(a) 2005-06 से 2007-08 (b) 2010-11
(c) 2015-16 (d) 1991-92 से 1993-94

Ans. (a)

21. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (BBSSL) की सदस्यता में राजस्थान का देश में स्थान था (26 अगस्त, 2025 से) [S.I. Telecom 2024]

(a) प्रथम (b) द्वितीय
(c) तृतीय (d) चतुर्थ

Ans. (a)

22. राजस्थान भूमि आबंटन नीति-2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रि-मंडल द्वारा मंजूरी दी गई, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? [S.I. Telecom 2024]

(a) यह नीति भूमि आबंटन नीति-2015 को प्रतिस्थापित करेगी।
(b) इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित / डी एल सी दर की 40 प्रतिशत दर पर किया जाएगा।
(c) रीको एवं आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि डी एल सी दर की 10 प्रतिशत दर पर आबंटित की जाएगी।
(d) इस नीति के अन्तर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आबंटन नहीं किया जाएगा।

Ans. (c)

23. हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है ? [Agriculture Officer 2024]

(a) 100 GW (b) 125 GW
(c) 250GW (d) 500 GW

Ans. (b)

24. पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सन्दर्भ में- [RAS PRE 2024]

(i) इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।
(ii) रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान
(iii) योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान की शत प्रतिशत ऑनलाइन व्यवस्था
(iv) प्रत्येक आवेदक को 4 प्रतिशत बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान

निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

(a) (i) और (iv) (b) (i), (ii) और (iii)
(c) (i) और (iii) (d) (i), (iii) और (iv)

Ans. (c)

25. राजस्थान के राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा कथन गलत है ? [RAS PRE 2024]

(a) राज निवेश पोर्टल मंजूरी/अनुमोदन के लिए वन-स्टॉप सूचना/ पंजीकरण / अनुमोदन / ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करके एकल बिंदु (ऑनलाइन) इंटरफेस और समयबद्ध निकासी प्रणाली प्रदान करता है।
(b) यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन/मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक "वन स्टॉप शॉप" (ओ एस एस) सुविधा है।
(c) वन स्टॉप शॉप के नियम 26.11.2020 को अधिसूचित किए गए हैं।
(d) पोर्टल निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों और नीतिगत पहलों और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है।

Ans. (b)

26. राजस्थान सरकार ने एम-सैण्ड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है। यह प्रभावी रहेगी- [RAS PRE 2024]

(a) 31 मार्च, 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक
(b) 31 मार्च, 2030 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक
(c) 31 मार्च, 2032 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक
(d) 30 जून, 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक

Ans. (a)

27. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिये: [RAS PRE 2024]

सूची-I (वर्ष 2023-24 में रीको द्वारा विकसित किये गये नये औद्योगिक क्षेत्र)	**सूची-II (स्थान)**
A. नाडोल	i. उदयपुर
B. धर्मपुरा	ii. झालावाड़
C. उमरिया	iii. बाड़मेर
D. माल की तूस	iv. पाली

कूट:	A	B	C	D
(a)	iv,	ii,	iii,	i
(b)	iv,	iii,	ii,	i
(c)	ii,	iv,	i,	iii
(d)	iii,	i,	iv,	ii

Ans. (b)

28. राजस्थान एमएसएमई नीति 2024' निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी ? [RAS PRE 2024]

(a) 31 मार्च, 2028 (b) 31 मार्च, 2030
(c) 31 मार्च, 2029 (d) 31 मार्च, 2031

Ans. (c)